खण्ड-325, अंक-5
बुधवार, 29 आषाढ़, शक संवत् 1899
(20 जुलाई, 1977 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 325 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय–सूची

विषय		पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	..	२६७
प्रश्नोत्तर	..	३०३
बिजली कर्मचारियों द्वारा बलिया शहर में बिजली ठप कर देने से उत्पन्न पानी के संकट के विषयक सदन के संज्ञान में लाना	..	३१६
समाचार–पत्रों के कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन भत्ता न मिलने के विषयक की सदन संज्ञान में लाना	..	३१७
फैजाबाद जिला अस्पताल तथा बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ में कुत्ते के काटने की दवा न होने के विषयक को सदन के संज्ञान में लाना..		३१८
थानाध्यक्ष, भटनी द्वारा कुमारी रीता वर्मा का अपहरण करके उसके साथ बलात्कार करने तथा उसकी हत्या करने के विषयक को सदन के संज्ञान में लाना	..	३१९
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा भविष्य निधि नियमावली १९७५, (सदन के पटल पर रखी गयी)	..	३२०
उत्तर प्रदेश फैक्ट्रीज (सैंतालीसवां संशोधन) नियमावली, १९७६ (सदन के पटल पर रखी गयी)	..	३२०
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, १९७६ (सदन के पटल पर रखी गयी)	..	३२०
नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय प्रथम परिनियम (सदन के पटल पर रखा गया)	..	३२०
वित्त (बिक्री–कर) अनुभाग–२ की विज्ञप्तियां (सदन के पटल पर रखी गयीं)	..	३२०
वित्त (बिक्री–कर) अनुभाग–२ की विज्ञप्ति (सदन के पटल पर रखी गयी)	..	३२१
उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (सत्रहवां संशोधन) नियमावली, १९७६ तथा उसमें जारी किए गए शुद्धि–पत्र (सदन के पटल पर रखे गए)		३२१
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (सातवां संशोधन) तथा (आठवां संशोधन) नियमावली, १९७६ (सदन के पटल पर रखी गयी)	..	३२२
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (छठां संशोधन) नियमावली, १९७६ तथा उसमें जारी किया गया शुद्धि–पत्र (सदन के पटल पर रखा गया)	..	३२२

विषय		पृष्ठ–संख्या
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, १९७५ (सदन के पटल पर रखी गयी)	..	३२३
उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (अष्टम संशोधन) नियमावली, १९७६ (सदन के पटल पर रखी गयी)	..	३२३
उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (षष्टम संशोधन) नियमावली, १९७६ (सदन के पटल पर रखी गयी)	..	३२३
उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९७४ (सदन के पटल पर रखी गयी)	..	३२४
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट, १९७२–७३ राजस्व प्राप्तियों पर आधारित लोक लेखा समिति (१९७६–७७) का प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	..	३२४
कार्य–स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	..	३२४
उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९७७ (पारित)	..	३२५
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं	..	३८२
प्रदेश में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल की नोटिस दिए जाने के कारण उत्पन्न संकट के सम्बन्ध में वक्तव्य का स्थगन	..	३८४

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २० जुलाई, १९७७

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—(३८३)

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री
(जिला मुजफ्फर नगर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद चौधरी
अनवार अहमद, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरुण कुमार, श्री
अली असगर हुसैन, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नारायन, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अवैद्य नाथ, श्री
अशफाक, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी, 'राकेश'

डाक्टर

आबिद अली, श्री
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
इसमाईल, श्री
ईशदत्त, यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय नारायण सिंह, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री
(उर्फ भइया जी)

ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री
(उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
औसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मोहम्मद मोहिउद्दीन, श्री
काली चरन, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार, पालीवाल, श्री
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री

कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त बाजपेयी, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गेंदा लाल गुप्त, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान मौर्य, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र सेन सिंह, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल 'निर्भय', श्री
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जयराम, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जागन सिंह, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
झाम लाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेज भान सिंह, कुंवर
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीप नरायन, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दुर्गविजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देवकुमार, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धरम राम, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्म गज सिंह, श्री
धर्म दत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
नंगा राम, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हेंलाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण सिंह भंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुरुषोत्तम दास, श्री
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला एटा)

प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह पुष्पवान, श्री
प्रदीप कुमार बजाज, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभु दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बरफिया लाल, जुआंठा 'अरविंद' श्री
बलदेव, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बशीर अहमद, श्री
बसन्त, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल सरोज, श्री
बाबू सिंह, श्री
बाबू सिंह, श्री
बाल कृष्ण, श्री
बिन्दू लाल, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बुद्धू राम, श्री
बृज वल्लभ सिंह, श्री
बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रज बल्लभ, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण 'निर्मोही' श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवानदीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भगौती सिंह, श्री
भी, श्री

भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भीषम, श्री
मंगल देव, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शम्भू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मन्सूर अली, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
माधव, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूल चन्द, ठाकुर
मैनजर सिंह, श्री
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद उसमान, श्री
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री

रणजीत सिंह, श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राजबहादुर यादव, श्री
राज बृज राज सिंह, श्री
राज मंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजेंद्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र कुमार, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम, श्री
राम जनम राय, श्री
राम जी, श्री
रामदत्त जोशी, श्री
राम दयाल, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पांडेय, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रताप शास्त्री, श्री
राम बक्स, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शरन सिंह, कुंवर
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री (जिला एटा)
राम सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक अहमद खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नारायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चौबे, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुरंहमान बर्क, श्री
शमशाद अहमद, हाजी
शम्भू नाथ, श्री
शम्भूनाथ, चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिवराज सिंह निर्भय, श्री

शिव लाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्य पाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सन्त बख्श, श्री
सिया राम सागर, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सुरेन्द्र पाल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूरबीर सिंह, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोनपाल, श्री (उर्फ सोहन लालपिघल)

सोहन लाल, श्री
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
हबीब अहमद, श्री
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरि चरण, श्री (एडवोकेट)
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी कृष्ण श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

नोट—गन्ना विकास मंत्री, श्रीमती चन्द्रावती भी सदन में उपस्थित थीं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

बुधवार, २० जुलाई, १९७७

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

नक्सलपन्थी बन्दियों की रिहाई की मांग

**१--श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल), श्री श्याम नारायन तिवारी (जिला गोरखपुर) तथा श्री देव कुमार (जिला बांदा)--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नक्सलपंथी बन्दियों की बिना शर्त रिहाई का मामला सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर कब तक निर्णय ले लिया जायगा ?

मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)--

जी नहीं । नक्सलपन्थी बन्दियों की बिना शर्त रिहाई का कोई मामला सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, क्या मुख्य मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि नक्सलवादियों की रिहाई के बारे में, उन्हें केन्द्रीय सरकार से कोई परामर्श मिला है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री राम नरेश यादव--

मान्यवर, केन्द्रीय सरकार की नीति के अनुसार, उनके सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया गया है कि ये नक्सलपंथी या बन्दी जो जेलों में बन्द हैं, अपनी नीतियों के सम्बन्ध में, इस बात को स्पष्ट करते हैं या घोषणा करते हैं कि हमारा विश्वास हिंसा में नहीं है और हम शान्तिपूर्ण ढंग से रहेंगे, तो उस स्थिति में सरकार विचार कर सकती है ?

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

इस वक्त उत्तर प्रदेश की जेलों में कितने नक्सलपंथी बन्द हैं ?

श्री राम नरेश यादव--

अभी तक जो रिपोर्ट है या सरकार के यहां जानकारी है, उसके आधार पर कुल १ विचाराधीन है और १० दोष सिद्ध हैं, जो जेलों में हैं ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

माननीय मुख्य मंत्री के उत्तर से सम्बन्धित, आपने कहा कि अगर वे अपनी नीतियों में नान-वायलेंट रहने का आश्वासन देंगे, तो विचार किया जाएगा, तो क्या इस सिलसिले में कुछ नक्सलपंथी नेताओं से बातचीत की जा रही है कि वे अपनी रीति-नीति में कोई परिवर्तन करें ?

श्री राम नरेश यादव—

ऐसा उनसे विचार-विमर्श नहीं किया जा रहा है, लेकिन उनके नेताओं ने यह कह दिया था कि हमारा विश्वास जनतन्त्र में है और हमारा विश्वास हिंसा में नहीं है। अतः वैसी स्थिति आएगी, तो सरकार विचार करेगी।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या नक्सलवादी नेता आपसे फिलहाल मिले हैं ? मिले हैं, तो क्या कोई वार्ता हुई है ?

श्री राम नरेश यादव—

किसी ऐसे नेता से मुझसे व्यक्तिगत रूप से कोई वार्ता नहीं हुई है।

श्री सुखपाल पान्डेय (जिला बस्ती)—

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो अभी तक बातचीत उनसे नहीं हुई है, तो क्या ऐसे नक्सलपंथी नेताओं से, मुख्य मंत्री वार्ता करने के लिए, कोई तिथि निश्चित करके, उनको बुलाने की कृपा करेंगे ?

श्री राम नरेश यादव—

यदि उनके नेता कोई इस आधार पर विचार करना चाहेंगे, तो दरवाजा खुला हुआ है।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि इन नक्सलपंथियों को क्या राजनैतिक कैदी करार दिया गया है, अथवा आज की नयी सरकार की नयी नीति के अनुसार, जो यह मर्यादा है कि बिना मुकदमा चलाए हुए, किसी को जेल में नहीं रखा जाएगा, क्या कारण है कि बिना मुकदमा चलाए हुए, इनको जेलों में रखा गया है ?

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, मैं यह समझता हूं कि माननीय सदस्य को इस सम्बन्ध में जानकारी है कि अभी भी कुछ व्यक्ति जेलों में हैं। किन्तु मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में कोई भी मीसा के अन्तर्गत बन्द नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या मुख्य मंत्री जी को विदित है कि कुछ नक्सलवादी सन् ६८ से अभी तक जेलों में बन्द हैं, तो जो ५ साल या उससे अधिक की सजा काट चुके हैं, उनकी रिहाई के बारे में विचार करेंगे ?

श्री राम नरेश यादव—

ऐसे लोग जिनका विश्वास हिंसा में नहीं है, ५ साल या ज्यादा सजाएं भोग रहे हैं, ऐसी घोषणाएं करते हैं, तो हम और सरकार उस पर विचार कर सकते हैं।

श्री राम दत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

क्या मख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ये नक्सलवादी लोग कांग्रेस सरकार के जमाने में, इमरजेंसी में बन्द किए गए हैं ?

श्री राम नरेश यादव—

यह बात स्पष्ट है कि ये लोग बन्द किए गए थे ।

श्री माधव (जिला बुलन्दशहर)—

क्या लोकनायक, श्री जयप्रकाश नारायण जी ने एक वक्तव्य नक्सलपंथियों की रिहाई के सम्बन्ध में निकाला था, उसमें उन्होंने कहा था कि उनके छोड़ने में कोई शर्त न रखी जाय, क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी उनकी इस सलाह पर विचार करेंगे ?

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, यह भारत सरकार से सुझाव है । यह नीति का प्रश्न है । उस पर अगर सरकार विचार करेगी, तो उस सम्बन्ध में हम सोच सकते हैं ।

श्री देव कुमार—

माननीय श्यामधर मिश्र ने प्रश्न किया था कि इन बंदियों को राजनीतिक बंदियों के रूप में व्यवहार करके, राजनीतिक सुविधाएं दी जा रही हैं या नहीं, लेकिन माननीय मुख्य मंत्री ने जवाब नहीं दिया । मैं आपके माध्यम से स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि उनका विश्वास हिंसा में है या नहीं, यह तो विचारधारा का सवाल है, लेकिन वे हर रूप में राजनीतिक आन्दोलन से सम्बन्धित हैं, क्या माननीय मुख्य मंत्री जी, जो सजा पा चुके हैं या विचाराधीन हैं, या वैसे अभी बन्द हैं, उनके साथ क्या राजनीतिक बन्दी करके उच्च श्रेणी आदि की सुविधाएं प्रदान करने की कृपा करेंगे ?

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं मिली है और न हमारे पास कोई प्रार्थना-पत्र है कि कोई ऐसा व्यवहार किया गया । इसलिए यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मारफत से माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मौजूदा हालात में कितने नक्सली उत्तर प्रदेश की जेलों में बन्द हैं ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर दिया जा चुका है । इसको अनुमति नहीं देता ।

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)—

माननीय मुख्य मंत्री ने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि यदि नक्सलपंथी शान्तिमय वातावरण में रहना चाहेंगे, तो विचार किया जायगा । क्या माननीय मुख्य मंत्री बताएंगे कि अब भी उनकी गतिविधियां अशान्तिमय हैं इस प्रदेश में ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया)—

माननीय मुख्य मंत्री जी बताएंगे कि जो नक्सलपंथी बंदी हैं, उनके ऊपर किस प्रकार के आरोप आरोपित हैं ?

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, कुछ के ऊपर हिंसा के आरोप हैं । कुछ के ऊपर १४७/१४८ आदि के आरोप हैं ।

श्री विक्रमा राय (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जब इस आन्दोलन की शुरूआत हुई, तो लोक नायक, श्री जयप्रकाश नारायण जी ने नक्सलपंथियों के बारे में अपना विचार व्यक्त किया था कि ये सभी राजनीतिक बन्दी हैं, पवित्र उद्देश्य से हैं, उनके साधन में भले ही अन्तर हो और कितने नक्सलपंथी हमारे प्रदेश के अन्दर ऐसे हैं जो बगैर मुकदमें के जेलों में बन्द किए गए हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम आसरे (जिला हरदोई)—

क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की भिन्न-भिन्न जेलों में, कितने नक्सलपंथी बन्द हैं, उनके नाम सदन के पटल पर रखने कृपा करेंगे ?

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, यह विचाराधीन बन्दी एक हरदोई के हैं और दोष सिद्ध बंदियों में दस हैं, जो जेलों के अन्दर बन्द हैं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के संयुक्त शासन के जमाने में, जो नक्सलपंथी बन्द किए गए थे, क्या ऐसे भी मामले शासन की जानकारी में हैं कि काउन्टर में पुलिस ने मारा था और उनकी मृत्यु हो गयी ?

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में कोई जानकारी सरकार को नहीं है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे इसकी जानकारी कृपा करके करायेंगे ?

श्री राम नरेश यादव—

मैं इसके बारे में अवश्य जांच कराऊंगा ।

श्री उदित नरायन (जिला हमीरपुर)--

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन नक्सलपंथियों के विरुद्ध किस-किस किस्म के अपराध लगाए गए हैं ? अगर इसकी सूचना माननीय मुख्य मंत्री जी के पास इस समय न हो, तो किसी समय देने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

इसकी अनुमति नहीं देता, हूं क्योंकि यह विस्तार का प्रश्न है ।

श्री राम नरेश पाण्डेय (जिला देवरिया)--

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि कितने नक्सलपंथी बन्द हैं और उनको छोड़ने के बारे में विचार किया जायेगा ?

श्री राम नरेश यादव--

माननीय सदस्य कृपा करके प्रश्न को स्पष्ट करें ।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)--

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि हमारे प्रदेश में, जितने नक्सलपंथी हैं, उनमें से कितने को अदालत में ट्रायल हो रहा है ?

श्री राम नरेश यादव--

मैं पहले ही बता चुका हूं कि १० लोग हैं, जिनका ट्रायल हुआ और वह इस समय जेल में बन्द हैं ।

श्री अध्यक्ष--

(श्री गोविन्द सिंह नेगी के खड़े होने पर) नेगी जी आप प्रश्न पूंछ चुके हैं । श्री सुन्दर लाल ।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)--

अभी मुख्य मंत्री जी ने बताया कि ११ लोग बन्द हैं । लेकिन मेरी सूचना के अनुसार ४९ आदमी बन्दी हैं तो क्या मंत्री जी इस सम्बन्ध में वे इस समय जांच करवा लेंगे कि कितने लोगों के मामले अदालत में हैं और कितने मामले छोड़ दिए गए हैं ?

श्री राम नरेश यादव--

मान्यवर, कुल ४८ जिलों से जो रिपोर्ट आयी हैं, उसके आधार पर मैंने स्थिति को आपके समक्ष रखी, जिसमें से एक विचाराधीन है और १० ऐसे हैं, जिनके ऊपर दोषसिद्ध हो चुका है और वह जेल में बन्द हैं ।

श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)--

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि यह जो नक्सलपंथी जेलों में हैं, उनकी रिहाई के लिये सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है, यदि हां, तो कब तक निणय हो जायगा ?

श्री अध्यक्ष--

इसका उत्तर दिया जा चुका है ।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि हिंसा के अपराध में कितने लोगों को बन्द किया गया है और कितने लोगों को अन्य अपराध में बन्द किया गया है ?

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, यह मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि कुछ कत्ल के कारण बन्द हैं और कुछ अन्य विभिन्न अपराधों के कारण, उन पर मुकदमा चल रहा है ।

श्री विजय राज सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि कांग्रेस ने उग्र विरोधी जानकर कितने नवयुवकों को नक्सलपंथी करार दिया गया ?

श्री राम नरेश यादव—

जितने नक्सलपंथी थे, उन्हीं को नक्सलपंथी करार दिया गया ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जो नक्सलपंथी हैं वह एक विचारधारा के हैं ? क्या माननीय मुख्य मंत्री उनको यह आश्वासन देंगे कि उनका विश्वास जनतन्त्र में हो जाये । और अगर हां, तो ऐसे लोगों को छोड़ने की क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अध्यक्ष—

इस प्रश्न का उत्तर वे दे चुके हैं ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मान्यवर, यह पहल मौजूदा परिपेक्ष्य में सरकार की ओर से होनी चाहिए ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने अभी कहा है कि यदि वे कोई ऐसा आश्वासन देंगे, तो जरूर छोड़ देंगे ।

श्री रमा शंकर कौशिक (जिला मुरादाबाद)—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या ये स्वयं भी सरकार की ओर से पहल करने जा रहे हैं, जिससे नक्सलपंथियों से इस मामले पर बातचीत हो सके ?

श्री राम नरेश यादव—

मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस तरह के निर्देश सभी जिलाधिकारियों को जा चुके हैं कि अगर वे यह आश्वासन दें या इस बात की उद्घोषणा करें कि वे हिंसा में विश्वास नहीं करते हैं और जनतांत्रिक तरीकों में ही विश्वास करते हैं, तो सरकार उनके मामलों पर विचार कर सकती है ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन नक्सलपंथियों की क्या एक्टीविटीज हैं, क्या वे देश विरोधी हैं और उसमें सरकार की क्या पालिसी है ?

श्री अध्यक्ष—

पोलिसी की घोषणा, तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने कर दी है कि यदि वे लिखेंगे, तो विचार किया जायगा ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या उनकी एक्टीविटीज देश विरोधी हैं ?

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, उनका विश्वास हिंसा में रहा है । उस आधार पर माननीय सदस्य जो भी अर्थ लगायें, यह उनके ऊपर निर्भर है और इसीलिए वे जेलों में हैं ।

श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)—

क्या घोषणा करने से ही हृदय परिवर्तन हो जायगा ?

श्री अध्यक्ष—

यह कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो नक्सलपंथी जेलों में बन्द हैं, उनको छोड़ने के लिए क्या केन्द्रीय सरकार ने कोई निर्देश दिया है, यदि हां, तो किन-किन शर्तों पर छोड़ने का निर्देश है ? क्या वे देशद्रोही हैं, सरकार का इस पर क्या विचार है ?

(उत्तर के लिए मन्त्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

प्रदेश में अभ्यास पुस्तिकाओं एवं जूनियर हाई स्कूल की पाठ्य पुस्तकों का कथित अभाव

**२—श्री राजेन्द्र कुमार (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि प्रदेश में नियंत्रित मूल्य पर छात्रों को दी जाने वाली अभ्यास पुस्तिकाओं तथा प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूल कक्षाओं की पाठ्य-पुस्तकों का अत्यन्त अभाव है जिससे कि छात्रों एवं अभिभावकों को बड़ी असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो अभाव का कारण क्या है और उसे दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

अभी तक शासन की जानकारी में कोई ऐसी बात नहीं आई है ।

श्री राजेन्द्र कुमार—

क्या माननीय मंत्री जी का ध्यान ६ जुलाई के लखनऊ से प्रकाशित अंग्रेजी के दैनिक 'पायनियर' के समाचार की ओर गया है, जिसमें विस्तार से छपा है कि अभ्यास पुस्तिकाओं एवं पाठ्य पुस्तकों का अभाव है। इसके अतिरिक्त लखनऊ बुक सेलर्स कमेटी के संयोजक, श्री सुल्तान हजूर ने शासन को पत्र लिखा कि पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति बढ़ाई जाय, जिससे कि छात्रों को कठिनाई न हो ? यह सूचना भी १० जुलाई के पायनियर पेपर में छपी है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

जी नहीं।

श्री राजेन्द्र कुमार—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कि इस शिक्षा सत्र के लिए सस्ती दर पर कापियां छपवाने के लिए कागज का कितना कोटा स्वीकृत किया गया तथा मिलों द्वारा कितना कागज, कापी निर्माताओं को अब तक दिया गया ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

जनवरी और मार्च के बीच में और अप्रैल से जून में २२०० टन और ६५२० टन कागज इस कार्य के लिए दिया गया और जुलाई से १५७२ टन एलाट किया गया।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या मंत्री जी माननीय सदस्य की सूचना को सही मानकर इसकी व्यवस्था कराने को कृपा करेंगे ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

यदि कोई माननीय सदस्य लिख कर निश्चित रूप में जानकारी देंगे कि किस जिले में, किस पाठ्य–पुस्तक के सम्बन्ध में कमी है और किस जिले में अभ्यास पुस्तिकाओं की कमी है, तो निश्चित रूप में उसकी व्यवस्था करायी जायगी। जहां तक शासन की जानकारी है, तो न तो किसी जिलाधिकारी के माध्यम से सूचना आयी है और न किसी माननीय विधान सभा के सदस्य या विधान परिषद् के सदस्य की ओर से कोई सूचना दी गयी है और न किसी नागरिक की ओर से कोई सूचना दी गयी है।

श्री कन्हैया लाल गुप्त (जिला मथुरा)—

एक प्रख्यात दैनिक में पाठ्य पुस्तकों तथा अभ्यास पुस्तकों की कमी की खबर छपी है, उसको आधार मानकर क्या माननीय मंत्री जी कोशिश करेंगे कि सभी जिलों से जानकारी करें कि इस प्रकार की कोई कमी से छात्र और अभिभावक परेशान तो नहीं हैं ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

माननीय राजेन्द्र कुमार जी ने "पायनियर" के १० जुलाई के अंक की ओर ध्यान आकर्षित किया था और निश्चित उस समाचार–पत्र को देख करके, उचित कार्यवाही की जायगी, लेकिन माननीय सदस्य ने जैसा कि किसी समाचार–पत्र का जिक्र किया है, तो यदि कोई और समाचार पत्र हो, तो उसके बारे में जानकारी दे दें, तो निश्चित रूप से कार्यवाही की जायगी।

श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री (जिला देहरादून)—

माननीय शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जो जिलों में कागज का कोटा दिया गया है, उसका ७५ प्रतिशत पब्लिक स्कूलों को दिया गया है, जिसमें कि धनवानों के बच्चे पढ़ते हैं ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए समय चाहिए ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मंत्री जी ने कहा कि इतने टन कागज आबंटित किया गया, तो किस एजेंसी के द्वारा ये कापियां बनायी गयीं, इस बात को भी वेरिफाई किया गया या नहीं और जितने टन कागज दिया था, उतनी कापियां बनी हैं या नहीं ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, जो सूचना इस समय उपलब्ध है, उसके अनुसार अलग-अलग इस बारे में जानकारी तत्काल नहीं दी जा सकती ।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिन एजेंटों के नाम कागज एलाट हुआ और जिन पुस्तक छापने वाले एजेन्टों को या लिखकर नए एजेंटों को वह कागज दिया गया, क्या ये पुराने ३० वर्षीय शासन के नियुक्त किये हुए ही एजेंट हैं ?

एक सदस्य—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न पर कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

इसके पूर्व में, जो प्रश्न किया गया था, उसके उत्तर में मैं जानकारी दे चुका हूं कि किस प्रकार से व्यवस्था करायी गयी है । इस सम्बन्ध में चूंकि मूल प्रश्न में कोई ऐसा प्रश्न नहीं किया गया था, तो उसके अतिरिक्त तत्क्षण जानकारी नहीं उपलब्ध है ।

श्री बृज बल्लभ सिंह (जिला हरदोई)—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि बदायूं में इन्टर कालेजेज और हाई स्कूलों में भवन निर्माण हेतु और अन्य मदों में विद्यार्थियों और अभिभावकों से चन्दा लिया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री देव कुमार—

मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी का ध्यान पिछले शासन के दौरान बहुत भयंकर घांधली की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । एक पत्र, जो शिक्षा मंत्री जी को लिखा गया है, एक एजेंसी के प्रेस ओनर शिखर चन्द जैन द्वारा, उसकी कापी कल मिली है । उन्होंने लिखा है कि कापियों के निर्माण हेतु, विभाग

द्वारा सारा कागज एक संस्था, यू० पी० कापी मैनुफैक्चरर्स असोसिएशन के माध्यम से कुछ कापी बनाने वालों को दे दिया जाता है, जिसके मालिक, श्री आर० आर० भार्गव साहब इलाहाबाद निवासी हैं। ये खुद भी कापी बनाते हैं और दूसरे प्रेस वालों को देते ही नहीं हैं और गोलमाल करते हैं।....

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया प्रश्न कीजिए।

श्री देव कुमार—

तो क्या इसकी जांच करा के माननीय मंत्री जी ऐसी कार्यवाहियों को समाप्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न इससे उठता नहीं है। उचित होगा आप लिखकर भेज दें।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

पायनियर अखबार में छपी हुई खबर की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान नहीं गया। तो क्या दैनिक जागरण अखबार में छपी हुई है, "बेसिक शिक्षण पुस्तकों का कृत्रिम अभाव इलाहाबाद में" इस खबर की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान गया है ? यह आज ही का अखबार है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

जी हां, आज सुबह दैनिक जागरण में इस समाचार को मैंने देखा।

श्री हिम्मत सिंह—

उत्तर प्रदेश सरकार ने कितना कोटा भारत सरकार से मांगा था और उसमें कितनी कमी की गयी और कमी करने का आधार क्या था ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मैंने शुरू में ही सूचना दी थी कि अभ्यास पुस्तिकाओं और पाठ्य पुस्तकों की कमी का कोई प्रश्न नहीं है और न ही इनकी उपलब्धि के सम्बन्ध में कोई कमी है।

श्री हिम्मत सिंह—

मेरा प्रश्न, तो यह है कि आपने कितना कोटा भारत सरकार से मांगा था, उसमें कितनी कमी कर दी गयी और कमी करने का कारण क्या था ?

श्री अध्यक्ष—

इसकी जानकारी आपको है कि भारत सरकार ने कितना कोटा निर्धारित किया, कितना आपको मिला, इसका निश्चयात्मक उत्तर दें। नहीं तो समय मांग लें।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

इसके लिए समय चाहिए।

श्री श्यामधर मिश्र—

माननीय मंत्री जी ने ब्रुकसेलस एसोसिएशन की ६ जुलाई के पत्र को कह दिया कि हमें नहीं मालूम । माननीय मंत्री जी ने पायनियर अखबार में, जो प्रकाशित हुआ वह कह दिया कि नहीं मालूम । तो क्या विभाग में अखबारों की कटिंग नहीं आती ? जहां तक मुझे मालूम है, हर मंत्री के सामने उसके विभाग की कटिंग आती है । अगर आती है, तो उनकी जानकारी में यह मामला क्यों नहीं आया ? साथ ही क्या वाराणसी के डिप्टी डायरेक्टर, एजुकेशन ने माननीय मंत्री जी को अभ्यास पुस्तिकाओं तथा पाठ्य पुस्तकों की कमी के बारे में लिख कर भेजा है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

जहां तक समाचार-पत्रों की कटिंग का प्रश्न है, निश्चित रूप में सूचना विभाग जितने भी समाचार समाचार-पत्रों में छपते हैं उनकी कटिंग निकाल कर विभागीय मंत्री को उपलब्ध कराता है ।

श्री श्याम धर मिश्र—

यह क्यों नहीं आयी ?

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें । आपको नहीं बुलाया है ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी (जिला फर्रुखाबाद)—

मेरी जानकारी को सही मान कर कि कुछ जिलों में इन कापियों की चोर-बाजारी हो रही है क्या सरकार इसकी रोकथाम का कोई उपाय कर रही है ? यदि कर रही है, तो क्या ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

इसके सम्बन्ध में विशेष विवरण यदि माननीय सदस्य देंगे, तो निश्चित रूप में कठोरतम कार्यवाही की जायेगी ।

श्री बदन सिंह (जिला आगरा)—

क्या माननीय मंत्री जी किसी ऐसे आयोग का गठन करेंगे जो हर वर्ष सत्र प्रारम्भ होने के पूर्व यह देख लिया करे कि प्रदेश में जिलेवार कितनी आवश्यकता है और उसकी पूर्ति किस प्रकार की जा सकती है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

माननीय सदस्य यदि इस सम्बन्ध में लिख कर देंगे, तो उस पर विचार कर लिया जायेगा ।

श्री रमा शंकर कौशिक—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि १९७६-७७ में कागज का कितना कोटा एलाट किया गया था ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

इसके लिए समय चाहिए ।

श्री राम चरन शाह (जिला खीरी)—

जैसा कि पहले सालों में इन्तजाम किया गया था कि पाठ्य पुस्तकें तथा कापियां स्कूलों और कालेजों में भी मिलने की व्यवस्था थी, तो वैसी व्यवस्था इस वर्ष कहां-कहां की गयी है, यदि नहीं की गयी है, तो उसका क्या कारण है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

यह सब काफी मात्रा में बाजार में उपलब्ध हैं ।

श्री बाबू राम वर्मा (जिला बस्ती)—

क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि एक ही दूकान पर एक ही पाठ्य पुस्तक और अभ्यास पुस्तक दो दामों पर बिकती हैं ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

जो दाम निर्धारित है, उन्हीं पर बिकती हैं, कहीं-कहीं पर हो सकता है कि लोकल टैक्स आदि लगकर कुछ मूल्य बढ़ जाता हो । उस टैक्स के कारण दामों में अन्तर हो गया हो, यह हो सकता है ।

श्री राज बृजराज सिंह (जिला खीरी)—

क्या गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष इनके मूल्यों में वृद्धि हुई है, यदि हां, तो कितनी ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

इसका उत्तर दिया जा चुका है ।

(व्यवधान)

बाबा राम अधार यादव (जिला इलाहाबाद)—

क्य कारण है कि इलाहाबाद में पाठ्य पुस्तकों की तथा अभ्यास पुस्तिकाओं की बहुत कमी है, जब कि वहां के एक राम बाबू भार्गव को ६ टन कागज का कोटा एलाट किया गया है ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न इससे नहीं उठता ।

श्री अजीत सिंह सेठी—

जनपद के बुकसेलर्स ही इन पुस्तकों आदि का अभाव पैदा करते हैं और ब्लैक मार्केटिंग करते हैं । तो क्या यह सम्भव नहीं है कि बुक बैंक बनाकर स्कूलों के माध्यम से ही उन्हें उपलब्ध कराया जाय ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

बाजार में इनका अभाव नहीं है, यह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं । फिर भी यदि माननीय सदस्य लिख कर कोई जानकारी देंगे, तो उस पर विचार कर लिया जायेगा । अगर वर्तमान प्रक्रिया में किसी सुधार की आवश्यकता है, तो शासन निश्चित रूप से कदम उठायेगा ।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अभ्यास पुस्तकों और पाठ्य पुस्तकों की कोई दर या रेट सरकार ने निर्धारित किया है और यदि किया है, तो किस रेट पर ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मान्यवर, समय चाहिए ।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष ११ करोड़ रुपया खर्च किया गया था किताबों पर, कहा गया कि ७० हजार बुक बैंक्स बने हैं, सब फर्जी हैं, क्या उनसे भी कुछ पुस्तकें इन तमाम शिक्षार्थियों को मिल रही हैं ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

इसका मान्यवर, मूल प्रश्न से सम्बन्ध तो है नहीं ।

बाबा राम अधार यादव—

मान्यवर, शिक्षा मंत्री जी इस समय हैं नहीं, इसलिए पूरा-पूरा उत्तर नहीं मिल रहा है ।

श्री रियासत हुसैन—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कई सवालों के उत्तर में कह दिया कि मूल प्रश्न से इसका सम्बन्ध नहीं है । मान्यवर, इस प्रकार का मंत्री जी को उत्तर देना वाजिब है कि नहीं ? इस चीज को माननीय अध्यक्ष महोदय आप कह सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय शिक्षा मंत्री जी, जब मैं किसी सप्लीमेंट्री प्रश्न की अनुमति दे दूं उसके बाद आप को उत्तर देना चाहिए और यदि आप उत्तर नहीं दे सकते तो समय मांग सकते हैं । यह प्रश्न इससे नहीं उठता कि इसके ऊपर उत्तर दिया जा चुका है या मूल प्रश्न से इसका सम्बन्ध नहीं है ।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अभ्यास पुस्तकें बनाने के लिए निर्माताओं के लिए जितना कागज दिया जाता है, उसका कोई लेखा-जोखा है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, लेखा-जोखा होगा जरूर, लेकिन इस समय उपलब्ध नहीं है ।

श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जुलाई यह सत्र का आरम्भ है और आप हर सवालों में समय चाहते हैं और यह समय कब तक चाहते हैं, क्योंकि यह जनता पार्टी जनता कल्याण के लिए आई है ?

श्री अध्यक्ष—

यह बहस की बात है । इसकी मैं इजाजत नहीं देता हूं ।

श्री श्याम धर मिश्र—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं, यह कोई व्यक्तिगत बात नहीं है, लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी के साथ दूसरे मंत्री जी भी हैं, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री जी भी हैं, जो कि शिक्षा विभाग की फाइलें देखते हैं, लेकिन वे न उत्तर देकर दूसरे मंत्री जो उत्तर दे रहे हैं । मान्यवर, जो डिप्टी मिनिस्टर हैं, जो फाइलें देखते हैं, उनको क्यों नहीं कहा जाता है कि वे जवाब दें ? आज यह कहा जा रहा है हर चीज के लिए एक नोटिस चाहिए ।

श्री अध्यक्ष—

इस प्रश्न से यह सम्बन्धित नहीं है लेकिन सरकार इस बात का ध्यान रखें ।

बिजली कर्मचारियों द्वारा बलिया शहर में बिजली ठप कर देने से उत्पन्न पानी के संकट के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

*श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्न तथ्य सदन के सामने सरकार के कार्यवाही हेतु आज उपस्थित करना चाहता हूं :—

दिनांक १२–७–७७ को बलिया शहर की बिजली की आपूर्ति व्यवस्था करीब १७ घंटे तक बिजली कर्मचारियों की हठधर्मी और विध्वंसात्मक कार्यवाही से ठप कर दी गयी थी । बिजली आपूर्ति ठप होने से नागरिकों को एक बूंद पानी उपलब्ध नहीं हुआ । नागरिकों में बेचैनी बढ़ी ।

नन्हें–नन्हें बच्चे पानी के बिना तरसने लगे । रोगियों की दशा शोचनीय हो गई । पानी के अभाव में नागरिकों के २ वक्त तक चूल्हे नहीं जले । नागरिकों में असंतोष बढ़ता गया ।

उपरोक्त असंतोष को प्रकट करने के लिए नागरिकों की एक विशाल सभा रात्रि को श्री गुलाब चन्द की अध्यक्षता में हुई जिसमें मांग की गई कि दोषी बिजली कर्मचारियों को शीघ्र स्थानान्तरण करके दण्डित किया जाय । सभा के पश्चात् बिजली और पानी की मांग करता हुआ रात्रि को ही एक विशाल जुलूस मेरे नेतृत्व में जिलाधिकारी के बंगले पर गया और वहां धरना के रूप में परिवर्तित हो गया । धरना के कार्य–क्रम के आधे घंटे के पश्चात् बिजली की आपूर्ति सम्भव हो पायी जो बिजली कर्मचारियों के जन विरोधी कार्यों का स्पष्ट प्रमाण है ।

दिनांक १३–७–७७ को बिजली कर्मचारियों के रवैये के प्रति खेद प्रकट करने के लिए सम्पूर्ण नगर में पूर्ण हड़ताल रही ।

उपरोक्त घटना नगर के ही एक बिजली उपभोक्ता, श्री बालेश्वर प्रसाद वर्मा और जूनियर इंजीनियर, श्री जी० सी० अस्थाना के रंजिश का परिणाम था । बिजली उपभोक्ता द्वारा कई प्रार्थना पत्र बिजली कर्मचारियों के भ्रष्ट कार्यों के विरुद्ध दिए जा चुके हैं । पुलिस थाने में उभय पक्ष से रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आपसी रंजिश और लेन-देन के कारण बलिया जनपद के समस्त नागरिकों को १७ घंटे तक बिजली और पेय आपूर्ति से पूर्णतः वंचित रखना कभी भी न्याय-संगत नहीं कहा जा सकता ।

अतः मैं माननीय विद्युत् मंत्री को एतद्द्वारा सूचना देता हूं कि वे बलिया जनपद की जनता की भावनाओं का समादर करते हुए, उपरोक्त काण्ड में लिप्त समस्त बिजली कर्मचारियों का अविलम्ब स्थानान्तरण करके उन्हें दंडित करने की व्यवस्था करें ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय विद्युत् मंत्री जी, यह आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दिया गया है । कृपया इसको जांच करके ध्यान रखें ।

समाचार-पत्रों के कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन भत्ता न मिलने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं एक प्रश्न उठा रहा हूं । जो समाचार पत्रों की व्यवस्था के सम्बन्ध में है ।

यह खेद का विषय है कि प्रान्त के अनेक समाचार-पत्रों की व्यवस्था ने वहां के कर्मचारियों को न उनका बढ़ा हुआ वेतन व भत्ता आदि जो इस सम्बन्ध में वेतन आयोग ने अंतरिम शिफारिशें की थीं, दे रहे हैं । कुछ पत्रों की व्यवस्था इन सुविधाओं को देने से इनकार करने से प्राप्त कुछ समाचार-पत्रों में हड़तालों की स्थितियां पैदा हो गई हैं । वाराणसी में आज पत्र में कलम बंदी तथा बीमे चलने की हड़ताल कई दिनों से चल रही है । इससे वहां के कर्मचारियों का जीवन दुखी हो रहा है । पत्रों के प्रकाशन में भी बराबर व्यवधान आ रहे । यहां तक कि सदन की कार्यवाहियां इस व्यवधान के कारण नहीं छप पा रही हैं । हाई स्कूल का परीक्षाफल आदि समय से नहीं निकल पाया

ऐसी स्थिति अनेक जिलों में पैदा हो गई है । लखनऊ में नेशनल हेराल्ड में क्रमिक भूख हड़ताल चल रही है । कानपुर के दैनिक जागरण में भी इसी प्रकार का असंतोष चल रहा है ।

इसीलिए वाराणसी जिले में आज कार्यालय में इसको लेकर शासन व व्यवस्था का भी प्रश्न खड़ा हुआ था । लाठी व अश्रुगैस भी पुलिस ने चलाई । छात्रों तथा जनता में वहां असंतोष व्याप्त है ।

बड़ी कृपा होगी यदि श्रम मंत्री इन बातों पर विचार कर व्यवस्था करें और सदन को कृपया बतलायें कि क्या किया जा रहा है ? खेद का विषय है कि श्रम मंत्री इतने दिनों से दिखे नहीं, अब दिखे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

इस विषय को मैं श्रम मंत्री जी के पास आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज रहा हूं ।

फैजाबाद जिला अस्पताल तथा बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ में कुत्ते के काटने की दवा न होने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना।

*श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, फैजाबाद जिले में एक ही दिन दिनांक १५-७-७७ को एक पागल कुत्ते ने एक परिवार के व्यक्तियों को काटा। ये व्यक्ति, श्री उदय भान सिंह, श्री कल्लू, श्री राज कुमार आदि हैं। ये लोग १६-७-७७ को जिला चिकित्सालय, फैजाबाद गए। वहां पर यह कहकर टालने का प्रयास किया गया कि जो सुई कुत्ते के काटने पर लगाई जाती है, उसकी दवा जिला चिकित्सालय में उपलब्ध नहीं है। उन लोगों ने अधीक्षक, जिला चिकित्सालय से सम्पर्क किया और अनुनय-विनय की तो अधीक्षक महोदय ने दिनांक १८-७-७७ को बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ के अधीक्षक महोदय को एक पत्र लिखा और मरीजों से कहा कि वे वहां से दवा ले लें। मरीजों के अभिभावक, श्री अमरेश सिंह जो जिले के जाने माने सामाजिक कार्यकर्त्ता और स्वतन्त्रता-संग्राम के सेनानी हैं, कल शाम को जब वह पत्र को लेकर बलरामपुर अस्पताल पहुंचे तो उन्हें यह कह कर टाल दिया गया कि आज सुबह ८ बजे आयें। उनकी एप्लीकेशन मेरे हाथ में है। मैंने आपके कक्ष में दिखाया था कि उन्होंने लिखा कि हमारे यहां दवा नहीं है। डाक्टरों की राय है कि ७ दिन के अन्दर यदि वह इंजेक्शन नहीं लगेंगे तो जीवन खतरे में हो सकता है। इस तरह ६ व्यक्तियों की जिन्दगी का सवाल है। फैजाबाद अस्पताल में दवा नहीं है और न बलरामपुर अस्पताल में है। श्री अमरेश सिंह लखनऊ की सड़कों पर पागल की तरह घूम रहा है। इसलिए सदन में स्वास्थ्य मंत्री और शासन से अनुरोध करता हूं और जो वेलफेयर स्टेट है, उनमें जीवन की व्यवस्था का दायित्व सरकार पर होता है....।

श्री अध्यक्ष—

आपने सूचना दे दी अब आप टिप्पणी न करें।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, कल ७ दिन पूरे हो रहे हैं। यदि कल तक इंजेक्शन नहीं मिलते हैं तो ६ व्यक्तियों की जिन्दगी का सवाल ही नहीं, फैजाबाद में सैकड़ों लोगों की जिन्दगी का सवाल है जो मारे-मारे घूम रहे हैं। वह तो पढ़े-लिखे थे जिन्होंने एप्रोच किया जो पढ़े-लिखे नहीं हैं उनका तो कुछ कहना ही नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इंजेक्शन की कल तक व्यवस्था की जाय।

श्री अध्यक्ष—

स्वास्थ्य मंत्री जी ऐसे महत्व के प्रश्न पर ध्यान दें और तुरन्त व्यवस्था करें ताकि मूल्यवान जानों को बचाया जा सके। यह एक खेदजनक बात है कि डिवीजनल हेडक्वार्टर में और लखनऊ में भी पागल कुत्ते के काटने पर जो इंजेक्शन लगते हैं, वह उपलब्ध नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री को इसकी अविलम्ब व्यवस्था करनी चाहिए।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

थानाध्यक्ष, भटनी द्वारा कु० रीता वर्मा का अपहरण करके उसके साथ बलात्कार करने तथा उसकी हत्या करने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, देवरिया जनपद के भटनी थानान्तर्गत एक रेल कर्मचारी की लड़की कुमारी रीता वर्मा जिसकी उम्र १५ साल थी गत २८ फरवरी को वहां के थानाध्यक्ष ने कालेज से उसका अपहरण कर लिया । सुभाष इंटर कालेज से थानाध्यक्ष उसको ले जाकर रात में जब उसके साथ बलात्कार करने लगे तो लड़की चिल्लाने लगी जिससे थाने के आस पास के लोग पहुंच गए और उसकी चर्चा वहां हुई । फिर सुबह थानाध्यक्ष और उनके गुन्डों ने उस लड़की को गायब कर दिया और उसके बाद भटनी बाजार में इसकी सनसनी फैल गई । इसका पता जब मुझे हुआ तो मैं बाजार पहुंचा और पता लगाने लगा कि लड़की कहां गई ? जब मैं रेल कर्मचारी जिसकी लड़की थी उसके पास गया तो उससे पूछा कि तुम्हारी लड़की कहां गई ? तो वह और उसकी स्त्री रोने लगी और चारों तरफ ताकने लगे कि दरोगा के लोग देख न लें नहीं तो हमारी जान खतरे में पड़ जायेगी । उसके बाप ने कहा कि दरोगा ने कहा है कि यदि यह किसी को बताओगे तो तुम्हें हम जान से मार डालेंगे ।

(शेम शेम की आवाज)

मुझे जब जानकारी हुई तो थानाध्यक्ष और उनके लोग मिलकर उस लड़की को भाटपार से नूनखार ले गए और फिर वहां पुनः अपनी इच्छा की पूर्ति किया और सामूहिक बलात्कार किया । उसके बाद उस लड़की की हत्या कर दी गई । इस बारे में मैं गृह सचिव तथा और अधिकारियों से भी मिला ।

श्री अध्यक्ष—

केवल सूचना आप दे सकते हैं । आप विस्तार में न जायं । आप बैठें । आप भाषण दे रहे हैं । आपने सूचना दे दिया इसलिए आप इसको समाप्त करें ।

श्री हरिकेवल प्रसाद—

उस लड़की की घटना का पूरा-पूरा पता लगाया जाय । इन्हीं की सरकार में घटना हुई है और उस दरोगा को तरक्की दे दी गई है । (शेम-शेम की आवाजें)।

श्री अध्यक्ष—

माननीय गृह मंत्री के पास मैं इसे आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज रहा हूं कि इस घटना की वह जांच करें ।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा भविष्य निधि नियमावली, १९७५†

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (स्वायत्त शासन मंत्री)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से शिक्षा अनुभाग-५ की विज्ञाप्ति संख्या ३५२३/१५(५)-३३४-७३, दिनांक १९ जुलाई, १९७५ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा भविष्य निधि नियमावली, १९७५, जो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, १९७२ की धारा १९ की उपधारा (२) के अनुसार दिनांक ४ नवम्बर, १९७६ को सदन के पटल पर रखी गयी थी और जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन का विघटन हो जाने के कारण पूरी नहीं हुई, को पुनः सदन के पटल पर रखता हूं ।

† छापी नहीं गयीं ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

सन् ७५ का अधिनियम है और रूल्स सदन के पटल पर रखे जा रहे हैं। इस पर कुछ व्यवस्था दें। रूल्स बने हुए हैं कि कम से कम छः महीने में रूल्स बन जाने चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

यह ७६ में रखा गया था।

उत्तर प्रदेश फैक्ट्रीज (सैंतालीसवां संशोधन) नियमावली, १९७६†

श्रम मंत्री (श्री गणेशदत्त बाजपेयी)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से श्रम अनुभाग ३ की अधिसूचना संख्या २९५५ (वि)/३६-३/२००९ (टी० डी०)-६५, दिनांक १६ अगस्त, १९७६ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश फैक्ट्रीज (सैंतालीसवां संशोधन) नियमावली, १९७६ जो उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम, १९०४ की धारा २३-क के अनुसार दिनांक १ नवम्बर, १९७६ को सदन के पटल पर रखी गयी थी और जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन का विघटन हो जाने के कारण पूरी नहीं हुई, को पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, १९७७†

लघु सिंचाई उप मंत्री (श्री छोटे लाल)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से पंचायती राज अनुभाग-२ की अधिसूचना संख्या ६३४३-बी/३३-३-१७९-७६-उ० प्र० अधि-३३/६१ नियम-७०-संशोधन (४)-७७, दिनांक २८ मार्च, १९७७ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जिला परिषद् सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, १९७७ को, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधि नियम, १९६० की धारा २३७ की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्रथम परिनियम††

कृषि मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से कृषि अनुभाग-३ की अधिसूचना संख्या २००७/१२-८-४०० (१०७)-७६, दिनांक ९ जून, १९७७ द्वारा प्रख्यापित नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्रथम परिनियम को उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७८ की धारा २९ की उपधारा (१) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-२ की विज्ञप्तियां†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केशरीनाथ त्रिपाठी)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग २ की—

(१) विज्ञाप्ति संख्या एस० टी०-२-२०१८-दस—९ (१४)-७५ उ० प्र० अधि०-१५-४८-आदेश-७७, दिनांक १४ अप्रैल, १९७७।

---

† छापी नहीं गयीं।

†† छापा नहीं गया।

(२) विज्ञप्ति संख्या एस० टी० २-२७११/दस-६-(८)-७७-उ० प्र० अधि०-१५-४८-आदेश-७७, दिनांक ३० अप्रैल, १९७७ ।

(३) विज्ञप्ति संख्या एस० टी० २-३३६४/दस-६-६ (२४)-७६-उ० प्र० अधि० १५-४८-आदेश ७७, दिनांक ३० मई, १९७७;

(४) विज्ञप्ति संख्या एस० टी०-२-३३६५/दस-६ (२४)-७६ उ० प्र० अधि० १५-४८-आदेश-७७, दिनांक ३० मई, १९७७;

(५) विज्ञप्ति संख्या एस० टी०-२-३३६६/दस-६ (२४)-७६-उ० प्र० अधि० १५-४८-आदेश-७७, दिनांक ३० मई, १९७७ तथा ;

(६) विज्ञप्ति संख्या एस० टी०-२-४८३१/दस-९ (११७)-७५ दिनांक ११ मार्च, १९७७ में जारी किए गए शुद्धि पत्र संख्या एस० टी० २-१५४१/दस ९-(११७)-७५, दिनांक ३० मई, १९७७ को, उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम, १९४८ की धारा ३-क की उपधारा (३) के अनुसार, एवं ;

(७) विज्ञप्ति संख्या एस० टी० २-२७१२/दस-६ (८)-७७-उ० प्र० अधि०-१५-४८-आदेश-७७, दिनांक ३० अप्रैल, १९७७ को उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम, १९४८ की धारा ३-घ की उपधारा (८) के अनुसार, सदन के पटल पर रखता हूं ।

वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-२ की विज्ञप्तियां

संसदीय वित्त मंत्री (श्री केशरी नाथ त्रिपाठी)--

मान्यवर, मैं वित्त (बिक्र-कर) अनुभाग-२ की विज्ञप्ति संख्या एस० टी० २-४८३१/दस-९ (११७)-४५ उ० प्र० अधि०-१५-४८-आदेश-७७, दिनांक ११ मार्च, १९७७, जो उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम, १९४८ की धारा ३-क की उपधारा (३) के अनुसार दिनांक ३० मार्च, १९७७ को सदन के पटल पर रखी गयी थी और जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्विष्ट कालावधि सदन का विघटन हो जाने के कारण पूरी नहीं हुई, को, पुनः सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (सत्रहवां संशोधन) नियमावली, १९७६ तथा उसमें इजारी किये गए शुद्धि-पत्रों

राजस्व मंत्री (श्री शारदा भक्त सिंह)--

मान्यवर, मैं राजस्व अनुभाग-८ की अधिसूचना संख्या ५५/३५/७३/राजस्व-८, दिनांक ८ जून, १९७६ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (सत्रहवां संशोधन) नियमावली, १९७६, उ० में जारी किए गए शुद्धि पत्र संख्या ५५/३५/७३-राजस्व-८, दिनांक २९ सितम्बर, १९७६ सहित, जो उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ की धारा ५४ की उपधारा (५) के अनुसार, दिनांक २६ मार्च, १९७७ को सदन के पटल पर रखी गयी थी और जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन का विघटन हो जाने के कारण पूरी नहीं हुई, को, पुनः सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

† छापी नहीं गयी ।

†† छापे नहीं गये ।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (सातवां संशोधन) तथा (आठवां संशोधन) नियमावली, १९७६†

राजस्व मंत्री (श्री शारदा भक्त सिंह)--

माननीय, राजस्व अनुभाग-१ की अधिसूचना संख्या ५३१४/१-१ (१०१)-७५-यू० पी० ए०-१/१५-नियम-५२-ए० एम० (७)-७६, दिनांक १९ जनवरी, १९७७ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (सातवां संशोधन) नियमावली, १९७६, जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५० की धारा ३४४ की उपधारा (२) के अनुसार दिनांक ३० मार्च, १९७७ को सदन के पटल पर रखी गयी थी और जिनके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन का विघटन हो जाने के कारण पूरी नहीं हुई, को, पुनः सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (आठवां संशोधन) नियमावली, १९७७†

राजस्व मंत्री (श्री शारदा भक्त सिंह)—

माननीय, राजस्व अनुभाग-१-की अधिसूचना संख्या २१३/१-१२ (३३)-७६-यू० पी० ए०-१/५१/नियम-५२-ए० एम० (९)-७७, दिनांक ९ मार्च, १९७७ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (आठवां संशोधन) नियमावली, १९७७, जो, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५० की धारा ३४४ की उपधारा (२) के अनुसार दिनांक ३० मार्च, १९७७ को सदन के पटल पर रखी गयी थी और जिनके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन का विघटन हो जाने के कारण पूरी नहीं हुई, को, पुनः सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (सप्तम संशोधन) नियमावली, १९७६†

राजस्व मंत्री (श्री शारदा भक्त सिंह)—

माननीय, मैं राजस्व अनुभाग-१ की अधिसूचना संख्या ३४८/१-६ (२३)-७४-राजस्व-१, दिनांक २१ मई, १९७६ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (सप्तम संशोधन) नियमावली, १९७६, जो दिनांक १ नवम्बर, १९७६ को सदन के पटल पर रखी गयी थी और जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन का विघटन हो जाने के कारण पूरी नहीं हुई, को, पुनः उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, १९०४ की धारा २३-क की उपधारा (१) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (छठा संशोधन) नियमावली, १९७६ तथा उसमें जारी किया गया शुद्धि-पत्र††

राजस्व मंत्री (श्री शारदा भक्त सिंह)—

माननीय, मैं राजस्व अनुभाग-१ की अधिसूचना संख्या ११०/२१ (४)-७६-राजस्व-१, दिनांक ३० जून, १९७६ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (छठां संशोधन) नियमावली, १९७६ तथा उसमें जारी

---

† छापी नहीं गयी ।

†† छापा नहीं गया ।

किया गया शुद्धि पत्र संख्या ११०/२-१ (४)-रा-१, दिनांक ३० नवम्बर, १९७६ सहित जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५० की धारा ३४४ की उपधारा (२) के अनुसार दिनांक १० दिसम्बर, १९७६ को सदन के पटल पर रखी गयी थी और जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन का विघटन हो जाने के कारण पूरी नहीं हुई, को पुनः सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, १९७५*

राजस्व मंत्री (श्री शारदा भक्त सिंह)--

मान्यवर, मैं राजस्व अनुभाग-१ की अधिसूचना संख्या २-१ (९)-७४-राजस्व-१, दिनांक १७ जनवरी, १९७५ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, १९७५ जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५० की धारा ३४४ की उपधारा (२) के अनुसार दिनांक १ नवम्बर, १९७६ को पुनः सदन के पटल पर रखी गयी थी और जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन का विघटन हो जाने के कारण पूरी नहीं हुई, की, पुनः सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (अष्टम संशोधन) नियमावली, १९७६*

राजस्व मंत्री (श्री शारदा भक्त सिंह)--

मान्यवर, मैं राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या १५९/२-५ (२)-७६-उ० प्र० अधि०-१-६१-नियम-६१-संशो० (८)-७६, दिनांक ८ सितम्बर, १९७६ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (अष्टम संशोधन) नियमावली, १९७६ को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम, १९०४ की धारा २३-क की उपधारा (१) के अनुसार दिनांक १० दिसम्बर, १९७६ को सदन के पटल पर रखी गयी थी और जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट काला वधि सदन का विघटन हो जाने के कारण पूरी नहीं हुई, को, पुनः सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (षष्टम संशोधन) नियमावली, १९७६*

राजस्व मंत्री (श्री शारदा भक्त सिंह)--

मान्यवर, मैं राजस्व अनुभाग-१ की अधिसूचना संख्या ४३-२-५ (१)-७६/राजस्व-१, दिनांक ३ अप्रैल, १९७६ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (षष्टम संशोधन) नियमावली, १९७६, जो दिनांक १ नवम्बर, १९७६ को सदन के पटल पर रखी गयी थी और जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन का विघटन हो जाने के कारण पूरी नहीं हुई, को पुनः उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम, १९०४ की धारा २३-क की उपधारा (१) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

*छापी नहीं गयी ।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९७४†

राजस्व मंत्री--(श्री शारदा भक्त सिंह)--

मैं राजस्व अनुभाग-१ की अधिसूचना संख्या ११/११-३ (२)-७३-राजस्व-१, दिनांक २० जुलाई, १९७४ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९७४ जो सदन के पटल पर दिनांक १ नवम्बर, १९७६ को पुनः रखी गयी थी और जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन का विघटन हो जाने के कारण पूरी नहीं हुई, को, पुनः उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम १९०४ की धारा २३-क की उपधारा (१) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट १९७२-७३ राजस्व प्राप्तियों पर आधारित लोक लेखा समिति (१९७६-७७) का प्रतिवेदन††

सचिव, विधान सभा--

मैं भारत के नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की रिपोर्ट १९७२-७३ राजस्व प्राप्तियों पर आधारित लोक लेखा समिति (१९७६-७७) का प्रतिवेदन, जो षष्ठ विधान सभा के विघटन के पूर्व माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत किया गया था, सदन के पटल पर रखता हूं ।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

आज दो कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें प्राप्त हुई हैं । एक सूचना श्री ऊदल की है जो इस प्रकार है "हिंडालको के लगभग ६५ मजदूरों द्वारा अपनी मांगों के समाधान हेतु लखनऊ नगर में गांधी जी की प्रतिमा के नीचे जी० पी० ओ० पार्क में धरना देने के कारण हिंडालको के हजारों मजदूरों में व्यापक असंतोष ।" दूसरा श्री सुन्दर लाल दीक्षित की है जो इस प्रकार है "होम्योपैथिक छात्रों की गिरफ्तारी तथा क्रमिक अनशन के कारण आन्दोलन की सी स्थिति उत्पन्न होने के कारण प्रान्त में गंभीर स्थिति उत्पन्न होना ।"

माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर विवाद चल रहा है । इन सभी प्रश्नों पर उस समय विचार करने का अवसर मिलेगा । इसलिये मैं इनकी अनुमति नहीं देता ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

माननीय श्रम मंत्री जो आज ही आवश्यक कार्य में लगे हुए थे, आजही लौटे हैं जिससे उनसे मुलाकात नहीं हो सकी बहुत पुराना यह मामला है । आप एक निर्देश उनको दे दें ताकि हम एक प्रतिनिधि मंडल ले कर उनसे मिल लें ताकि कोई रास्ता निकल आये ।

श्री अध्यक्ष--

श्रम मंत्री जी की जानकारी में यह प्रश्न आ गया है । वह अवश्य ही इस पर ध्यान देंगे । मैं उनसे कहूंगा कि वह इस पर विचार कर लें ।

---

†छापी नहीं गयी ।

††छापा नहीं गया

श्रम मंत्री—(श्री गणेशदत्त वाजपेयी)

मेरा निवेदन है कि कार्य-स्थगन के रूप में आप इसको अनुज्ञा न दें ।

श्री अध्यक्ष—

अनुज्ञा तो मैंने दी ही नहीं ।

श्री सुन्दरलाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

एक मिनट मेरी भी सुन लें ।

श्री अध्यक्ष—

अच्छी बात है एक मिनट में आप कह लें ।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

अध्यक्ष जी, ऐसा है मैं आपकी आज्ञा का स्वागत करता हूं । मान्यवर, यह विद्यार्थियों का मामला है विधान भवन के सामने उस दिन लाठीचार्ज हुआ और--तब से रोज गिरफ्तारियां हो रही हैं । श्रीमन् आपको भी सूचना नहीं है और माननीय सदस्यों को भी सूचना नहीं है परसों विधान भवन के पास, गैलरीज के पास, गिरफ्तारी हुई और इस प्रकार बराबर दमन चक्र चल रहा है । शासन की ओर से किसी भी प्रकार का इस मामले में समझौता करने के आसार नहीं नजर आ रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

इस पर कोई विवाद नहीं हो सकता । (व्यवधान) मैंने इसको स्वीकार नहीं किया । संक्षेप में केवल उपचार के नाते स्पष्टीकरण का अवसर दिया (कुछ सदस्यों के खड़े होने पर) इस पर मैं बहस की इजाजत नहीं देता ।

श्री रियासत हुसेन (जिला मुरादाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, यह बहस का विषय नहीं है । हम चाहते हैं कि यह मसला इतने दिनों से रोज यहां आ रहा है। सरकार इस पर कुछ करे। ११ ता० से जिस दिन से हम यहां आये हैं विधान सभा में और बाहर भी रोज आ रहा है । गिरफ्तारियां हो रही हैं । कुछ ऐसा करें कि यह मामला निपट जाय ताकि रोजाना जो फाटक बंद हो जाते हैं काउंसिल हाउस गार्ड कभी इधर से जाने को कहते हैं कभी उधर से जाने के लिए कहते हैं । यह सारा काण्ड खत्म होना चाहिये । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं बहस की अनुमति नहीं देता । यह पालिसी का विषय है इसमें कोई आज्ञा मेरी ओर से नहीं दी जा सकती है । प्रश्न सरकार के स्वयं विचाराधीन है, उनके सामने है, उस पर जो निर्धारित करनी है वह सरकार का कर्तव्य है और वह अवश्य करेगी । इस पर वह उदासीन नहीं है ।

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९७७*

राजस्व मंत्री—(श्री शारदा भक्त सिंह)

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९७७ पर विचार किया जाय ।

---

*दिनांक १३ जुलाई, १९७७ के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

[श्री शारदा भक्त सिंह]

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक जो मैं सदन के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हू बहुत साधारण सा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है । इसके द्वारा जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ अधिनियम जो हैं, इन सब में आवश्यक संशोधन करने का प्राविधान है । जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि जमींदारी विनाश अधिनियम के पूर्व खातेदारों की बहुत सी श्रेणियां थी लेकिन जमींदारी विनाश के पश्चात् ४ श्रेणियां रह गई यानी भूमिधर, सीरदार, अधिवासी और आसामी । १९५४ के अधिनियम के द्वारा अधिवासी को सीरदारी के अधिकार दे दिये गये और इस तरह से इस समय तीन श्रेणियां खातेदारों की हैं-भूमिधर, सीरदार और आसामी । इस व्यवस्था के द्वारा सीरदार की जो श्रेणी है उसे समाप्त कर उसे भूमिधर का अधिकार देने का प्रस्ताव है ।

भूमिधर इस विधेयक में दो प्रकार के होंगे एक भूमिधर जिनको संक्रमणीय कहा जायेगा और दूसरे अ-संक्रमणीय ऐसे भूमिधर बनाये गये हैं जिनकी अपनी भूमि को हस्तांतरण करने का पूरा अधिकार है । इस विधेयक के पूर्व जो सीरदार थे जिनको भूमिधर बनाया जा रहा है, भूमि हस्तांतरण करने का अधिकार नहीं है । ये वे खातेदार हैं जिनको ग्राम समाज से भूमि आवंटित हुई है । जो भूमिहीन गरीब वर्ग की श्रेणी में आते हैं और भूदान यज्ञ से जिनको भूमि प्राप्त हुई है, इनको भूमि हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं है । इसका उद्देश्य केवल यह है कि भूमिहीन लोगों को जो थोड़ी बहुत जमीन मिली है वह प्रलोभन में आकर जो माल दार लोग हैं उनको दे देते हैं, इस तरह से मालदार लोगों द्वारा भूमि प्राप्त नहीं हो सकेगी ।

वे हस्तान्तरित न कर दें, फिर भूमिहीन न हो जाएं, यह सोचकर उनको हस्तान्तरित करने का अधिकार नहीं दिया गया है । इसके अतिरिक्त आसामी की श्रेणी में वे लोग हैं, जो मृत खातेदारों की तरफ से माइनर, नाबालिग या विधवाएं हैं, जिनहें शिकमी जोतने का अधिकार है ।

इस विधेयक के द्वारा एक और महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है कि सीरदार, जिनको हमने भूमिधर कर दिया, उनको भी अधिकार होगा कि अपनी भूमि का प्रयोग बिना रोकटोक के किसी भी कार्य के लिए कर सकें । उनको इसके पहले इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं था, केवल कृषि और कृषि सम्बन्धी कार्यों के लिए अपनी भूमि का प्रयोग कर सकते थे ।

इसके अतिरिक्त जहां-जहां जमींदारी भूमि व्यवस्था में सीरदार शब्द आया है, उसको हटाकर भूमिधर कर दिया जाए या जो हस्तान्तरित करने का अधिकार नहीं है, हस्तान्तरित करने का अधिकार रख दिया जाए, इस बात को इसमें व्यवस्था की गयी है । म समझता हूं कि इस विधेयक के द्वारा हम सीरदार को बिना पैसा लिए, जिसको पहले १० गुना या २० गुना जमा करके भूमिधर बनने का अधिकार था, भूमिधर होने का अधिकार है और अब केवल दो श्रेणी रह जाएंगी । तो मैं समझता हूं कि इससे सीरदारों को बहुत लाभ होगा । इसलिए म समझता हूं कि यह बहुत ही उपयोगी विधेयक है और काश्तकारों के लिए लाभदायक विधेयक समझकर आप इसका पूर्ण समर्थन करेंगे और पूरा विचार करेंगे ।

*श्री देव कुमार (जिला बांदा)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९७७ को इस सदन की प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक सप्ताह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

मान्यवर, इस सदन में महामहिम राज्यपाल महोदय की घोषणा से इस सरकार ने यह घोषित करने की कोशिश की कि अब बहुत क्रान्तिकारी परिवर्तन इस देश में हो गये हैं और इस क्रान्ति को जनता तक पहुंचाया जाएगा ।

मान्यवर, मैं इस बात को महसूस करता हूं कि इतने कम समय में और मंत्री जी को इतनी व्यस्तताओं के बावजूद मंत्री जी को इस पूरे अधिनियम को ठीक से पढ़ने तक का भी शायद अवसर नहीं मिला होगा । यह संशोधन विधेयक, इतिहास के जिस सन्दर्भ में लाया जा रहा है, मैं तहेदिल से चाहता हूं कि इस सरकार को इस अधिनियम का अध्ययन करने के लिए उचित समय मिलना चाहिए । यह हमारे लिए इस देश और प्रदेश में बहुत तकलीफ की बात है कि सन् ५० से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश में खेती के संबंध में, जमीन के सम्बन्ध में जितने परिवर्तन कानून में हुए हैं, उतने किसी दूसरे अधिनियम में शायद ही हुए हों, इस प्रदेश का किसान हर वक्त इस अंदेशे से भयभीत रहता है कि कब और किस वक्त कौन सा संशोधन विधेयक या कानून सरकार पास करेगी । मैं समझता हूं और जैसा हमारे दोस्त कहते हैं, इस विधेयक के जरिए जरूर ही क्रान्तिकारी परिवर्तन होने चाहिए और किसानों को कुछ दिन के लिए यह चैन मिलना चाहिए कि अब जो अधिनियम बना है, वह पूर्ण है और उस अधिनियम या नियम के संशोधन की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी । लेकिन जिस जल्दी में इस अधिनियम को सदन में लाया जा रहा है, उस जल्दी में इसको पारित करने का इस प्रस्ताव के जरिये मैं विरोध करता हूं ।

मान्यवर, केवल भूमिधर प्रदान करने की घोषणा से इस प्रदेश की भूमि पर जिन्दा रहने वाला लगभग ९० प्रतिशत जनता जो किसान हैं, खेतिहर हैं या खेती से सम्बन्धित दूसरे रोजी के लिए रोजगार करने वाले लोग हैं, जमीन इस प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कृषि उद्योग की अनिश्चितता की दशा में रखा जा रहा है । वह इस प्रदेश के हित में नहीं है । इस लिए माननीय मंत्री जी इस पर विचार करें । केवल भूमिधरी अधिकारों की घोषणा करने से, केवल कुछ अधिकार दे देने से और ऐसे भूमिधर को भी व्यवस्था की जा रही है जो बेच नहीं सकता, अपने अधिकार को बैनामा के जरिये दे नहीं सकता । लेकिन बहुत से हरिजनों को जिनको अपनी लड़की का शादी-विवाह के लिए भूमि को बेचने की आवश्यकता पड़ती है । वैसे यह भावना सही है । लोगों ने अपने मजदूरों के नाम, हलवाहों के नाम, जिन हरिजनों से सम्बन्ध है उनके नाम, हदबन्दी करवा दिये और उसको अपने हक में हस्तांतरित कर लिया । लेकिन इसमें कोई न कोई ऐसा प्राविधान होना चाहिए जो जेनुइन केसेज में, चाहे जिला अधिकारी को अधिकार दे दें, वह छानबीन करने के बाद यदि समझता है कि आवश्यकता सही है तो उसको भी बैनामा करने का अधिकार होना चाहिए । आदमी सम्पत्ति इस लिए रखता है कि जरूरत के वक्त काम आ सकती है । लेकिन इस अधिनियम के जरिए बिलकुल

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

[श्री देव कुमार]

प्रतिबन्ध कर दिया गया है, किसी रूप में बेच नहीं सकता। इसलिए इस अधिकार को प्रदान करते समय पूरा-पूरा ध्यान रखना चाहिए कि इस हस्तांतरण के पीछे भी कोई साजिश न हो।

इसी प्रकार, मान्यवर, इस अधिनियम में और कुछ चीजें अपेक्षित थीं जिनको होना चाहिए। इस प्रदेश के अन्दर कुछ ऐसी दिक्कत रही है, गांव में रहने वालों को जो खेती करते हैं, उनको कुछ ऐसी दिक्कतें रोजाना जिन्दगी में भुगतनी पड़ती हैं जिनका इस अधिनियम के जरिये दूर होना आवश्यक है।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान बुन्देलखंड की कुछ ऐसी समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिनके लिए कुछ न कुछ प्राविधान करना चाहिए। खास तौर पर ललितपुर और झांसी जिले में शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जहां पर पथरीली जमीन है कुछ दिनों तक जमीन को जोतते हैं, वर्षा होने पर मिट्टी बह जाती है, उसके बाद पत्थर रह जाते हैं। उन्होंने जमीन का कब्जा छोड़ दिया है। लेकिन जब कब्जा ऐसी जमीन पर, खासकर भूमिहीन हरिजनों का, दर्ज कर दिया तो जमीन छोड़ने के बावजूद उनके खिलाफ ११५-डी की कार्यवाहियां करके बेदखली की कार्यवाहियां करके लम्बे हरजे लादे जा रहे हैं और वसूल हो रहे हैं जिनसे उनकी कमर टूट रही है।

इस तरह से सन् १९७५ में, जब इसके बारे में यहां पर संशोधन आया था तो इस सदन और उस समय की सरकार ने उस संशोधन को माना था। यह संशोधन यह था कि अगर कोई भूमि होन ३ एकड़ जमीन पर और बुन्देलखंड के क्षेत्र में ८ एकड़ जमीन पर बिना अधिकार के अध्यासीन है तो उसको बेदखल नहीं किया जायेगा। उसके खिलाफ ११५-डी की कार्यवाही नहीं की जायेगी बल्कि जमीन उसके नाम सीरदार की हैसियत से उसको घोषित कर दी जायेगी। मैं कहना चाहता हूं कि इस प्राविधान के बावजूद भी इस नियम का पालन नहीं किया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने जिले के बारे में कहना चाहता हूं। वहां पर एक गांव हरदौला है। वहां की एक बहुत बड़ी विडम्बना है। वहां पर पहले भूमिहीनों को भूमि आवंटित कर दी गयी, मजदूरों को जमीन दे दी गयी। सरकार ने इसके लिए एक ड्राइव चलाया था, और सभी जिलाधिकारियों से यह सूचना मांगी थी कि आप कितनी जल्दी भूमि के पट्टों को कर सकते हैं। पट्टे किए नहीं गये। भूमिहीनों को जमीन बता दी गयी वहां पर उन्होंने कुछ मकान बनवा लिए और खेती करने लग। पट्टे उनको दिए नहीं गये, केवल जमीन बता दी गयी, और ११५-डी के मुकदमे उनपर चालू कर दिए गये। किसी का कोई अधूरा मकान ही बना रह गया। मुकदमा चला कर उन पर जुर्माना कर दिया गया। अगर इस तरह से मान्यवर, कानून का परिपालन किया जायेगा तो क्या होगा। वहां पर प्रधानों और लेखपालों द्वारा उनको पीड़ित किया जा रहा है, यह आपकी मन्शा के विपरीत है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह के मामले प्रदेश में बहुत से हो सकते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि वह इस तरह का नियम बनावें कि इस तरह के अत्याचार जो जनता पर हो रहे हैं वह न हों। भूमिहीनों की जो बेदखली हो रही है उसे बन्द किया जाना चाहिए। जो आपके लेखपाल हैं, वह गरीब जनता के साथ दुश्मनीवश कार्यवाही करते हैं।

कल कई माननीय सदस्यों ने इसी सदन में पट्वारियों की तानाशाही के बारे में काफी चर्चा की। माननीय सदस्य, रियासत हुसैन ने माननीय मुख्य मंत्री जी से कहा था कि अगर पटवारी, पुलिस और ट्यूबवेल का आपरेटर इन पर आप काबू पालें तो बहुत बड़ा काम हो जायेगा। मैं उनकी राय से बिलकुल सहमत हूं। भारत सरकार के गृह मंत्री जो उस समय यहां पर मंत्री थे, उन्होंने पटवारियों का नाम बदल कर लेखपाल रख दिया था। मैं हकीकत में कह रहा हूं कि जनता उनसे बहुत परेशान है। मैं एक गांव में गया तो वहां के लोगों से बातचीत करने पर मालूम हुआ कि लोग पटवारी से इतना भयभीत रहते हैं कि अगर एक बार उनसे कोई बयान ले तो वह ए० डी० एम० साहब के खिलाफ बयान दे सकते हैं लेकिन वे पटवारी के खिलाफ बयान नहीं दे सकते हैं। अगर लेखपाल नाराज हो जाता हैं तो वह उसको तबाह कर देता हैं।

इस प्रकार से इस प्रदेश के अन्दर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको गांव के लेखपाल वैमनस्य के कारण गांव समाज की भूमि उनके कब्जे में न होने के बावजूद उनके नाम से कब्जा दर्ज कर देते हैं वर्ग ४ में और फिर ११५ डी में गरीब किसानों को और हरिजनों पर जुर्माने कराये जा रहे हैं और उनकी उससे वसूली न होने पर उनको जेलों में बन्द किया जा रहा है। इस बारे में एक विडम्बना और है।

गांव सभा का प्रधान कोई शिकायत नहीं करता है हालांकि वह सब जानता है कि किस-किस जमीन पर किस किसान का कब्जा है, किस पर अनधिकृत कब्जा है लेकिन तहसील में वहां का लेखपाल एक रिपोर्ट दे देता है और उस पर कार्यवाही आरम्भ हो जाती है। पहले उसे नोटिस तक नहीं मिलती लेकिन जब जमीन उसकी कुर्की करने जाता है तब उसे पता चलता है कि लेखपाल ने उसकी कोई शिकायत की थी। तब रुपया न अदा करने पर उसे जेल में बन्द कर दिया जाता है। इस प्रकार से आज गरीब लोगों को तबाह किया जाता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रदेश में एक व्यवहारिक दिक्कत है और ऐसे मुकदमों में जहां पर प्रतिवादी को कोई नोटिस नहीं मिलता हो, गांव सभा का प्रधान कोई शिकायत न करता हो और अगर लेखपाल की गलत रिपोर्ट पर बेदखली या उसपर जुर्माना हो जाता है, तो ऐसे मामलों में जिनमें गांव सभा का प्रधान जानता हो कि इस मुकदमें में गलत फैसला हुआ है तो अगर वह चाहे कि इस जुर्माने की वसूली न हो, तो उसके लिए इस ऐक्ट में कोई प्राविधान अवश्य होना चाहिए जिससे गलत रिपोर्ट देने वाले लेखपाल के विरुद्ध कार्यवाही हो सके और दोषी व्यक्ति को व्यर्थ में फंसाया न जा सके।

श्रीमन्, इसी प्रकार से लिमिटेशन का भी मामला है। इस सदन को भली भांति मालूम है कि पहले सीरदारी के हकूकों का लिमिटेशन १२ साल थी। पिछले दिनों से इस लिमिटेशन को ३० साला कर दिया गया है और जिन काश्तकारों या भूमिहीन खेतिहर मजदूरों का किसी जमीन पर १२ साल से वर्ग ४ में नाम दर्ज था उनके ऊपर भी ३० साल का प्रतिबन्ध लगाया गया है और उनकी बेदखलियां की जा रही और १२ साल की फसल के हर्जे के हिसाब से जो उनपर जुर्माना किया जाता है, वह हजारों रुपये की तादाद में होता है।

श्रीमन्, एक केस मुझे याद है जिसमें एक छोटे किसान पर ५००० रुपये का जुर्माना किया गया और उसकी सूचना तक नहीं दी गई ताकि वह हजरदारी भी कर सके। वह आज भी किसी कोर्ट में घूम रहा होगा। ५००० रुपये का तलवार आज भी उसके सिर पर लटक रही होगी। अगर इस लिमिटेशन की अवधि को

[श्री देव कुमार]

बढ़ाना था तो काश्तकार को सीरदारी और भूमिधरी के अधिकार मिलने चाहिए थे । मेरी प्रार्थना है कि इस प्रकार से अविवेकपूर्ण तरीके से जो बेदखलियां हो रही है, वे बंद होनी चाहिए ।

इस में धारा १९८ की ओर भी मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं । यह आपको मालूम है कि इस प्रदेश के अन्दर भूमिहीनों को पट्टे पर जमीन देने की प्रक्रिया चालू थी लेकिन जब से नसबन्दी का एक प्लान चला और किसान को यह प्रलोभन दिया गया कि हम तुमको ज़मीन दे देंगे तब से हज़ारों लोगों की नसबन्दी करने के बाद हज़ारों भूमिहीनों को पट्टे दिए गये ।

लेकिन किसी गांव का प्रधान कोई कानून नहीं जानता और पटूटा होने के बावजूद धारा १९८ की कार्यवाही में घोषणा गलत कर दी तो उसकी कार्यवाही करके किसी न किसी टेक्निकल आधार पर उन पट्टों को हजारों की तादाद में रद्द किया जा रहा है । कभी कहा जाता है कि मुनादी मुस्तहरी ठीक से नहीं हुई कभी १७३ की कम्पलाएंस नहीं हुई प्राथमिकता का ध्यान नहीं रखा गया और इस तरह से धारा १९८ के प्रविधानों को बिलकुल निर्जीव तरीके से लागू करके इतनी आपरेशन की मुसीबत बनाने के बावजूद भी यहां के हरिजनों और भूमिहीनों से वह जमीन कानूनी तरीके से छीनी जा रही है वैसे जबरदस्त लोगों ने छीन ही ली है । लेकिन एक बार जब गांव सभा, भूमि प्रबन्ध समिति में लोग इकट्ठे होकर पूरी मर्जी और सद्भावना के साथ एक आदमी को पट्टा दे देते हैं उसके बाद टेक्निकल आधारों पर उनको खारिज कर देना कहां तक उचित है ? मैं जानता हूं, गांव पतवन, बबेरू तहसील में जहां हरिजनों और छोटे-छोटे काश्तकारों को जमीनें दी गयीं, लेकिन १९८ के संबंध में काफी तादाद में-सौ या ५० के लगभग भूमिहीन हरिजन रोज कचेहरियों में दौड़ाये जाते हैं और मुकदमों का कोई फैसला नहीं हो रहा है और उन पट्टों को खारिज कर दिया जाता है । तो १९८ में कोई संशोधन ऐसा लाया जाय जिससे ऐसा प्राविधान हो सके किसी मामूली टेक्निकल कानूनी नुक्स की वजह से अगर गांव सभा या भूमि प्रबन्ध समिति ने कुछ छानबीन करके अधिकृत उस को पट्टा दिया है तो उसको खारिज नहीं किया जाना चाहिए और पट्टों को रद्द करने की कार्यवाही बन्द होनी चाहिए । लेकिन इस अधिनियम में ऐसा कुछ नहीं किया गया है ।

इसी तरह से एक उत्तर प्रदेश भूमि विकास कर अधिनियम संशोधित करके एक समिति का गठन किया जा रहा है ग्रामीण विकास निधि समिति के नाम से वह गठित की जा रही है । अध्याय छः उत्तर प्रदेश भूमि विकास कर अधिनियम, १९७२ में संशोधन करके, धारा ७० में इसका उल्लेख है । राजस्व मंत्री उसके अध्यक्ष होंगे और कुछ विभागों के सचिव इसके सेक्रेटर होंगे । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह बिलकुल सरकारी कमेटी हो गयी । कोई सेक्रेटरी इसके उद्देश्यों को आज को बता नहीं पायेगा, क्योंकि जनता से कोई संबंध रह नहीं जाता, केवल फाइलों से और विभागीय अधिकारियों से रहता है । इस निधि को किस रूप में खर्च किया जायगा, लेखा-जोखा कैसे होगा ? इसकी जानकारी देने के लिए मंत्री जी विरोधी दल के किसी व्यक्ति को शामिल करें, चाहे सत्ता विरोधी दल को ही शामिल करें, जिससे जो गड़बड़ियां हों या

समिति कोई गलत सुझाव लेती है तो उसमें माननीय सदन की ओर से, जनता की ओर से भी कोई प्रतिनिधि हो । तो इ में किसी सदस्य को शामिल किया जाना चाहिए, यह मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है ।

इसी से प्रासंगिक है एक और अहम सवाल । म महसूस करता हूं, माननीय सदन के सदस्य भी महसूस करते होंगे कि सीलिंग अधिनियम में पहले धारा १३ मे एक आब्जेक्शन करने का प्रावधान था ।

लेकिन जब सीलिंग अधिनियम लाय गया तो उस प्रविधान को समाप्त कर दि ा, कोई भी आब्जेक्शन करने का नियम नहीं रहा । मेरी व्यक्तिगत जानकारी में ऐसे बहुत से मामले हैं जिनमें बड़े काश्तकारों ने गांव के गरीब और छोटे काश्तकारों को यह बता कर कि हम इ ा जमीन को बेच सकते हैं, हजारों को ताबाद में बेनामे कर दिये या केवल रुपया ले कर उनको कब्जा दे दिया ।

ऐसे खरीदने वाले भूमिधर दर्ज हो गये, उनके नाम दाखिल खारिज भी हो गया, लेकिन जब सीलिंग ऐक्ट के अधीन मुकदमा चला तो उनको न तो अदालत से कोई नोटिस गया, न उनको सुनने का कोई मौका दिया गया और न उनको पार्टी बनाया गया औ जिनकी जमीन सीलिंग में जानी थी उन्होंने वही जमीन दे दीं जिनको उन्होंने भारी रुपया ले कर दूसरों को हस्तान्तरित कर दिया था । जिनकी सीलिंग से जमीन निकलनी थी उनको कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने तो अच्छा पैसा ले कर वह जमीन बेंच दी थी । इसलिये माननीय मंत्रीजी इस अधिनियम म कोई संशोधन करें जिससे उन बेनामों को नही कर र दे कर उनको यह जमीन वापस दिलायें । मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि सीलिंग में जमीन देने वालों को कोई छूट देनी चाहिये । यह तो बिल्कुल चीटिंग का मामला है क्योंकि यह जानते हुये कि यह जमीन निकलने वाली है अगर किसीसे पैसा ले कर लोगों को गुमराह किया है तो अवश्य ऐसे लोगों केविरुद्ध कानूनी कार्यवाही होनी चाहिये ।

भू-दान ऐक्ट का संशोधन भी इस अधिनियम से संबंधित है । भू-दान समितियों के जरिये जितनी धांधली जमीन बांटने में हुई है, उसकी भी छानबीन करने का मौका आ गया है । हमारे जिले में बरेरू तहसील में कमसिन एक गांव ह एक बड़ी दर्दनाक घटना है ।

स्वायत्त शासन उप मंत्री—

माननीय, बिल से क्या सम्बन्ध है इस घटना का ?

श्री देव कुमार—

स्थिति यह है कि उस गांव में तत्कालीन जमींदार ने विनोबाजी को भू-दान यज्ञ के तहत दी जिसका रकबा हजार, दो हजार एकड़ के करीब होगा ।

वहां पर विनोबा भावे के नाम पर एक विनोबा नगरी बसायी गयी । भूमिहीनों को पट्टा दिया गया । किन्तु कुछ दिनों के बाद ही लोगों ने कुछ उकतों को बुलवाकर उसे उजड़वा दिया और जो भूदान समिति के अध्यक्ष थे हमारे जिले के, जनता पार्टी में हैं, उन्होंने किसी भी पट्टेदार को नहीं बताया जिनसे जो भी रकम मिली, वह ली और लेकर उनको पट्टा दिया तथ एक दूसरा जाल रचा जो इतना निन्दनीय है कि उसको सुनकर आपको भी ताजुब होगा और जो इस सरकार के लिये भी कलंक की बात है । (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय

—श्री देव कुमार]

ने कहा उन भूमिहीनों को इकट्टा करके कि तुम्हारी हम सहकारी समिति बनायेंगे और इस प्रकार उन्होंने एक सहकारी समिति बनाया और उसके चेयरमैन अपने एक मित्र को बना दिया। उन चेयरमैन महोदय ने किसी भी भूमिहीन को एक इंच भी भूमि नहीं दी और उस विनोबा नगरी को ही उजाड़ दिया और जिन-जिन को पट्टे दिये गये थे उनको कब्जा नहीं दिया। मैंने कांग्रेस सरकार से भी उस वक्त इसकी जांच करने तथा उचित कार्यवाही करने के लिये निवेदन किया था मगर उस वक्त कोई कार्यवाही नहीं हुई। उच्च अधिकारी गये, मगर कार्यवाही कुछ नहीं हुई क्योंकि उन व्यक्तियों का काफी असर है। जिलाधिकारी पर उन लोगों का असर रहता है, वह कुछ हीं कर पाता। मैं चाहता हूं कि सरकार किसी उच्च अधिकारी से इसकी जांच करवाये। अगर उस जमीन को भूमिहिन हरिजनों को दिला दिया जाये तो हरिजन आपके प्रति अत्यन्त कृतज्ञ होंगे।

अब मैं इस अधिनियम के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। हम जानते हैं कि आपकी सरकार भूमि के राष्ट्रीयकरण की बात नहीं कर सकती, लेकिन जमींदारी विनाश अधिनियम में एक यह प्राविधान था कि सहकारी खेती को आप बढ़ावा देंगे। जब आप हरित क्रान्ति का नारा देते हैं, खाद की समस्या को हल करने का नारा देते हैं, तो जब तक आप कृषि के क्षेत्र में कोई क्रान्तिकारी कदम नहीं उठायेंगे आप इसमें सफल नहीं होंगे। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आप सहकारी खेती को बढ़ावा दीजिये। इसके लिये प्रभावशाली कदम उठाइये। आपका प्रदेश छोटे-छोटे किसानों से भरा है। जो ५ बीघे का काश्तकार है वह न बैल खरीद सकता है, न नलकूप ही लगा सकता है, न खाद वगैरह ही खरीद सकता है। अगर ऐसे लोगों को वास्तव में आप सम्पन्न बनाना चाहते हैं तो सहकारी खेती को बढ़ावा दीजिये नहीं तो खाद्यान्न की समस्या हल नहीं होगी

आज अगर किसी गांव में २ हजार आबादी है, तथा उसमें लगभग डेढ़ हजार हल होंगे और वहां दिन भर में भैंसा जोत कर पुराने हलों के जरिये मुश्किल से वह १० बिस्वा जमीन जोतता है और जिसमें मान्यवर, बुंदेलखण्ड में मैं जानता हूं १ बीघे मुश्किल से २०-२५, ३०-४० किलो तक चना या गेहूं पैदा करता है। अगर यही स्थिति रहेगी, सरकारी नीति रहेगी, तो कभी यह प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता है और न कृषि क्रांति कर सकता है। इसलिए सहकारी ऋणों के जरिये से ट्रैक्टर, पानी बिजली की व्यवस्था करा दें। इस प्रदेश की खेती का एक रूपान्तर होना चाहिए। बड़ी तकलीफ होती मान्यवर, कि इतना बड़ा खेतिहर प्रदेश, इतना बड़ा खेतिहर देश आज अपनी रोटी की समस्या हल नहीं कर सका। हालैंड एक छोटा सा मुल्क है, वहां पर...।

श्री अध्यक्ष—

कृपया इस बिल तक ही अपने को सीमित रखें।

श्री देव कुमार—

मान्यवर, मैं समाप्त कर रहा हूं। इतना अहम अधिनियम मान्यवर है। इस अधिनियम के जरिये जो यह सरकार करना चाहती है वह परिवर्तन नहीं हो सकता है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि सहकारी खेती को बढ़ावा देना चाहिए। किसानों की सेनायें बनानी चाहिए। भूमिहीनों, जिनको पट्टे दिये गये हैं उनको कब्जा दिलाया जाना चाहिए। बड़ी विडम्बना है जो काम

करना चाहते हैं, उनको काम नहीं मिलता । आज प्रदेश के अन्दर बड़े-बड़े फार्म हैं । ऐसे फार्म का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए । ऐसे फार्मों का अधिग्रहण होना चाहिए । जोतने वालों को जमीन दी जानी चाहिए । यह नारा राष्ट्रीय आंदोलन का था । मैं आपके माध्यम से इस सरकार को, जो सम्पूर्ण क्रांति का नारा बताती है, ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

इस पर सामान्य विवाद के लिए, आज इस विधेयक को पारित करने के लिए समय निर्धारित किया गया है । इसलिए साढ़े ३ बजे तक सामान्य विवाद का समय रखा जाय और साढ़े ३ बजे से साढ़े ४ बजे तक खण्डों पर विचार तथा पारित करने का समय रखा जाय ।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से अपना प्रस्ताव सदन के सम्मुख करता हूं ।

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९७७ को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिसको विधेयक की परिधि बढ़ाने का अधिकार हो और जो १५ दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

श्रीमन्, यह विधेयक जो माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, यों तो देखने में बहुत छोटा है, मालूम होता है कि रेवन्यू ऐक्ट लागू करके भूमिधर और आसामी दोनों ही श्रेणियों के काश्तकार बना दिये जायं । लेकिन मैंने यह संयुक्त प्रवर समिति के लिए प्रस्तुत किया है । वह इसलिये कि विधेयक में ६ जो बड़े अधिनियम हैं उनके ऊपर इसका असर पड़ता है । उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५०, जौनसार बावर जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६, कुमायूं तथा उत्तराखण्ड जमींदारी-विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९६०, यू० पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१, उत्तर प्रदेश भूमि विकास कर अधिनियम, १९७२ तथा उत्तर प्रदेश भूदान-यज्ञ अधिनियम, १९५२ तो श्रीमन्, यह देखा जा रहा है कि जमींदारी एबोलीशन ऐक्ट और जमीनों से संबंधित जितने भी ऐक्ट आज तक पास हुये हैं उनके सबके ऊपर इसका असर होता है और किस तरीके से इसमें जरा सी बात करने के बाद माननीय मंत्री जी ने सदन में इसको विचार के लिये रखा है, उससे मसला हल होने वाला नहीं है । प्रवर समिमित में तसल्ली के साथ बैठक हो और जो जमीनों से संबंधित ऐक्ट, अधिनियम आज तक बने हैं, उन सबका इस विधेयक पर क्या असर है यह देखा जाय । जमीनों की हालत इस वक्त कहां पहुंच गयी । लगान आदि देने की स्थिति अब क्या हो गयी है यह सारी चीजें देखने और सोचने के लिये इसे प्रवर समिति में जाना जरूरी है आप देखें लगान का मसला है ।

आज उत्तर प्रदेश में भिन्न-भिन्न प्रकार का जो लगान पड़ता है वह अलग-अलग है । मिसाल के तौर पर रामपुर के आस अंदर ५ गुना लागान है । मेरठ डिवीजन में लगान का परता कुछ और है । पूर्व में और बुंदेलखंड में कुछ और पड़ता है । इन सब चीजों को सामने रखते हुये हमें देखना होगा । मुझे याद है सन् ७३-७४ में एक बंदोबस्त के लिये शायद कुछ रुपयों का प्राविजन किया गया था, लेकिन

* बक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

[श्री रियासत हुसैन]

काम शायद आगे नहीं चला । पहले श्रीमन्, जमीनों की हैसियत को नापा जाना था, दोमट है, दोमट ओव्वल है, दोमट है या भूड़ है या मटियार है । इस तरह से देखा जाता था । लेकिन आज इस २० साल, २५ साल के त्रिकाल कार्यों के बाद जमीनों की हैसियत पैदावार और पानी से प्रभावित होती है । इसके बाद खाद का सवाल है । फिर यह देखा जाता है कि बीज इसमें अच्छा पड़े और फिर जमीन की किस्म आती है । अब २-२, ३-३ फसलों को पैदा किये जाने का युग है । लेकिन लगान वही चला आ रहा है । अलग-अलग लगाना है, कहीं ५ रुपये एकड़ है तो कहीं २०-३० रुपये एकड़ लगान है । तो इन सारी चीजों को जब हम देखते हैं तो उसके फायदा चाहे आप रिश्वत की शक्ल में कहें या किसी शक्ल में कह लीजिये, पूरा रेवेन्यू विभाग लेखपाल से लेकर, ऊपर तक, सारी चीजों का फायदा उठाते हैं और किसान के सामने सिवा परेशानियों के अलावा और कोई दूसरी चीज नहीं आती ।

मिसाल के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि कब्जे को दर्ज करने का मसला है । इसी सदन के अंदर यह फैसला हुआ था कि लेखपाल से कब्जा दर्ज करने की पावर छीन ली गई और यह हुआ कि कानूनगो मौके पर जाकर देखेगा कि किसी शख्स का कब्जा है या नहीं । खातेदार है या नहीं, कानूनगो अगर देखेगा तो उसके ऊपर कब्जा दर्ज होगा । इसके बाद कानूनगो को पावर देने से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। बड़े-बड़े लोगों ने फर्जी कब्जे कर लिये । कब्जा करने के बाद कहा और मकदमा लडते रहो । गरीब आदमी तो मुकदमा नहीं लड़ पाया । उसके बाद हाकिम परगना को यह अधिकार दिया गया । लेकिन अब यह अधिकार सरकार के अंदर सीमित है । कलेक्टर भी कब्जा दर्ज नहीं कर सकता है चाहे वही कब्जा हो ।

इसी तरीके से बहुत सी जगहों पर जगह-जगह सूबे में पहले कटाव नदियां से हुआ करते थे । बाढ़ आतीं थी। अब बांध बड़े बन गये, पानी आना बंद हो गया, बहुत से गांवों में जमीन उससे निकली । मिसाल के तौर पर मुरादाबाद में तहसील हसनपुर और तहसील मुरादाबाद में बहुत से गांव कटाव से निकले हैं लेकिन जिसने जहां चाहा वहां उसके कब्जा कर लिया है । गरीब आदमी रह गया है और ट्रैक्टर वालों ने कब्जा कर लिया है लेखपाल को ले गये और उसने जमीन नाप दिया फिर ट्रैक्टर वालों ने कब्जा कर लिया । इस प्रकार झगड़े खड़े हो गये हैं । राम गंगा का बांध बन गया तो उससे मुरादाबाद तहसील में अकेले ३० गांव निकले हैं । जमीन जो २० सालों में कटी थी, वह जमीन निकल आयी है लेकिन वह बेकार पड़ी है जिसकी लिखा-पढ़ी नहीं है । मुरादाबाद तहसील से यहां लिखा गया कि हमें नाप जोख के लिये स्टाफ दे दिया जाय लेकिन यहां से कुछ स्टाफ नहीं दिया गया है । इसलिए अभी तक जमीन की नाप नहीं शुरू हुई है । हजारों एकड़ जमीन बेकार पड़ी है ।

मान्यवर, २० साल बाद जनरेशन बढ़ जाती है, उनकी जरूरतें और हर चीज में परिवर्तन आता है । इसलिए २० साल बाद दुबारा बन्दोबस्त होना चाहिये । जो भी अधिनियम हों वह उस समय के लिए होने चाहिये । एक बिल पास करके ट्रान्सफरेबिल और नान-ट्रान्सफरेबिल दो तरह के भूमिधर बना दिये गये । एक १० गुना जमा करने वाले और दूसरे बिना १० गुना दिये हुये पट्टे दे दिये गये । बिना १० गुना दिये हुये जिनको जमीन दी गई, उनको जमीन तो

मिल जायेगी, लेकिन वह फिर जमीन का ट्रान्सफर नहीं कर पायेंगे । जो हरिजन वह ट्रान्फर नहीं कर पायेंगे । बिल में कहीं जिक्र नहीं किया गया है । रेवेन्यू रिकार्ड में कहीं जाति तो लिखी नहीं जाती । अब कहा जाता है कि कलेक्टर की परमीशन मिल जायेगी तो अनुसूचित जाति के लोग कोई भी ट्रान्सफर कर सकते हैं । परमीशन खरीदने वाले को तो जरूरत नहीं है लेकिन बेचने वाले को है । बिल में कौन किस कौम का है रिकार्ड में नहीं लिखा जाता । इसके बारे में सोचना पड़ेगा । इसके अलावा यह भी गैर मुनासिब है कि हरिजन लिखा जाय । फिर यदि बेचने की इजाजत दे दें तो वह हरिजन लैन्डलेस हो जायेंगे । अतः हरिजनों की जमीनों को ट्रान्सफर होने से कैसे रोकें इसका सोचना पड़ेगा । इसलिये बिना १० गुना जमा किये जो अधिकार दे दिया उस पर भी सोचना पड़ेगा । जो खरीदने वाला १० गुना जमा करता है, उसको वह कीमत में बेचने वाले से मुजरा कर लेता है । चूंकि इसके बारे में पहले तय हो जाता है कि १० गुना कौन देगा । खरीदने वाले को हक मिल गया, लेकिन उसका लगान आधा तो हुआ नहीं है । इसलिए भूमिधरी में लगान आधा होने की बात होनी चाहिये । इसलिए सोचना पड़ेगा और एक संयक्त प्रवर समिति में यह चीज देनी चाहिये । यह चीजें जो हो रही हैं वह ६-६ महीने में ऐक्ट को बदलते चले जाते हैं । तो जो मूल अधिनियम शुरू के हैं, उनकी शक्ल ही बदल गई है ।

(इस समय १ बजकर १ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री श्यामधर मिश्र पीठासीन हुए ।)

कुछ का कुछ हो गया और इस वजह से डिस्प्यूट खड़ा हो गया । अदालत में एक वकील एक चीज को लेकर खड़ा हो गया और फिर दूसरा वकील कहेगा कि यह संशोधन हो गया तो ऐसा है । गांव की जमीन का सम्बन्ध गांव सभा ऐक्ट से है, जमींदारी एबोलीशन ऐक्ट से भी है । और जो मैंने यह बातें कहीं इनसे भी है । इन सब से बड़ा विरोधाभास हो जाता है । इसलिए यह देखें कि ऐसी चीजें न हों । इसलिए बैठकर गम्भीरता पूर्वक सोचने समझने की जरूरत है ।

अब जमीनों के आवंटन और पट्टों का मामला चला । महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा चल रही थी तो यह चीजें सामने आईं कि दूबारा लोगों ने कब्जा कर लिया । बुनियादी बात यह है कि जिस गांव में आपका विभाग यानी विभाग के लोगों की दिलचस्पी हो गई वहां तो जमीन नप गई और आवंटित भी हो गई, चाहे वह गलत हो नपी और गलत ही आवंटित हुई लेकिन चूंकि कुछ लेना देना तय हो गया तो वह सारा काम हो गया । इसका नतीजा यह हुआ कि कहीं कहीं ऐसी जमीन आवंटित हो गई जो कि नहीं होनी चाहिए थी । मिसाल अर्ज करूं । तहसील ठाकुरद्वारे मुरादाबाद में दिलारी गांव में सर्वोदय इंटर कालेज है । जमीन कालेज के नाम दर्ज है, कब्जा भी कालेज का है लेकिन इस जोश में कि जमीन बांटनी है और हरिजनों को देना है तो मुखालिफ पार्टी ने उसको भी बंटवा दिया । दूसरी तरफ उसी तहसील में नाकूतना एक गांव है । वहां हरिजनों की जमीन थी उसी को हरिजनों को बांट दिया गया । उन लोगों ने कहा भी कि बगल में ३० एकड़ का फार्म है । उसमें से एक्वायर करके क्यों नहीं देते ? लेकिन नहीं, हरिजनों को ही जमीन बांट दी । जिस हरिजन को मिली वह भी कहता है कि यह तो हरिजन की जमीन है । उनकी ही जमीन क्यों बांट दी । तो इस तरह वहां झगड़ा चल रहा है । मेरी तहसील में धतुरा नगले का गांव है । वहां जाने के लिए मुरादाबाद जिले से होकर रामपुर से क्रास करते हैं तो कोसी का पुल पड़ता है । तीन गांव है । वहां जाना चाहें तो रामपुर को जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस है उसके बीच में से जाना पड़ता है माननीय बलदेव सिंह आर्य जब मंत्री थे तो

[श्री रियासत हुसेन--]

उन्होंने भी देखा था और कहा था कि इन तीनों गांवों को रामपुर में क्यों नहीं मिला देते । और ये चीजें आज तक फाइल में पड़ी रहीं । सारे गांव के आदमी चाहते हैं कि रामपुर में उन्हें शामिल कर दिया जाय मुरादाबाद से निकाल कर । माननीय मंत्री जी ने भी कहा, लेकिन आज तक कोई आदेश नहीं हो पाये ।

श्रीमन् जी, राजस्व विभाग का काम करने का ढंग और प्रणाली है, उसे देखते हुए मुझे बड़ा खेद होता है और इस पर मैं और भी बल देना चाहता हूं । अब तक तो यह था कि कांग्रेस की सरकार थी और उसके काम करने का तौर तरीका था और उसमें कोई भी परिवर्तन रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर रिश्वत लेने के तौर तरीके पर नहीं आ पाया लेकिन अब तो जनता पार्टी की सरकार है । मैं चाहता हूं कि श्रीमन्, कम से कम अब इस वक्त सख्ती के साथ कुछ तो परिवतन मालूम हो जिससे गांव के आदमी यह महसूस करें कि अब सूबे के अन्दर परिवर्तन आया है । लेकिन आज भी एस० डी० एम० आर्डर पर आर्डर लिख कर भेजता है तहसीलदार को कुछ कार्य करने का लेकिन वह ऐक्सीक्यूट, इमप्लीमेंट नहीं होता । यह सारी जिम्मेदारी तहसीलदार की होती है । तहसीलदार, लेखपाल, नायब तहसीलदार चाहें तो इमप्लीमेंट होंगे नहीं तो चाहे एस० डी० एम० आर्डर भेजे या डी० एम० आर्डर भेजे वे इमप्लीमेंट नहीं होंगे, वे पूरे नहीं होंगे और उन्हें पूरा करने के लिए जेब से कुछ न कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा ।

इस वक्त क्या दशा हो रही है । सरकार के स्पष्ट आदेश हैं कि जब तक यह तय न कर दें कि लगान की वसूली की जाय उस वक्त तक लगान वसूली न हो लेकिन लगान की वसूली हो रही है । सिंचाई कर की वसूलयाबी हो रही है । कलेक्शन अमीन को मालूम नहीं है कि कितना वसूल करना है । पांच गुना लगान बढ़ाया गया था । लेकिन वह सब वसूल कर रहा है, डेवलेप्मेंट कर आदि । आज तक सरकार ने यह निर्णय नहीं लिया है कि कितना लगान वसूल करना है, जिससे लोगों को मालूम हो जाय कि कितन वसूल करना है, लगान पुराना है या बढ़ा हुआ है । इन्हीं चीजों को देखते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि दो तरफ के माननीय सदस्यों को तसल्ली से बैठ कर--जैसा कि प्रवर समिति के माननीय सदस्यों में विचार-विमर्श होता है, इस बिल पर सोच-विचार करें और अपनी सिफारिश दें और इस सदन में इस मामले में विचार हो, इसके वाइड पावर्स के लिए, परिधि बढ़ाने के लिए और यह सदन जमीन के मामले में कानून बनाये जिससे बीस-पच्चीस साल पुराना कानून जो संशोधित होता चला आ रहा है और जिससे भ्रम पैदा हो जाता है उसे बदल कर एक कमप्रीहैनसिव ऐक्ट बनायें और यह तभी हो सकता है जब आप इस बिल को तसल्ली के लिए, इसे समझने के लिए प्रवर समिति के सुपुर्द करें ।

श्रीमन्, मैं और ज्यादा समय न ले कर यही एक बात फिर आपके द्वारा इस माननीय सदन से यह निवेदन करता हूं कि बिल को एक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो पन्द्रह दिन के अन्दर इस माननीय सदन में अपनी सिफारिश प्रस्तुत करें और उसके आधार पर एक कमप्रीहैनसिव रेवेन्यू का बिल बन, ऐक्ट बने जिससे सारे प्रदेश की जनता के सामने जो परेशानियां आ रही हैं, वे दूर की जा सकें । धन्यवाद ।

*श्री कमल किशन पाण्डेय (जिला पिथौरागढ़)--

मै उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९७७ का समर्थन करता हूं, लेकिन साथ ही साथ माननीय राजस्व मंत्री का खण्ड ७४ की तरफ ध्यान आकर्षित करता हूं ।

मान्यवर खंड ७४ के अन्तर्गत इस विधेयक से कुमायूं नयाबाद ऐक्ट, १९४८ को रद्द कर दिया गया है नयाबाद ऐक्ट, १९४८ कुमायूं की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए बना था । कुमायूं के ग्रामवासियों के कुछ प्राचीन हक हैं जो नयाबाद ऐक्ट के नये रूल्स के अन्तर्गत सुरक्षित रखे गये थे । ये हक सामूहिक तौर के थे जैसे गोचर की सुविधा, मकान के लिए लकड़ी की सुविधा और काश्त के लिए जमीन बढ़ाने की सुविधा । अब नयाबाद ऐक्ट, ४८ को रद्द करने से यह शंका पैदा होती है कि कहीं ये हक खत्म न हो जायं । राजस्व मन्त्री इन प्राचीन हक को मद्देनजर रखते हुए नया ऐक्ट लाने की कृपा करेंगे ताकि हमारे यहां की जनता को कोई कष्ट न हो । साधारण तौर पर मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि कुमायूं उत्तराखंड जमींदारी एबोलीशन ऐक्ट तथा उत्तर प्रदेश जमींदारी एबोलीशन ऐक्ट में जो जरूरी परिवर्तन किये गये हैं, उनसे आम काश्तकारों के हक और मजबूत होते हैं और समाजवाद लाने में सुविधा मिलती है ।

श्री नारायण सिंह भंसोरा (जिला पिथौरागढ़)—

अधिष्ठाता महोदय, इसके द्वारा कुमायूं तथा उत्तराखंड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, ६० में संशोधन किया जा रहा है उसका मैं स्वागत करता हूं । इस विधेयक के खंड ७४ में जो कुमायूं ऐक्ट का निरसन किया गया है इस सिलसिले में मुझे निवेदन करना है कि कुमायूं की अपनी भौगोलिक स्थिति के आधार पर वहां के लोगों को कुछ परम्परागत अधिकार उपलब्ध थे जिनके फलस्वरूप उनको चरगाह की सुविधा, मकान के लिये लकड़ी की सुविधा प्राप्त थी । यदि कुमायूं ऐक्ट समाप्त कर दिया जाता है तो ग्रामवासियों को इससे अत्यधिक कठिनाई होगी । फिर जिला मुख्यालय गांवों से ४, ४ मील की दूरी पर स्थित है । यातायात की असुविधा है । अगर ऐक्ट में संशोधन किया जाता है तो जिला प्रशासन के अधिकांश अधिकारियों को स्थिति का ज्ञान नहीं हो सकता कि किस गांव में किस गरीब की कितनी जमीन की आवश्यकता हो सकती है । यदि वह प्रार्थना-पत्र भी देता है और अधिकार वहां नहीं पहुंच पाता है तो ऐसी स्थिति में उसकी फरियाद अनसुनी रह जायगी । कुमायूं ऐक्ट लागू है, उसके स्थान पर दूसरी व्यवस्था की जाती है तो देखना यह होगा कि वह कुमायूं ऐक्ट में दी गई सुविधाओं को पूरा करता है या नहीं । प्रति परिवार औसत १-२ एकड़ ही जमीन है । जब यह ऐक्ट समाप्त हो जाता है तो इसके स्थान पर कोई दूसरा ऐक्ट नहीं आता है और परम्परागत अधिकारों के प्रति सरकार ध्यान नहीं देती है तो इससे वहां के लोगों को अत्यधिक कष्ट होगा । वहां छोटे-छोटे काश्तकार हैं जिनकी भूमि अनुपादक है, उससे भी वह वंचित रह जायेंगे और जैसे-जैसे आबादी बढ़ रही है उसमें उनको नये आबादी में भूमि नहीं मिल पायेगी । इसलिए मैं श्रीमन्, आप के द्वारा राजस्व मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह अतिशीघ्र इस दिशा में कोई कदम उठायें जिससे वहां की जनता मे असंतोष न हो और लोगों को जलाने के लिए लकड़ी और जानवरों को चराने में कठिनाई न हो ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)--

मान्यवर, मैं विपक्ष के सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूं कि यह जो विधेयक आया है उसका आप लोगों को हृदय से स्वागत करना चाहिये। मुझे दुख होता है जब इसका आपकी तरफ से विरोध हो रहा है क्योंकि यह विधेयक अध्यादेश के रूप में २० जनवरी, १९७७ को जब आपकी सरकार थी तब आया। इसके बाद आपका सत्र हुआ। फरवरी में लोक सभा के चुनाव में आप मात खा गये, आपने लगान बढ़ाई, सिंचाई दर बढ़ाई लेकिन जब आप पिट गये तो आपकी बुद्धि ठिकाने आई और इस अध्यादेश को लाये। लेकिन आपकी नियत साफ नहीं थी २८ जनवरी के बाद आपको मौका मिला लेकिन इसे आप विधेयक का रूप नहीं दे सके।

श्री अधिष्ठाता--

आप किसे संबोधित कर रहे हैं ? आपका मतलब किससे है ?

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

मान्यवर, मैं आपके मार्फत् भूतपूर्व कांग्रेस सरकार से कह रहा हूं। उस अध्यादेश का रूप अब विधेयक के रूप में आ रहा है। सौभाग्य की बात है कि जो कुछ भी चोट खाने के बाद आप इसे अध्यादेश के रूप में लाये उसे विधेयक का रूप दिय जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जमींदारी एबोलीशन ऐक्ट के पहले यू० पी० टेनेंसी एक्ट था। भूमि सरकार १९ और २० थी। जमींदारी एबोलीशन के बाद कुछ भौमिक अधिकार कम हुए और आज फिर इस विधेयक में भौमिक अधिकार कम हो रहे हैं। यही नहीं, भूमिधर के भी खंड बनाये गये हैं। हमने व्रत लिया है कि भूमिहीनों को जोतने के लिए खेत देंगे इसलिए इस विधेयक में व्यवस्था की गई है कि जो गांव समाज की जमीन या सीलिंग ऐक्ट से निकली जमीन है, उसका हस्तांतरण नहीं होगा। आप देख लें, हमने एक दफा निकाल दी है २११। श्रीमन्, जमींदारी एबोलीशन ऐक्ट में व्यवस्था है ट्रेस पासर के लिए। अगर कोई भी भूमिधर या सीरदार अपने अध्यासीन को एक समय के भीतर बेदखल नहीं करता है तो अध्यासीन को अधिकार मिल जाता है। अगर अध्यासीन-ट्रेस-पासर चाहता था, वह २११ में गांव समाज उसकी बेदखली कर देता था और उसका वह राइट खत्म हो जाता था। इसके द्वारा सरकार ने यह व्यवस्था कर दी है २११ निकाल कर कि अब जो खेत जोतेगा बोएगा, वह उसका मालिक होगा, अन्य कोई नहीं होगा। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि जो काम आप चाहते थे, उस काम को हमारी सरकार कर रही है। आप लोग जो बोल रहे हैं, उससे ऐसा मालूम पड़ता है कि आप लोग अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं। जमीन नहीं बंटी तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है ? इसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं।

आप सदन में भ्रम फैलाना चाहते हैं, दर्शकों में भ्रम फैलाना चाहते हैं। इसलिए मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि विपक्ष से जो तर्क प्रस्तुत किए गये हैं, वे निराधार और भ्रमजाल हैं। मैं मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि विकास कर में संशोधन हुआ है, मेरी राय में विकास कर नहीं लगना चाहिये। कांग्रेसी सरकार ने उत्तर प्रदेश में इसे लगाकर एक बड़ा पाप किया है। लगान एक कर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है और जब वह कर हैं तो उसी कर पर नया कर लगे, इस प्रकार की व्यवस्था विश्व में आपको कहीं नहीं मिलेगी । यह कांग्रेस की देन है । इसलिए मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वह एक बड़ा संशोधन इस विकास कर की समाप्ति के विषय में लाएं । जहां नदियां हैं, नदियां बहुत सी बालू बहाकर ले जाती हैं और तमाम भूमि पर बालू हो जाती है । बलिया में हर वर्ष हजारों एकड़ जमीन बालू में हो जाती है लेकिन उस बालू व पानी पर भी विकास कर लगता है और उस जमीन पर फसल न होने के कारण किसान उसे दे नहीं पाता है और उसे जेलों में जाना पड़ता है । इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं और विपक्ष से आशा रखता हूं कि जल्दी में वह इसे पारित करे ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं बड़ा आभारी हूं कि आपने इस उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९७७ पर बोलने के लिए मुझे सुअवसर दिया । माननीय, इसकी पृष्ठ भूमि में जैसा कि हम जानते हैं जब कांग्रेस सरकार थी, उसके मुख्य मंत्री जी ने एलान किया था कि सारे सीरदारों को भूमिधर बना दिया जाएगा । उसके पश्चात एक अध्यादेश निकला, अब उसके बदले में एक विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है । भूमि को ३ श्रेणियां रखी गई थीं और इसमें उसे दो श्रेणियों में रखने का प्रयास किया गया है । ऐसा लगता है कि इस विधेयक को बनाने में कुछ जल्दबाजी की गई है । माननीय मंत्री जी हमारी बात सुन लें । कहा जाता है कि ३ श्रेणी को हमने दो में ला दिया, लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं है । इसमें संक्रमणीय अधिकार वाले और असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर और फिर असामी रखे गये हैं । इस प्रकार से ये तीन ही श्रेणियां हो गई हैं । इसलिए अच्छा यह होता कि आप भूमिधर रखते और अहस्तान्तरित अधिकार वाले न रखते, तो यह उचित होता । इसके अतिरिक्त एक बात यह निवेदन करनी है कि बहुत से लोग ऐसे हैं, जिन्होंने लगान २० गुना देकर भूमिधरी के अधिकार प्राप्त किए हैं ।

सब को एक बराबर कर दिया गया है । यह उचित नहीं है । जिनका लगान आधा था, जब लगान बढ़ा तो सब का एक तरह कर दिया गया, यह बात उचित नहीं है । इसलिए माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस पर विचार करें । जिन सीरदारों ने २० गुना रुपया दे कर भूमिधरी अधिकार प्राप्त किये थे और उनका लगान आधा हो गया था, उनका लगान आधा रहे । तो मैं समझूंगा कि न्याय किया जायगा । इस विधेयक में एक संशोधन है, जिसमें यह प्रयास किया गया है कि जितने भी इस समय अधिनियम हैं, जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५०, कुमायूं तथा उत्तराखंड जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९६०, यू० पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१, भूमि विकास अधिनियम, १९७२, भू-दान यज्ञ अधिनियम, १९५२ और कुमायूं नयाबाद और बंजर भूमि का ऐक्ट, १९४८, इन सब में एकरूपता लाने का प्रयास किया गया है । जहां सीरदार हैं वहां उनको भूमिधर बनाने का प्रयास इस अधिनियम के माध्यम से किया गया है । यह बिलकुल ठीक है ।

केवल एक बात कहूंगा । इसमें कहा गया है कि जमींदारी विनाश के पश्चात् कुमायूं नयाबाद और बंजर भूमि का ऐक्ट, १९४८ के उपबन्ध अव्यवहार्य हो गये थे । अतः इस ऐक्ट को निरसित किया जा रहा है । कलेक्टरों को पहले ही आदेश जारी किया जा चुका है कि कृषि, आवासिक और औद्योगिक प्रयोजन के लिए गवर्नमेंट ग्रांट ऐक्ट के अधीन पट्टा और अनुदान स्वीकृत किया जा

[श्री देव बहादुर सिंह--]

सकता हैं । पहले ऐसा होता था कि यहां पर हिस्सेदार और खासकर अपनी जोत के नजदीक खाली भूमि को जीत लेते थे । अब ऐसा हो रहा है नया आदेश पाने के बाद कलेक्टर पट्टे पर उक्त भूमि देता है । वहां मुट्ठी और नाली में जमीन है । लोग इतने परेशान हैं । जो पहले नियम था उसके अनुसार जो थोड़ी जमीन किसान की भूमि के पास थी, अपने कब्जे में रखता था । वह उसकी हो जाती थी । जो लगान उस भूमि का पहले से चला आया है, उसी लगान पर वह दिया जाय तो न्याय संगत होगा ।

इसमें एक बात और की गयी है । इसमें भूमि विकास कर के सम्बन्ध में एक समिति बनाने का प्राविधान किया गया है । उसमें राजस्व मंत्री और विभिन्न विभागों के सचिव हैं । उसमें यह भी व्यवस्था की गई है कि जितने विभागों के सचिव हैं अपने अपने प्रस्ताव तैयार करेंगे जिसमे ग्रामीण विकास के लिए कहां कहां क्या आवश्यकता है, उसी हिसाब से धन आबंटित करेंगे । जब यह सरकार बनी तो किसी माननीय मंत्री ने यह घोषणा की थी कि भूमि विकास कर समाप्त कर दिया गया । अगर यह सच है, या नहीं, क्योंकि सदन में इस तरह का अध्यादेश देखने को नहीं मिला, लेकिन अगर समाप्त कर दिया गया हो तो इस समिति की आवश्यकता नहीं है । इस पर भी विचार करने की बात है । इस पर माननीय मंत्री प्रकाश डालेंगे ।

भूमि विकास कर अगर समाप्त कर दिया गया है । तो अच्छा है । मैं इसका स्वागत करूंगा । इसी प्रकार का एक अध्यादेश संख्या १२, १९७७ माननीय राज्यपाल ने अपने हस्ताक्षर से लागू किया था । इसमें जो मालगुजारी बढ़ायी गयी थी उसको कम करने का प्राविधान किया गया था उसमें यह व्यवस्था की गयी थी कि जो मालगुजारी ३० जून, १९७६ को देय थी वही लागू कर दी गयी । आज तक इस अध्यादेश के बदले में कोई विधेयक क्यों नहीं प्रस्तुत किया गया ? लगता यह है कि सरकार शायद यह सोच रही है कि यह मालगुजारी न कम की जाय । अगर यह बात है तो मैं राजस्व मंत्री से निवेदन करूंगा कि विधेयक के बारे में जब बोले तो इस पर प्रकाश डालें कि सरकार की नियत क्या है ।

क्या इसको निरस्त करने का इरादा रखते हैं या आप कोई विधेयक लाने का प्रयास करेंगे । इस तरह की बात आप बतावें तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी । इसके साथ ही साथ में आप से यह भी कहना चाहता हूं कि इसमें जो खामियां रह गयी है उनको भी दूर करने का आप प्रयास करें । एक कानून भू-गृह आदि अधिनियम, १९७२ बना था । उस कानून में कुछ गांव क्षेत्र वर्णित थे । उसके अनुसार यदि कोई आदमी अपना मकान बना लेता है तो उस पर मुकदमा चलाया जाता है और उस पर भारी जुर्माने किए जाते हैं । यह मुकदमे मुख्य रूप से नैनीताल जिले में चल रहे हैं जिनकी ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं । मैं चाहता हूं कि इसकी जांच आप करा लें और जो लोगो को कष्ट है उसको दूर करें । मैं कहता हूं कि यह कानून जो है वह एक काला कानून है उसको आप निरस्त कर दें तो अच्छा होगा मैं आशा करता हूं कि कांग्रेस सरकार जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस विधेयक को लायी थी, उस उद्देश्य की पूर्ति आप अवश्य करेंगे । इन शब्दो के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं ।

*श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, इस विधेयक के बारे में

---

*वक्ता के भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पक्ष और विपक्ष की ओर से समर्थन किए गये । यह मामला भूमि का है । भूमि का प्रदेश की जनता से ऐतिहासिक रिश्ता रहा है । उसके सम्बन्ध में जो कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाये और जो दिक्कते हैं, उनको देखें और उन पर विचार करें । अधिकांश यह देखा गया है कि भूमि के सम्बन्ध में बहुत सी कठिनाइयां हैं । लोग अपनी शिकायतें लेकर अधिकारियों के पास जाते हैं लेकिन यह देखा गया है कि सम्बन्धित अधिकारी उनकी कठिनाईयों से लगाव नहीं रखते हैं और उनकी कठिनाईयों को हल नहीं कर पाते हैं । वे जनसाधारण से बात नहीं करना चाहते हैं ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके जरिए सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में बहुत से ऐसे मामले हैं कि किसान जमींदारों की भूमि वर्षों से जोतते चले आ रहे हैं, लेकिन उसका पट्टा अभी तक उनके नाम नहीं हो पाया है । जमींदार अत्तरदार होते हैं और वह पट्टे उनके नाम होने नहीं देते हैं । ये लोग अपने खेतों को स्वयं नहीं जोतते हैं और न उससे उनका सम्बन्ध है । गरीब लोग उनको जोतते हैं । इसी तरह की कठिनाई मेरे जिले बाराबंकी में भी है । इसी तरह की कठिनाई मेरे जिले के रामसनेही घाट तहसील में है ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सुन्दर लाल जी, कृपया प्रासंगिक बात पर आयें । इस प्रकार की तो बहुत सी बातें हो सकती हैं ।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

तो मैं यह चाहता हूं कि अगर इसमें कुछ कमियां हैं तो आप मामले को टालें नहीं, उनको ध्यान से सुनें और समिति में आज ही इस पर विचार हो । जो यह जिक्र किया गया है कि इस में केवल सरकारी पक्ष के लोग और सचिव आदि रखे जायेंगे उस कमेटी में ताकि वे योजना को लागू कर सकें, यह उचित नहीं है । मैं तो चाहूंगा कि इस समिति में माननीय नेता विरोधी दल को और विरोध पक्ष के लोगों को भी उसमें रखा जाय । आप को चाहिए कि आप दलगत भावना से ऊपर उठकर प्रदेश के किसानों के हित में एक नयी व्यवस्था बनायें ।

श्री लक्खी सिंह (जिला मथुरा)—

अधिष्ठाता महोदय, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर दिया। फिर मैं अपने माननीय मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि जिनकी वजह से आज ४० वर्ष के बाद हमें यह कहने का मौका मिला है किसानों से कि वे अपनी जमीन के मालिक हो गये । ४० वर्ष पूर्व हम यह कहा करते थे कि स्वराज्य मिलेगा और उसके बाद किसान अपनी जमीन का मालिक होगा, जो जोतेगा, जो बोयेगा, वही जमीन का मालिक होगा । माननीय शम्भूनाथ चौधरी ने ठीक ही कहा कि 'भूत' सरकारों ने बड़ा धोखा दिया । वैसे तो जमींदारी प्रथा भूत सरकारों के ही जमाने में खत्म हुई लेकिन गांधी जी के नेतृत्व में जो कहा गया था कि जमींदारी प्रथा बिना मुआविजा दिए खत्म होगी, वह उनकी इच्छानुसार नहीं हुआ । 'भूत' सरकारों ने गरीब किसानों को लूटा, दिन दहाड़े उनके यहां पर डकैती डाली और उनसे १० गुना लगान वसूल किया गया । हम सोसलिस्ट पार्टी में थे । हमारे नेता डाक्टर राम मनोहर लोहिया और लोक नायक, श्री जय प्रकाश नारायण जी ने आदेश दिया था कि १०

[श्री लक्खी सिंह---]

गुने का डट कर विरोध करो। हमारे साथी जब यह विरोध करते थे तो ये 'भून' सरकारें हमें पकड़ लेती थी और तब भी हम यह कहते थे कि सोशलिस्ट पार्टी का यह एलान नहीं देंगे १० गुना लगान। आज हमारे राजस्व मंत्री जी इसी-लिए धन्यवाद के पात्र हैं कि उनके कारण ही हम किसानों से यह कहने लायक हो गये हैं कि आज वे अपनी जमीन के मालिक हैं, बिना मुआमिजा दिए मालिक हैं। इन्होंने तो फिर डकैती डाली थी कि १० गुने के बजाय २० गुना लगान लिया। इलेक्शन के पूर्व वोट लेने के लिए हमारे माननीय तिवारी जी ने और इनके राज्यपाल ने कुछ दिन पूर्व एक आर्डिनेन्स जारी किया। इसमें अगर उनकी सच्ची नियत थी तो विधेयक ला सकते थे। हमारे राजस्व मंत्री जी ने ही इस प्रकार का विधेयक सदन में पेश किया। वास्तव में धोखा तो हमें 'नसकट' सरकार ने दिया था। (कुछ सदस्य यह कौन सा सरकार है) यह मैं, उनका भूत कांग्रेस सरकार का नामकरण संस्कार कर रहा हूं।

श्रीमन्, जो शम्भूनाथ चौधरी जी ने कही है विकास कर वाली बात, इसे जरा नोट करें अधिष्ठाता महोदय, हम तो इसे विनाश कर कहते थे। विकास कर नहीं विनाश कर। यह किसानों के लिए विनाश का कानून बनाया था इसे भूतपूर्व 'नसकट' सरकार ने। श्रीमन्, अभी तक नहीं हटायां, मैं मथुरा जिले से चुनकर आता हूं। वहां छाता क्षेत्र है जो हरियाणा और राजस्थान से मिला हुआ है। माननीय तिवारी जी ने जो हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री थे, बड़ा ड्रामा किया। एक बांध था लालपुर। वह टूट गया। बंसीलाल ने, हरियाणा के थे रक्षा मंत्री, उन्होंने तुड़वाया जिससे मथुरा जिले के दो तहसीलों में जल-प्रलय हो गया। वहां से पब्लिक गांव से भाग गयी, सब गल्ला, भूसा सारा तहस नहस हो गया, सारे मकान तहस नहस हो गये और यह सरकार कानों में तेल डालकर कुम्भकरण की नींद में सोती रही। यह भूतपूर्व सरकार। जब हल्ला मचाया तो तिवारी जी चले हेलीकाप्टर लेकर। हेलीकाप्टर आसमान में उड़ता था और कई लाख रुपया उस बांध पर खर्च कर दिया। क्या किया जाकर देख लीजिये, वहां एक पैसा भी नहीं लगा और अब घटना घट रही है कि निकट भविष्य में फिर आम लोगों ने अपनी सरकार से कहा है कि जल-प्रलय होने वाला है उसका प्रबन्ध करो ....

श्री अधिष्ठाता---

माननीय लक्खी सिंह जी जरा सुन लें।

श्री लक्खी सिंह---

राजस्व मंत्रीजी विकास कर को बिल्कुल रद्द कर दीजिये, यह विनास कर है। इन शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को खत्म करता हूं।

*डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)---

माननीय अधिष्ठाता जी, प्रस्तुत उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन विधेयक जिसके अन्तर्गत ७ कानूनों का समाहार किया गया है और संशोधन किया गया है, इस संबन्ध में इतना ही कहना है कि यद्यपि यह संशोधन सामयिक है, लेकिन सामयिक आवश्यकता संभवतः इस बात की थी कि जैसा कि अभी इसके पहले माननीय रियासत हुसैन साहब ने भी कहा कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, समस्त

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भारत वर्ष में भी किसी एक काम्प्रिहेन्सिव ऐक्ट की जरूरत है जो जमीन के सम्बन्ध में पूरी पूरी व्यवस्था कर सके । अभी तक प्रदेश और देश की जमीन के सम्बन्ध में करीब-करीब ५२ कानून बनाये गये हैं और राजस्व मंत्री जी जानते और अधिष्ठाता जी, आप भी जानते हैं कि जब हम कभी ग्राम्य विकास की बात करते हैं और जनता पार्टी के मेनिफेस्टो के मुताबिक नव बिकास की बात करते हैं तो इस प्रकार का संशोधन प्रस्तुत किया गया है इसकी तात्कालिक आवश्यकता के अनुरूप । चूंकि बहुत सारी दिक्कतें थीं, उसको पास किया जाना चाहिए था, लेकिन साथ ही साथ इसके पूर्व हमें एक बड़े पैमाने पर समग्र रूप में एक विधि और कानून बनाने की जरूरत है इसलिए भी जैसा कि राजस्व मंत्री जी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के १ लाख १२ हजार गांवों का इससे सम्बन्ध होगा

यह विधेयक लाया गया आप यह भी जानते हैं कि कृषि के माध्यम से करीब-करीब ६० प्रतिशत आमदनी राज्य को होती है । यह भी जानते हैं कि ८६ प्रतिशत गांव के लोग कृषि में लगे हुए हैं । आप यह भी जानते ह कि जब हम पावरटी की बात करते हैं तो ७० प्रतिशत का इसका बहुमत गांव में ही रहता है और २७० रुपया जो पर-कैपिट इनकम है, उसमें से अगर केवल गांव की परकैपिटा इनकम ली जायगी तो १०-१२ रुपया प्रति माह से ज्यादा नहीं पड़ेगी । जब हमारा विकास खेती पर निर्भर है तो १०-१२ रुपया पाने वाले लोगों के लिये विकास कर की कोई जरूरत नहीं है । और अगर उनका विकास करना है तो १६७ लाख हेक्टेयर जमीन पर आप खेती करते हैं उत्तर प्रदेश में और मुश्किल से उसमें से ७२ लाख हेक्टेयर जमीन को सिचाई कर पाते हैं । दो फसल वाली जमीन मुश्किल से २० प्रतिशत है । और जो यह ग्रामीण विकास निधि आपने प्रस्तुत किया है, इसके सम्बन्ध में आप यह कर सकें कि जो जमीन से पैदा होगा उसको आप लैंडलेस लेबर के रूप में ज्यादा दे सकें और ग्रामीण विकास निधि को ग्रामीण श्रमिक निधि के रूप में बदल सकें तो अच्छा होगा ।

मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुये इतना ही कहना चाहता था कि आप इस कानून का सुधार करने जा रहे हैं यद्यपि यह बात सही है कि इसमें पुनर्विचार की आवश्यकता है, लेकिन साथ ही साथ यह भी सही है कि इसके लिये बड़े पैमाने पर कानून बनाने की जरूरत है, केवल इन्हीं ७ कानूनों के संशोधन से काम चलने वाला नहीं है । आज प्रदेश में पता नहीं कितनी जमीन परती पड़ी है, बन्जर पड़ी हुई है, कितनी जमीन नदियों के किनारे पड़ी हुई है, लेकिन मैं जानता हूं हमारे कितने भी माननीय सदस्य हैं उनके दिमाग में सिंचाई की व्यवस्था, भूमि की व्यवस्था और उपज बढ़ाने की व्यवस्था है । इतना जरूर मैं कहना चाहता हूं कि जब डेवलपमेंट और प्लानिंग की बात आती है, एकोनामी की बात आती है, तो सब से पहले हमें खेती की तरफ ही देखना पड़ेगा । यह तो महज ऊंट के मुंह में जीरा है जो कुछ इसमें किया हुआ है वह हमारे प्रतिपक्ष की सरकारों की ही बात है । यह सही है कि हमने बहुत ज्यादा काम उद्योगों पर भी नहीं किया । केवल १२ प्रतिशत आय राष्ट्र की उद्योगों के नाते होती है, लेकिन जो गांवों के सम्बन्ध में डिस्पैरिटी की बात कही गयी है, उसकी उपेक्षा की गयी है । हरियाणा और पंजाब के मुकाबले में जब हम उत्तर प्रदेश के १ लाख १२ हजार गांवों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम किसी दूसरी दुनियां में हैं । हमें यह भी पता नहीं है कि बिलो पावर्टी लाइन जिन्दा रहने वाले लोग मास हंगर के शिकार हैं ।

[डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश']

यह हमारी जिम्मेवारी है कि उनके लिये कम से कम भोजन का प्रबन्ध हम कर सकें। यह न केवल इस देश की समस्या है बल्कि यूनस्को के माध्यम से जो आंकड़े प्रस्तुत किये गये थे उसके मुताबिक दुनियां के जो १९७ अन्डर डेवलप्ड या डेवलपिंग कन्ट्रीज हैं उनमें से १४ ऐसे मुल्क हैं जहां खेती की उपेक्षा की गयी है।

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया। मैं कुछ सुझाव लिख कर भी रेवेन्यू मिनिस्टर को दूंगा क्योंकि यहां ज्यादा विचारों का प्रकट करना उचित नहीं होगा और मैं विश्वास करता हूं कि भविष्य में ग्रामीण विकास समिति के माध्यम से, ग्रामीण श्रमिक निधि के माध्यम से उन लोगों को उठायेंगे जो इसके लिये उनकी ओर निहार रहे हैं। धन्यवाद।

* श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय रियासत हुसैन ने जो संशोधन पेश किया है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जहां तक इस विधेयक की मंशा का सवाल है वह सराहनीय है। हम तो इसके लिये माननीय मंत्री जी को श्रेय देना चाहते हैं, पर बदकिस्मती से माननीय श्री शम्भूनाथ जी ने उसका श्रेय लेने से इनकार कर दिया और श्रेय दे दिया कांग्रेस वालों को। तो आप जब खुद श्रेय नहीं लेना चाहते तो हमसे जबरदस्ती क्यों श्रेय ले रहे हैं।

जहां तक यह चीज है कि भूमि नाजायज तरीके से न चली जाये, वह भूमिहीनों को ही मिले, यह चीज सराहनीय है। किन्तु फिर भी इसको प्रवर समिति में भेजना चाहिये जिसे इस विधेयक की परिधि भी बढ़ाने का अधिकार हो। जमीदारी विनाश के बाद से भूमि सम्बन्धी जितने भी कानून बने उनमें आये दिन संशोधन होते रहे। लगातार एक के बाद एक संशोधन हुआ। इसलिये इस विधेयक को प्रवर समिति में जाने की जरूरत है ताकि यह विधेयक ऐसा विधेयक बन कर आये कि भविष्य में फिर इसमें कोई संशोधन न करना पड़े। वहां पर तमाम पहलुओं पर अच्छी तरह से विचार हो सकेगा।

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या भूमिहीन हरिजनों की है। हमारे यहां बन कट सकते नहीं, जो जमीन है वह बहुत कम है। जो थर्ड क्लास जमीन होती है वही हरिजनों को पट्टे पर दी गयी है और वह इसलिये दी गयी कि सूचना विभाग के फोटोग्राफर्स वहां पहुंच जायें, मंत्री जी का फोटो भूमि बांटते हुये छप जाये और यह प्रचार हो जाये कि इतने हरिजनों को जमीन बांटी गयी। नैनीताल जिले में ही पंडित गोविन्द वल्लभ पंत ने ४ लाख एकड़ जमीन आवंटित की थी, और यह कहा था कि वह भूमिहीनों को, हरिजनों को, सेना एवं सिपाहियों को मिलेगी। मगर वह उनको आवंटित नहीं हुई, मिली उनको जो मिलीटरी के बड़े-बड़े जनरल्स थे, जो कांग्रेस के असरदार लोग थे, बड़े-बड़े मिनिस्टर्स थे, यहां के ही नहीं बल्कि पंजाब और दूसरी जगह के लोगों ने उस जमीन को हथिया लिया। इस बात की लगातार मांग हुई कि उसकी जांच करवायी जाये। भूतपूर्व सचिव, सानवाल साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी भी गठित हुई थी जिसकी सिफारिशें वैसी ही पड़ी हैं। माननीय नारायण दत्त तिवारी जी की भी हिम्मत नहीं पड़ी कि उस मामले में वे कुछ कर सकें क्योंकि उनमें तो बड़े-बड़े भूमिधर सम्मिलित थे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मंगलदेव विशारद कमेटी की रिपोर्ट और उनकी सिफारिशें भी खटाई में पड़ी हैं। कांग्रेस के लोगों ने गलती की उसका उनको नतीजा मिला, इतनी बड़ी पार्टी कम होकर ४६ रह गयी, कुछ असर हमारी पार्टी पर भी पड़ा हमारी भी पिटायी हुई। लेकिन जनता पार्टी तो इतने विशाल बहुमत में आयी है, उसको इन कमेटियों की सिफारिशों पर विचार करना चाहिये।

मैं समझता हूं माननीय, आज समय आ गया है, हमारे अभी मित्र जो कह रहे थे, मैं उनकी भावना की कद्र करता हूं। आप और हम मिल कर संघर्ष करें जो बड़े-बड़े लोग भूमि हथियाये बैठे हैं, भूमि की चोरी किये बैठे हैं- हम वह जमीनें लें। माननीय मुख्य मंत्री जी अपनी पुलिस को कहें कि वह तटस्थ हो जाय, और यदि ऐसा नहीं कहे, तो कहीं हम भूमि को हथियाने चलेंगे, तो पुलिस का डंडा हमारे ऊपर चलने लगेगा। अकेले कानून पास करने से भूमि हमको नहीं मिलेगी। इसके लिए कमेटी हमको, आपको मिल कर बनानी चाहिए। मान्यवर, सनवाल कमेटी की रिपोर्ट देख लें, मान्यवर, मंगलदेव विशारद की रिपोर्टों का अवलोकन करें। कांग्रेस वालों को गाली देने से काम नहीं चलेगा। आज मौका है, उन तमाम रिपोर्टों का अवलोकन करें और उन पर आप अमल करें। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान पर्वतीय क्षेत्र की तरफ दिलाना चाहता हूं। इस ऐक्ट से पर्वतीय क्षेत्र पर क्या असर पड़ रहा है, माननीय मंत्री जी इस पर भी ध्यान देने की कोशिश करें।

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में कुमायूं तथा उत्तराखंड जमींदारी-विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम अब वहां पर लागू हो गया है। जिस क्षेत्र से मैं आता हूं वह पहले एक देशी रियासत थी, तमाम बंजर जमीन थी, वह राजा के नाम लिखी जाती थी, जमींदारी का विलीनीकरण हो गया, कुमायूं तथा उत्तराखंड जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम पास हो गया, लेकिन हमारे यहां ग्राम समाज गठित नहीं हुई। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि पर्वतीय क्षेत्र में स्कूलों के लिए जो जमीन गवर्नमेंट ग्रांट ऐक्ट में रख रखा है, उसका प्रीमियम इतना ज्यादा है कि कोई इतना पैसा नहीं दे सकता है। मान्यवर, कोई ऐसा विकल्प रखें कि हम कलेक्टर के जरिये स्कूलों के लिए, अस्पतालों के लिए, सार्वजनिक प्रयोगों के लिए भूमि ले सकें। आपके दल के दो हमारे साथी पिथौरागढ़ के एम० एल० एज० हैं। मैं आप से निवेदन करूंगा कि पहाड़ की विशेष परिस्थितियों को देख कर कोई ऐसा विकल्प निकालें ताकि सार्वजनिक कार्यों के लिए हम जमीन कलेक्टर द्वारा मंजूर करा सकें।

*श्री राज वृजराज सिंह (जिला खीरी)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९७७ जो सदन में प्रस्तुत हो रहा है, यह समय के अनुरूप और सर्वथा अनुकूल है। मान्यवर, यह विधेयक बहुत ही उचित समय पर सदन में प्रस्तुत हो रहा है। हमारे महामहिम राज्यपाल की जो घोषणा हुई और जो उनका अभिभाषण हुआ, उससे भी हमको प्रतिविम्ब मिलती है। उन्होंने ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देने के लिए प्राविधान किया है।

मान्यवर, जो राज्यपाल का भाषण होता है वह राज्य के होने वाले कार्यकलापों की प्रस्तावना होती है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राज बृजराज सिंह]

जो कार्य राज्य सरकार करेगी उसका इसमें विग्दर्शन होता है। मान्यवर, इसमें उन्होंने मेरी सरकार की नीतियों के बारे में कहा है। उन्होंने कहा है कि मेरी सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि आयोग की संस्तुतियों का यथासम्भव कार्य किया जायेगा। कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायगी और विशेषरूप से छोटे एवं कमजोर कृषकों को उत्पादकता तथा फसल सघनता बढ़ाने के लिये सुविधायें देने का प्रयास किया जायेगा।

मान्यवर, मेरा विश्वास है कि यह जो विधेयक प्रस्तुत हुआ है इससे विशेषकर छोटे काश्तकार और सीमांत काश्तकार लाभांवित होंगे। मान्यवर, चाहे इधर पक्ष में बैठने वाले हों और चाहे उधर के पक्ष में बैठने वाले हों सभी जानते हैं कि हमारे राजस्व विभाग में क्या-क्या खामियां थीं और कितना भ्रष्टाचार था। अब भी किसी हद तक हो सकता है। इस भ्रष्टाचार के कारण बड़े लोग फायदा उठाते थे और छोटे काश्तकारों को हमेशा नुकसान पहुंचता था। आपने देखा, पहले कांग्रेस सरकार ने यह प्राविधान किया था कि १० गुना दाखिल करके कोई भूमि धर बन सकता था। लेकिन उसके बाद कांग्रेस सरकार ने यह किया कि २० गुना दाखिल करके कोई काश्तकार भूमिधर बन सकता है। परन्तु जनता पार्टी की सरकार बधाई दिये जाने की हकदार है कि उसने इस विधेयक में किसी भी लगान १० या २० गुने की बात नहीं कही। बिना इसके कोई काश्तकार भूमिधर बन सकता है।

मान्यवर, नेगी साहब ने इसको प्रवर समिति में भेजने की बात कही है। उनकी मंशा है कि विलम्ब हो, देर हो। मैं समझता हूं कि अच्छे काम में विलम्ब और देर नहीं होना चाहिये। उन्होंने कहा कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय, विचार हो जिससे आये दिन संशोधन न आयें। मान्यवर, संशोधन या परिवर्तन यह सब समयानुकूल होते रहते हैं। और होते रहेंगें। क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। मैं समझता हूं कि ज्यों ज्यों नयी नयी आवश्यकतायें होंगी, आवश्कताओं का जन्म होगा तो संशोधन फिर आयेंगे। क्या इसको प्रवर समिति में भेजने के बाद कोई इसकी गारंटी है कि फिर कोई संशोधन नहीं आयेगा ? इसलिये प्रवर समिति में सौंपने वाली बात मेरी समझ में नहीं आती है।

मान्यवर, कांग्रेस सरकार, यह भूमि विधि संशोधन विधेयक, अध्यादेश के द्वारा जनवरी में लाया थी। परन्तु शायद उसके भाग्य में नहीं बदा था कि इसको कानून की शक्ल दे सके। आज उन्हीं भावनाओं का आदर करते हुये जनता पार्टी सरकार ने इसको कार्यान्वित किया। तो जो अन्तर है विटवीन बीच एण्ड परफारमेंस उसको रिवाइज करना चाहिये। जो कथनी और करनी का अन्तर है उसको खत्म करना चाहिये। यह विधेयक खासकर सीमान्त काश्तकारों के लिये अच्छा होगा। मान्यवर, अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि इससे छोटे कास्तकार जमीन बेचने के लिये लालायित रहेंगे। तो क्या आज भी जिनको बेचना है क्या नहीं बेचते हैं ? लोग बयाना लेकर बेच देते हैं। १० या २० गुना जमा करके, भूमिधरों को हासिल करने के बाद जमीन बेच देते हैं। बेचने के अनेक तरीके हैं। इकरारनामा आदि करके बेच देते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं समझता हूं कि यह जो विधेयक हमारे राजस्व मंत्री जी ने पेश किया है, उसको बिना किसी सन्देह के और बाद विवाद के दोनों पक्षों की

ओर से स्वागत किया जाना चाहिये । यह एक सामयिक विधेयक है और इसको प्रवर समिति में भेजने की कोई आवश्यकता मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिये और इसे तत्काल पारित करना चाहिय । मैं समझता हूं कि छोटे काश्तकारों के लिये और कृषक समाज के लिये यह विधेयक हितकर होगा ।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सदन में राजस्व मंत्री ने जो जमींदारी उन्मूलन भूमि व्यवस्था नियमावली, १९५२ को संशोधित करने की दृष्टि से जो नियमावली बनाते हैं उसके सम्बन्ध में मुझे कहना है कि चाहे वह सरकार हो जिसका बहुमत होगा वह इस सरकार की कुर्सी पर बैठेगा । उसका अपना दल सरकार के नियमों को पूरा करने के लिये होता है । मुझे ताज्जुब होगा कि १९५२ में जब ऐक्ट बना था उस समय से आज तक इसमें कृषि विभाग में इस जमींदारी उल्मूलन को लेकर प्रतिदिन और हर साल संशोधन होते रहें हैं । करीब-करीब इसमें काफी संशोधन हुये हैं । आज भी संशोधन के रूप में यह चीज आयी है । लेकिन जो झगड़ा है वह ज्यों का त्यों है । चाहे भूमिधरी हो या सीरदारी लेकिन लगान एक तरह का होगा यह एलान हुआ । वैसे वह चीज यहां नहीं आयी है । साथ ही साथ ४० साल का वायदा हुआ था कि उसमें कोई हम तरमीम नहीं करेंगे लेकिन आज तरमीम होने के बाद भी बड़े बड़े फार्म बने हुये हैं । गरीब आज भी जमीन के लिये तरस रहा है । गांव समाज की जो जमीन निकाल कर गरीबों को दी गयी, उस पर आज भी उन्हीं लोगों का कब्जा है जिनकी वह जमीन थी ।

भूमिहीनों की जो जमीन के पट्टे दिये गये हैं वह उसी तरह की कहानी है जैसे एक आदमी जंगल में जा रहा था । तो एक आदमी ने कहा जंगल की बात है और एक तरफ से शेर आ रहा था । तो उसने कहा हम तो पट्टा लाइसेंस लिये हैं । हमारे पास बन्दूक है । हम उसे मार देंगे । लेकिन उस आदमी के पास न तो पट्टा था और न लाइसेंस था । उसी तरह से आज यह सरकार हो चाहे वह सरकार भूमिहीनों के साथ यही बरताव कर रही है कि इधर जमीन दी और उधर जमीन छीन ली । कानून की दृष्टि से कहा जाता है कि इसमें कुछ संशोधन किए गये हैं कि वह भूमि को न बच सके । गरीब तो खाने के लिये परेशान रहता है इसलिय वह लगान तक नहीं अदा कर पाता है जिससे परेशान होकर उसे जमीन को बेचना पड़ता है और फिर जमीन जिसकी है वह ले लेता है । गरीब की कहीं सुनवाई नहीं होती है । इसलिय मैं कहना चाहता हूं कि जो कानून लाये हैं उनको एक प्रवर समिति, जैसा कि रियासत हुसैन और नेगी जी ने कहा है, को दे दिया जाय । प्रवर समिति में इसमें विचार होगा कि क्या-क्या संशोधन किये जांय और वह अवश्य बेहतर होगा गरीबों और प्रदेश के लिए ।

मान्यवर, मुझे एक बात और निवेदन करना है कि जो अधिनियम इस सम्बन्ध में पिछली सरकार ने जारी किया था कि जिस जमीन पर हरिजन का कब्जा होगा उस पर उसको मालिक बना दिया जायेगा । यह आदेश शायद १५ जून, १९७५ या १९७६ में जारी किया गया था । मैं राजस्व मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि गोंडा जिले में गरीबों और हरिजनों से जमीनें छीनी जा रही हैं तो वह नहीं होना चाहिये और इसलिये उस अधिनियम पर विचार किया जाय और उस पर कार्यवाही होनी चाहिय जिससे हरिजनों का जहां कब्जा था, वह उसे पा सके ।

[श्री गंगा प्रसाद]

इसलिये पुनः मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो पट्टे पर जमीन दी है आज वह जमीन उनके हाथ से जा रही है। बड़े लोग जो उनकी बगल में है वह उन जमीनों पर कब्जा करते जा रहे हैं। इसको रोकने के लिए भी आप कोई नियम बनावें। कलक्टर को अधिकार है लेकिन उनके यहां छै सात वर्ष केस चलता रहता है। अदालत में लोग जाते हैं। देर होती है, खर्च होता है। यही नहीं, यह लोग न तहसीलदार के यहां जायं और न कहीं दूसरी जगह और बैनामा हो जाता है। जब उनको पता लगता है तो वहां कहां से पैसा लावें मुकदमा लड़ने के लिये। इसलिये आप उन हरिजनों को, गरीब भूमिहीनों को रियायत दें वकील की जिससे कि वह मुकदमा लड़ सके और जीतने के बाद अपने परिवार का भी पालन पोषण कर सकें। आप इसमें संशोधन ला रहे हैं, लेकिन कभी आपने शहरी जमीन की ओर भी ध्यान दिया। १५०० फिट देने की बात थी लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। लाखों रुपया लोग कमा रहे हैं। हरिजनों को मकान बनाने के लिये जमीन नहीं मिल रही है। आप कहते है कि हरिजनों के साथ अत्याचार नहीं हो रहा है। जर, जोरु, जमीन पर झगड़ा होता है और आज वह झगड़े हो रहे हैं। सबल लोग उनको दबाने की कोशिश करते हैं। इसलिये यह जो प्रस्ताव प्रवर समिति को भेजने का है इनको स्वीकार कर लें जिससे कि वहां इस पर विचार हो और उसके बाद यह कारगर चीज बन सके।

*श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

सम्मानित अधिष्ठाता महोदय, यह जो उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक है यह आपने आप में प्रगतिशील विधेयक है। किसानों की समस्या एक बड़ी समस्या है। इस प्रदेश में जिन की संख्या ८५ प्रतिशत है उन किसानों की समस्या को हल करने के लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। यह सौभाग्य की बात है कि जमींदारी उन्मूलन का महान् कार्य जितना अच्छा हमारे यहां हुआ उतने अंश में अन्य प्रदेशों में नहीं हो सका। अभी ऐसे प्रदेश हमारे भारत वर्ष में हैं। दक्षिण का आंध्र और तेलंगना का क्षेत्र इस दिशा में पिछड़े हुए हैं। वहां प्रोडक्शन ज्यादा होता है। वह एक-एक बूंद कृष्णा और गोदावरी को ले लेते हैं। लेकिन आज भी वहां बड़े-बड़े लैंडलार्ड पड़े हुए हैं। हमारे यहां समय-समय पर इसमें उचित संशोधन होते रहे हैं।

इस सन्दर्भ में एक बात और कहना चाहता हूं। इस देश और प्रदेश में जो इस प्रकार का भूमि व्यवस्था का महान कार्य हुआ है। चाहे वह विदेशी शासकों ने ही किया हो। उससे हमें कुछ सबक लेना चाहिए।

श्रीमन्, एक अंग्रेज शासक था लार्ड कार्नवालिस। वे भूमि की बुनियादी समस्या क्या हैं इसका सही आंकलन करने के लिये अपनी पूरी टीम के साथ तमाम जगहों में गये और कार्य किया। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में भी गये। आज भी परमानेन्ट सेटेलमेन्ट है। लेकिन उनका मिशन अधूरा रह गया। श्रीमन्, एक बात में स्पष्ट बतला देना चाहता हूं कि स्वतन्त्रता के बाद भी, तीस वर्ष के बाद भी इस में मूल रूप मे कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आज भी इस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रदेश में अनेक स्थल हैं जहां कि जमींदारी चल रही है। मैं अपने क्षेत्र पडरोना के बारे में कहता हूं। वहां आज भी हजारों लोग जमीदारों के अत्याचार से त्रस्त हैं। उनकी जमीदारी चल रही है। ऐसे एक दो उदाहरण नहीं है, हजारों, हजारों उदाहरण हैं। इसलिय उन भूतपूर्व जमीदारों के चंगुल से उन्हें मुक्त करने का प्रयास होना चाहिय। लेकिन वह चैम्बर में बैठकर, विधान सभा में बैठकर नहीं होगा। मैंने एक सुझाव पहले भी दिया था पुनः सुझाव प्रस्तुत कर रहा हूं। एक भूमि सुधार समिति जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित हो और वह जा कर के गांव और क्षेत्रों में जा कर उन समस्याओं को देखे और मंगलदेव विशारद जांच कमेटी की रिपोर्ट की तरह जो रद्दी की टोकरी में फेंक दी गयी इसका हाल नहीं होना चाहिये बल्कि सही रूप में इस पर अमल होना चाहिए

मान्यवर, भूमि चुराने वालों का इतिहास इस देश में चला आ रहा है। हिणन्यास भूमि चुरा कर समुद्र में चला गया और उसके लिये ही भगवान ने बराह अवतार धारण किया। आज भी हजारों भूमि चुराने वाले हिणन्यास मौजूद हैं जो कानून की खिल्ली उड़ाते जा रहे हैं। १८०० एकड़ जोत वाले लोग भी पड़े हैं। चकबन्दी चल रही है जिस में सैकड़ों वर्षों के गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं मैं चाहता हूं कि इस तरफ ध्यान देना इस समय अतिआवश्यक है। इस विधेयक की मूल मन्शा की पूर्ति तभी होगी जब इस प्रकार के लोगों, इस प्रकार के जो विषधर सर्प हैं, उनके दांत उखाड़े जायं। उनके दांत उखाड़ने का वक्त आ गया है। इसका कारण क्या है। सरकार कानून बनायेगी बीबी के नाम से, बच्चों के नाम से, बिल्ली के नाम से, यहां तक कि भगवान को भी धोखा दे रहे हैं। इस देश में लाखों एकड़ तथाकथित धर्म की जगह भगवान के नाम से कर रखी है और बस-बीस हजार एकड़, लाखों एकड़ जमीन भगवान के नाम से है, अभी मैंने देखा। चकबन्दी का एक मुकदमा था स्टेट बनाम शंकर भगवान। यहां भी शंकर भगवान को पुकारा जाता है। यह व्यक्तिगत जमीन नहीं है। बस शंकर का शिवालय है और उस में कुछ जमीन शंकर भगवान के नाम से है। इस प्रकार श्रीमन्, कानून बना देने से काम नहीं चलेगा, उस स्थान में जा कर के देखना चाहिए कि किन लोगों ने यह कर रखा है। मान्यवर, मैं ऐसे जंगल के क्षेत्र में उस तहसील का रहने वाला हूं जहां ९०% प्रतिशत गांव जंगल के साथ जुड़े हुए हैं। यह सारी जंगल की जमीन, बंजर की जमीन, नदियों के अंचल की जमीन जो थी उसको ये सफेद टोपी चोर नेता तथा तथाकथित अधिकारी हड़प ले गये।

यह भूमि विधि (संशोधन) विधेयक जो अध्यादेश के स्थान पर विधेयक का रूप लेने जा रहा है इसका मैं समर्थन करता हूं। सही दिशा में और समय पर एक सही कदम उठाया गया है वर्ना हमारे प्रतिपक्ष में बैठने वाले साथियों ने ऐसी दशा बना दी थी जिससे गरीब किसान लगान तक नहीं दे पा रहा था। उसके बैल व जायदाद कुर्क हो रहे थे। जो दशा उसकी बना दी गयी थी उसके अन्तर्गत उसकी चमड़ी खींच ली जाती थी, खून निकाल लिया जाता था और इतने जघन्य कुकर्म इनके द्वारा करने पर भी वह अपनी गुजर नहीं कर पा रहा था। मैं आशा करता हूं कि यह केवल कागजी कार्यवाही हो कर न रह जाय। हमारी कथनी और करनी में अन्तर न हो और इसके जरिय हम सही रूप में जनता की सहायता पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इन शब्दों के साथ में इसका समर्थन करता हूं।

*श्री प्रताप सिंह पुण्यवान (जिला चमोली)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं जिसका अधिकांश भू-भाग बर्फ से ढका हुआ और हिमालय की चोटियों से घिरा हुआ है। इन पर्वतों की उपत्यकाओं के बीच जो थोड़ी बहुत जमीन होती है, उस पर भोटिया जाति निवास करती है। सन् ६२ के युद्ध से पहले ये लोग चीन से अपना व्यापार करके अपनी जीविका चलाते थे, लेकिन आज उन चट्टानों के बीच जो छोटे-छोटे खेत उन्होंने बनाये हैं उन पर वे गुजारा करते हैं। जब भूमि के बटवारे की बात हुई तो भूतपूर्व शासन से बार-बार इस बात का आग्रह किया गया कि उस क्षेत्र के अभागे व भूमिहीन किसानों को कुछ हिस्सा इसमें से दे दिया जाय, लेकिन दुख के साथ यह वेदना व्यक्त करनी पड़ती है कि आज तक उस क्षेत्र के रहने वाले बाशिन्दों को एक इंच भूमि भी नहीं दी गयी, जब कि जैसा नेगी जी ने बताया, बड़े-बड़े लोगों को आलीशान फार्म बनाने दिया गया। दूसरी तरफ के लोग हैं जिनको सर छिपाने के लिये, मिट्टी का मकान बनाने के लिये जमीन नसीब नहीं हो सकी। यह बहुत अच्छी बात है कि हम लोग खुले दिमाग से उपेक्षित, गरीब तथा भूले बिसरे लोगों के सम्बन्ध में आज हम चिन्तन तथा मनन कर रहे हैं। इसलिये मैं इस विधेयक का दिल से समर्थन करता हूं चूंकि किसानों को जो हमने विश्वास दिया था आज उस विश्वास की हम पूर्ति करने जा रहे हैं। इससे हमारा मन बहुत ही प्रसन्न है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इस सुदूर पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले हरिजनों की विकट समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। एक बार जब शासन कुछ नहीं कर सका तो मुझे खुद नियमों को तोड़ना पड़ा और मैंने हरिजनों से कहा जिंदा रहने के लिये तुम शासन के नियमों को तोड़ो। मुझे खुद कहना पड़ा कि अमुक-अमुक जगह पर कब्जा करो। इंसान यदि जिंदा रह जायेगा तो बाद में अपनी शक्ति के बल पर अपने को बचा लेगा तो इस तरह से पहाड़ के अन्दर जनपद चमोली में हरिजनों को जमीन तो दे दी गई लेकिन मैं सोचता हूं कि सदन को इस बात की जानकारी नहीं होगी। अभी भी बहुत से इंसानों को जमीन का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है। वे लोग जमीन को, बिजली के तार को छूने में जिस तरह से डर लगती है, उसी तरह डरते हैं। उनको भयभीत किया गया है। मेरे पास चिट्ठियां आई हैं कांग्रेस के लोग उनसे कहते हैं तुमने इलेक्शन में वोट नहीं दिया। मुझे यह बात दुख के साथ कहनी पड़ रही है मेरे पास चिट्ठियां पड़ी हैं। मैंने आश्वासन दिया कि हम तुम्हारी समस्याओं को निपटायेंगे।

अधिष्ठाता महोदय, हरिजनों की भूमि की समस्या आर्थिक प्रश्न से जुड़ी हुई है। उनको भूमि देने से उनका सामाजिक स्तर तो बढ़ेगा ही, लेकिन उनका आर्थिक स्तर भी बढ़ेगा। जो हरिजनों के नाम पर क्रोकाडाइल टीयर बहाकर एक प्रकार से सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है, वह भी समाप्त हो जायेगी। अपने पहाड़ों के अन्दर, जैसा अभी नेगी जी ने कहा था कुमाऊं नया आवास ऐक्ट जो है उस पर संशोधन हुआ है। केदार नाथ की उंचाई ११७५० है जहां पर मखमली घास के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं होती। वहां के एक नाली को एक एकड़ का बीसवां हिस्सा करना चाहते हैं जिसको ५ सौ रुपया आपको कीमत देनी पड़ती है। उस जमीन के नीचे बिलकुल पानी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है और उपर बर्फ है। हमारी कोई सुनने वाला नहीं है लोगों को जहां पर मकानों के लिये दरखास्त देनी पड़ती है, वह जमीन उसे कितनी महंगी मिलती है।

तो मान्यवर, जिसके पास पैसा नहीं होगा वह कैसे मकान बना पायेगा। और जिसके पास पैसा होगा वह भावर जा कर आलीशान कोठी खड़ा करेगा वहां क्यों वह रहेगा ? जिस गरीब को उस जमीन से प्यार है और अपना परिवार पालने के लिए जमीन मांगता है उसको इतनी भारी रकम देनी पड़ेगी जो उसके बस की नहीं है। पहाड़ों में आर्थिक और औद्योगिक क्रांति लाने के लिए सड़कों के किनारे जमीन मांगते हैं उनको वह जमीन मिलेगी नहीं और आगर मिलेगी तो भारी कीमत पर मिलेगी। आप देखेंगे उसकी मांग करने वाले कौन हैं ? विधवायें और सेना के अपंग हुए जवान और पिछड़े हुए हरिजन लोग जिनके पास न शिक्षा के साधन हैं और न धन शक्ति है यानी एक प्रकार से जो शोषित लोग हैं।

इसलिये अधिष्ठाता महोदय, मैं अपके माध्यम से अपनी लोकप्रिय सरकार का ध्यान और मंत्री महोदय का ध्यान पहाड़ों की इन समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं। लौंज के नाम पर भारी-भारी कीमत लोगों को देनी पड़ती है। पहले तो दया के नाम पर नहीं तो भगवान के नाम पर नियमों में संशोधन करें और उन लोगों को जमीन दिलाये और अगर पैसा मिलना ही है जो यह जो एक नाली का १२ सौ करीब पड़ता है इसको खतम करें। मैं अपनी लोकप्रिय सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इन अभागे भूले बिसरे किसानों के लिए इसे ठीक करें जिससे उनका कल्याण हो। मैं आशा करता हूं कि मेरी इन बातों पर गौर करेंगे और उचित कार्यवाही करेंगे।

*श्री दीप नरायन (जिला गोंडा)—

मान्यवर, म आपकी आज्ञा से जो उत्तर प्रदेश भूमि संशोधन विधेयक यहां रखा गया है, उसका स्वागत करता हूं और साथ ही मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से निवेदन करना चाहत हूं। क्योंकि मैं यह देख रहा हूं कि इस सदन में कई अन्य वक्ताओं ने भी इसे कहा है कि भूमि विधि विधेयक में काफी कमी और काम्पलीकेशन आते रहे हैं और अबतक इसका निपटारा नहीं हो सका है। फलस्वरूप हर सत्र में इसके लिए हमें संशोधन लाने पड़ते हैं, फिर भी किसानों के सामने कठिनाईयां बनी रहती हैं। मैं अपने राजस्व मंत्री जी से एक बात का निवेदन करूंगा कि जब नारायाण दत्त तिवारी जी मुख्य मंत्री थे, तो उन्होंने एक विधेयक पारित कराया था कि १९६० से पहले के जितने बेनामी खातेदार थे, उनको नहीं देखा जायेगा। उससे यह हुआ कि जितने भी भूमिचोर और सामन्तशाह उत्तर प्रदेश में थे, उनकी जमीनें बच गयीं। जिसका नतीजा आज यह हुआ है कि २-२, ३-३ हजार एकड़ भूमिचोर लोग दबाये पड़े हैं। जबकि सीलिंग के अनुसार एक व्यक्ति के पास १८ और २७ एकड़ जमीन हीं रहनी चाहिये। इन्हीं लोगों को बचाने के लिये वह विधेयक पारित कराया गया है। उन्हीं राजाओं को बचाने के लिए यह शाजिश की गयी थी, तो मैं जनता पार्टी के राजस्व मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी करीब २० लाख एकड़ जमीन बेनामी खातेदार के रूप में है, जिनकी फाइलें यहां सेक्रेटेरिएट में मौजूद हैं और जिनकी जांच भी हुई थी। इसलिए आप उन फाइलों को निकलवा-कर उनकी छानबीन करें और उसमें संशोधन करें। ताकि हरिजनों को जो जमीन मिलने वाली है, वह उन्हें मिल जाए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री दीप नरायन]

दूसरी बात मैं बड़े अदब के साथ राजस्व मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा, जिसे नेगी जी ने भी कहा था, कि मंगलदेव कमेटी की जो रिपोर्ट है, उसको भी कार्यान्वित करने के लिए इस सरकार को बहुत सख्ती के साथ कदम उठाना पड़ेगा। क्योंकि मान्यवर, मैं देखता हूं कि जो पैसे वाले लोग हैं, राजे महाराजे हैं, उनके यहां आपका अधिकारी एस० डी० एम० वगैरह दरबारगीरी किया करते हैं। मंत्री जी मुझसे कहेंगे तो उनकी सूची भी दे दूंगा। पिछली बार भी जिसे लिखकर दिया गया था। उन अधिकारियों ने उनकी जमीनें बचाने के लिए सारा प्रयास किया है। इस जनता सरकार को इस पर सख्ती से कदम उठाना पड़ेगा, ताकि आप पर यह लांछन न लग सके कि आपने भी सामन्तशाहों का साथ दिया है। क्योंकि गरीबों को यदि हम सुविधायें और जमीनें नहीं दे सकते हैं तो कोई भी सरकार, वह चाहे कांग्रेस की सरकार हो या जनता पार्टी की इतने प्रबल बहुमत वली सरकार हो, टिक नहीं सकती है। इसलिए मैं समझता हूं कि बहुत तेजी के साथ मंत्री जी को राजस्व विभाग को ठीक करना पड़ेगा।

हमारे मंत्री जी बहुत अनुभवी हैं, उन्हें मालूम होगा कि इसमें पटवारी स्तर से लेकर ऊपर तक बहुत भ्राष्टाचार है। मामूली आदमी खसरा-खतौनी लेने जाता है तो उसका बिना पैसा दिए काम नहीं चलता है। तहसीलदार आदि के यहां राजस्व सम्बन्धी फाइलों के ऊंचे-ऊंचे ढ़ेर लगे हैं, किन्तु उनका वर्षो कोई निपटारा नहीं होता है। मैं मंत्री जी के विधेयक का स्वागत करता हूं। लेकिन कुछ बुनियादी चीजें हैं, आप दूसरे देशों का इतिहास देखें। भूमि के कारण ही तमाम क्रान्ति हुआ करती हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ने भी भूमि को लेकर क्रान्ति और झगड़ा-फसाद समय-समय पर कराने का प्रयास किया है। इसलिए मैं राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस विभाग में बड़े काम्पलीकेशन्स हैं। जिनका निस्तारण बहुत अच्छी तरह से करना पड़ेगा ताकि जनता को विश्वास हो सके कि जो सरकार आयी है वह नयी दिशा दे रही है। अब क्रान्तिकारी परिवर्तन समाज में हो रहे हैं। अगर यह परिवर्तन न हुआ होता तो आने वाले जमाने में जनता की जो आकांक्षाएं हैं, हर आदमी कहता है कि जनता पार्टी की हुकुमत बनी है कुछ बेटरमेंट दिखायी पड़ेगा। आज भी सरकारी अधिकारी अपना वही कार्य कर रहा था। यहां पर जो हजारों की तादाद में सचिवालय से लेकर बाहर तक, बारुलशफा तक सिर्फ सरकारी कर्मचारी टहलता है। इस तरह से जो चीजें हो रही हैं मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करुंगा कि वह इनको देखें। जो कानून बना कर विरोधी दल के नेता तिवारी जी ने सामंतों की जमीन बचाने की कोशिश की थी, बड़े बड़े नेताओं की भी जमीने बचाने की साजिश की थी उसको ईमानदारी से जनता पार्टी की सरकार निकालने की कोशिश करेगी।

एक बात और कहना चाहूंगा। जमीनों का जो बटवारा हुआ, मैं निश्चित तौर से आपसे कहूंगा, आप जिलों में चल कर देखें ९० फीसदी जमीनें जो हरिजनों और भूमिहीनों को दी गयीं उनकी हदबन्दी नहीं की गयी। आज भी देहात में मारपीट और फौजदारियां होती हैं। जिला अधिकारियों को यह निदेश देने की कृपा करें कि जो जमीनें बटी हैं उनकी हदबन्दी होनी चाहिए। कागज में दिखा दिया जाता है कि इसकी हदबन्दी हो गयी लेकिन वास्तविकता यह है कि कुछ देहातों में मंत्री जी को जा कर देखना चाहिए जहां से शिकायतें आएं और जिन अधिकारियों को दोषी पाएं उनको अवश्य सजा होनी चाहिए।

मैं इन शब्दों के साथ भूमि विधि (संशोधन) विधेयक का स्वागत करता हूं। साथ ही साथ निवेदन करुंगा कि माननीय मंत्री जी जमीनों की जितनी गड़-बड़ियां हैं, इसके निस्तारण में वक्त लगेगा, बहुत ईमानदारी के साथ करना पड़ेगा वरना सरकारी कर्मचारी आपका प्रोग्राम चलने नहीं देगा। फिर आप भी बदनाम होंगे। जो चीजें मैंने रखी है इन पर सरकार विचार करेगी।

श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, यह जो विधेयक आया है, इस तरह से सदन में जमींदारी टूटने के बाद विधेयक आते रहे, उस जगह पर लाया जाता है जहां कानून और व्यवस्था बनाने वाले हम लोग बैठे हैं। इस सदन के अन्दर हमें कागजों पर जमीन दिखाई पड़ती है। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो हमें मालूम होता है कि उत्तर प्रदेश और हिन्दुस्तान में न जमीन है न कृषक होता है, न कोई सामन्त होता है, न भू-स्वामी होता है। वह दिखाई नहीं पड़ता है जब तक हम चुने नहीं जाते हैं तब तक हमें सारी कमियां दिखाई पड़ती हैं। मैं चन्द शब्दों के साथ मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

पिछली सरकार हरिजनों की बात करती थी। मैंने तजुरबा किया है, देखा है ९० फीसदी जमीन हरिजनों को दी ही नहीं गयी। सारी बाते झूठी। केवल एक बात की गई। जैसे पाकिस्तान के बटवारे में लोगों ने किया था, हिन्दुस्तान के दो टुकड़े कर दिये गये, वर्गों का विश्लेषण नहीं किया गया, जातियों का विश्लेषण किया गया। आज बहुत बड़ा खतरा हिन्दुस्तान में पैदा हुआ है, खास कर उत्तर प्रदेश में जो कृषि का बहुत बड़ा क्षेत्र है। वैसे जनता पार्टी की सरकार पर जनता को विश्वास है। प्रदेश की जनता आशा लगाये बैठी है। क्या हमारे माननीय राजस्व मंत्री जी को मालूम नहीं है कि जिस दिन से विधान सभा चल रही है, हमारे माननीय मंत्री जो कोई कागज पढ़ नहीं पा रहे हैं? कोई भी मंत्री अपना काम नहीं कर पा रहे हैं उनके पास भीड़ लगी रहती है। वे काम करने की कोशिश भी नहीं करते हैं। क्या हमारे राजस्व मंत्री को यह मालूम नहीं है कि हरिजनों की किस तरह से जमीनें दी गयी है? आप कचहरी की बात छोड़ दीजिए, आप तहसील की बात छोड़ दीजिए। आप यह देखे कि भूमि व्यवस्था की हालत क्या है, आप उसका तो सुधार कर ही सकते है, लेकिन उसमें भी सुधार नहीं हो पा रहा है। मैं समझता हूं कि अगर आप में हिम्मत है तो आप उसे आप डट कर करें। सारी जमीन पर बड़े-बड़े लोगों ने कब्जा कर लिया है और बड़े फक्र के साथ सदन में जीत कर आये हैं। यहां पर भाषण यह दिया जाता है कि हरिजनों की जमीन दी जायेगी, भूमिहीनों को जमीन दी जायेगी लेकिन आप देखें कि कितने भूमिहीनों और हरिजनों को जमीन मिल पायी है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि मंत्री जी की बड़ी तारीफ की जाती है कि ये बड़े अनुभवी हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उन्हें मालूम होना चाहिए कि इस विधेयक से काम चलने वाला नहीं है। अगर आप इस ओर ध्यान नहीं देगें तो आपकी भी पिटाई हो जायेगी। आपको इस समस्या पर बड़े धैर्य के साथ सोचना चाहिए। हमारे क्षेत्र में, जैसा कि मैंने इस प्रश्न को पिछली बार भी उठाया था, योगेन्द्र सिंह एक लैंड लार्ड हैं उनकी माता को मरे हुए ३२ साल हो गये हैं लेकिन उन्होंने उनकी जमीन का दाखिल खारिज अपने नाम नहीं करवाया है। अगर वह दाखिल खारिज करा लेते तो उनकी जमीन सीलिंग में आ जाती, चकबन्दी के अधिकारियों को मिला कर दाखिल खारिज नहीं कराया।

[श्री भगवती प्रसाद सिंह]

उनकी मां के नाम जमीन है । हमारे क्षेत्र में एक मुड़ुपुर गांव है । जहां पर तमाम जमीन ऐसे लोगों के नाम है जो साधू हैं । एक साधू १५० एकड़ जमीन पर कब्जा किए हुए है । क्या आप इन चीजों को समाप्त करेंगे । आपको इसीलिए इस कुर्सी पर बैठाया गया है कि आप इनको देखें और जनता के कष्टों को दूर करें । जनता आशा लगाये बैठी हुई है । आपको १० दिन भी नहीं हुए यहां आये और आप विधेयक ले आये और मौन बैठे हैं । गांव में जायेंगे तो दूसरी बात कहेंगे और यहां पर दूसरी बात कहते हैं । जहां २ लाख एकड़ जमीन सीलिंग से मिलनी चाहिए थी लेकिन वह २७ से ३७ हजार एकड़ मिल कर रह गयी । रेडियो पर आप अपनी आवाज सुनाते हैं कि हम हरिजनों और भूमिहीनों के लिए जमीन देंगे । मैं आपसे जानना चाहूंगा कि उनको जमीन मिलेगी कैसे ? जमीदारों की जमीन गयी नहीं तो हरिजनों और भूमिहीनों को जमीन कैसे मिलेगी । यह नाटक है जो वहां पर हो रहा है ।

आज हम प्रदेश की उस गरीब जनता के बल पर ऐशोआराम कर रहे हैं, उन्हें झुठला रहे हैं, उससे ज्यादा और कुछ नहीं हो रहा है । आप हिम्मत कीजिये, हिच किच न कीजिये । बंगाल में राजनीतिक बन्दियों को और नैक्सलाइट्स को छोड़ दिया गया है, आप भी वैसा ही कीजिये । आप तो वकील रह चुके हैं । यह जो बड़े बड़े लोगों के बीज पैदा करने के नाम पर फार्म खुले हुए हैं, उनको लीजिए आप उन पर हमला क्यों नहीं करते हैं ? आप को डर क्यों है ? मिर्जापुर में और लखीमपुर में जो बीज के नाम पर फार्म चल रहे हैं, उनको लीजिये । अगर आप हिम्मत करेंगे तो प्रदेश के किसान आपको बधाई देंगे और आप हमेशा-हमेशा के लिए एक इतिहास बनाएगें । इसमें परिवर्तन लाने के लिए आप वर्ग चरित्र में फर्क कीजिये । जिन बड़-बड़े अधिकारियों ने चाहे वे पुलिस विभाग में हों या अन्य विभागों में और जिन्होंने लखनऊ में बड़ी-बड़ी बिल्डिंग बना रखी हों, उनकी किच्छा की जमीन को जहां पर मजदूर लोग रहते हैं और जहां पर उनके द्वारा गन्ना और चावल उगाया जा रहा है, बड़े बड़े ट्रेक्टर्स के द्वारा जहां पर खेती करवा रहें हैं, उनकी जमीन को आप लीजिए । आज पूर्वान्चल का कोई किसान ट्रैक्टर नहीं खरीद सकता है । अगर चोर खजाने की रखवाली करेगा तो इससे खजाने की रक्षा नहीं हो सकती है आप भले ही रेडियो पर बार बार सुनाए लेकिन किसानों की एक विस्वा भी जमीन नहीं मिल सकती है । जब हम चुनकर यहां आ जाते है और किसी पद पर बैठ जाते हैं तो बिजली, मोटर कार पर बैठने लगते हैं तो सब बातें भूल जाते हैं । जमीन पर खेती करने वाले लखनऊ में नहीं है । लखनऊ में वही लोग हैं जो तस्करी करते हैं और दूसरे धंधे करते हैं ।

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इतना समय दिया लेकिन मेरा एक सुझाव है कि सीलिंग से निकली हुई जमीन है उस पर तुरन्त कार्यवाही की जाय । हमारे भूतपूर्व माननीय मंत्री, श्री स्वामी प्रसाद सिंह जो ने भी काफी प्रयत्न किए लेकिन उन्हें उतनी सफलता नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी । वे बड़े योग्य आदमी हैं, वे प्रैक्टीकली स्वयं गावों में और अपने अधीनस्थ कार्यालयों म चले जाते थे । उनमें भी वर्ग चरित्र वही था लैंड लार्ड्स के पक्ष का इस लिए वे सफल नही हुए । तो जैसा मैंने अभी कहा कि आपने कागज पर तो हरिजनों को भूमि बांट दी है लेकिन वास्तव में उनको एक बालिश्त भी नहीं मिल पाई है । आप इसको जांच कराइए और सारी जमीन चाहें वह किसी एस० एस० ए० का हो चाहे वह बीज उत्पादन के नाम पर बिड़ला और श्री कमलापति के फार्म हों, उनको लेने की कोशिश कीजिए ।

अब मैं समाजवाद की बात करता हूं । मैं मानता हूं कि आपमें भी बहुत से समाजवादी लोग है इसलिए मैं आपको प्रतिक्रियावादी नहीं कहता हूं । मेरी प्रार्थना है कि जो जमीनें साधू, महात्माओं, भगवान या पत्थर के नाम पर चल रही हैं, उसको आप लीजिए । अब वह यग समाप्त हो गया । मेरी यह भी प्राथना है कि आप बिड़ला, और माननीय कमलापति त्रिपाठी के जो फार्म बीज उत्पादन के नाम से चल रहे हैं, उनको लीजिए क्योंकि बीज तो किसान स्वयं उगाता है और यह पत्थर और साधू को जमीन लेकिन उसके साथ साथ सीलिंग से निकाली हुई जमीन वह एक बालिश्त भी नहीं बटी है । मेरे क्षेत्र में एक इंच भी सीलिंग की नहीं निकाली गयी है, लैंड लार्ड सीरदार हल चलाता है । आपके कागज में बटी है और जोतता है । क्योंकि जो बाटने वाला कलक्टर, एस० पी०, दरोगा, रेवेन्यू के कर्मकारी हैं वह उसी वर्ग चरित्र के मातहत लैंडलार्ड और भू-स्वामी से संबंधित हैं । आप थानेदार को आर्डर करेंगे लेकिन वह उसका पालन लैंडलार्ड के हित में करेगा । मैंने ध्यान दिलाया था, मथुरा में हरिजनों को जमीन दे दी गयीं और उसपर कब्जा नहीं दिलाया गया । मैंने बीसियों दरखास्ते दी लेकिन एक दूसरे व्यक्ति ने स्कूल के नाम पर १० ईंट इधर, १० उधर करके जमीन में कमाने के लिए अपना धंधा चलाने के लिए स्कूल खड़ा कर दिया । तो आप उस पर अमल करें । विधेयक बहुत अच्छा है । विधेयक लाना बुरा नहीं है । बड़ा संशोधन होता है, लेकिन आपकी नीयत दुरुस्त होनी चाहिए । आप कमलापति से लेकर बिड़ला तक की जमीन छीन कर एक परम्परा कायम करें जिससे आपका वर्ग चरित्र भूतपूर्व सरकार से डिफरेंट माना जाय ।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने माननीय राजस्व मंत्री जी के उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक से संबंधित भाषण को सुना और माननीय विरोधी दल के सदस्यों की बात भी सुनी । मान्यवर, इस विधेयक का सीधा-सादा मतलब है कि जितने उत्तर प्रदेश में सीरदार हैं उनको बिना कुछ लिए दिये हुए अब उत्तर प्रदेश की सरकार भूमिधर बना दे । मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा कोई सीधा-सादा मतलब नहीं है । अधिष्ठाता महोदय, प्रवर समिति का जो प्रस्ताव विरोधी दल के सदस्यों ने किया है यह उनका मौलिक अधिकार है । वह सिर्फ इसलिए किया है कि माननीय राजस्व मंत्री की मंशा है और इस उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक के संबन्ध में वही उनकी मंशा होगी कि इसको जल्द से जल्द पास होना चाहिए । लेकिन चूंकि विरोधी दल की एक भूमिका है, उन्होंने बहस में हिस्सा लेने के लिए संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव किया है । मैं समझता हूं इससे ज्यादा दूसरा कोई मतलब नहीं हो सकता है ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में अभी तक भूमि के मामले में सही-सही कोई ठीक ढंग से कानून बना ही नहीं । १९४९ में स्वतंत्रता के ३ साल बाद पहली बार उत्तर प्रदेश की सरकार ने नारा लगाया था जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री पं० गोबिन्द बल्लभ पन्त थे और कांग्रेस की सरकार अपनी फुल जवानी पर थी और मैं यह भी समझता हूं कि वह एक कानून लाए थे और यहां के किसानों को आश्वस्त किया था कि आप लोग १० गुना लगान दें, आप सब जितने सीरदार हैं, वह सब भूमिधर बना दिये जायेंगे और आप सब का लगान आधा कर दिया जायगा और ४० साल तक के लिए रहेगा । इस प्रकार से सारे उत्तर प्रदेश में गांव-गांव जाकर १० गुना वसूल किया और आश्वासन दिया था कि आपका ४० साल तक आधा लगान रखेंगे और सारे भूमिधरी के अधिकार आपको प्राप्त करायेंगे और उसकी सनद वगैरह भी बटवाई थी । पर जब

[श्री राधेश्याम शर्मा]

१० गुना उसी सरकार ने इतनी तेजी से और ज्यादा वसूल कर लिया, उसके बाद फिर १९६२ से ६७ तक जब हम विरोध दल के सदस्य थे तो अपने किए हुए वादे के खिलाफ वही सरकार इस सदन में डयोढ़ा लगान लायी थी और उसका हमने बड़े जोरों से जमकर घनघोर विरोध किया था और उसके बावजूद वह कानून यहां से पास नहीं होने दिया और उसके थोड़े ही दिन बाद वह सरकार, फिर सवाया लगान ले आयी और हमने उसका भी बड़ा विरोध किया था और थोड़े दिन तक चला था। उसके बाद वह वापस हुआ था। फिर उसी सरकार ने सन् ७४ में दस गुना की जगह २० गुना किया और कहा कि २० गुना जमा करने पर भूमिधरी के सारे अधिकार दिये जायेंगे। मैं क्रमबद्ध बातें उठाया करता हूं और काफी सोच-समझ कर कहता हूं। फिर उसी सरकार ने २० गुना वसूल करने के बाद सन् ७५ में वह अध्यादेश वापस कर लिया और फिर दस गुना रह गया। मैं समझता हूं कि पिछली सरकार ने अभी तक उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ खिलवाड़ किया है। कोई स्पष्ट कानून आज तक किसानों के सम्बन्ध में नहीं आया और उसका ही यह परिणाम है कि ८५ सैकड़ा किसान कुछ भूमिधर रहे, कुछ सीरदार रहे और कुछ आसामी रहे और इस तरह से सारी शृखलायें तितर बितर हो चलती रहीं। सबसे पहली बात है कि जो लोग दसगुना नहीं दे सके थे उनको भूमिधरी के हक हासिल नहीं हुए, उनको अपने पेड़ बेचने का अधिकार नहीं मिला, उनको अपने खेतों में गड्ढा खोदने का अधिकार नहीं मिला। २० गुना अदा करने के बाद भी बहुत से लोगों को वह अधिकार प्राप्त नहीं हुए। फिर जब उसको वापस लेकर सरकार ने दस गुना कर दिया फिर भी बहुत से सीरदार दस गुना जमा नहीं कर पाये और भूमिधरी से बंचित रह गये।

इसलिए मैं आज का दिन उत्तर प्रदेश के लिए एक गर्व का दिन समझता हूं कि जो माननीय राजस्व मंत्री ने एक स्पष्ट भूमि विधि (संशोधन) विधेयक पेश किया है। प्रवर समिति में इसे भेजने से देर करने के अलावा और कोई बात नहीं हो सकती है। वहां थोड़ा बहस करने का अधिकार और मिल जायगा। स्पष्ट बात है कि जिन लोगों के पास देने के लिए कुछ नहीं है। इस विधेयक के पास होने के बाद इस प्रदेश के काश्तकार जो सीरदार हैं वे भूमिधरी के अधिकार प्राप्त कर लेगें, जो १० गुना और २० गुना देने के बाद किसानों को प्राप्त हुए थे। अब वैसे ही हो जायेगें इसलिए इस विधेयक को सर्व सम्मति से पास करना चाहिए और विरोधी दल के सदस्यों को बधाई देना चाहिए कि एक इतना बढ़िया और स्पष्ट कानून इस सरकार ने किसानों के सामने रखा है और एक क्रान्तिकारी कदम उठाया है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि विरोधी दल के सदस्य इसको जल्द से जल्द पास करें।

श्री बदन सिंह (जिला आगरा)—

अधिष्ठाता महोदय, आज उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक जो राजस्व मंत्री जी ने सदन के सामने रखा है, मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मेरी समझ में नहीं आता कि मेरे मित्र विरोधी दल के माननीय सदस्य इस विधेयक का क्यों विरोध कर रहे हैं। आज तक किसानों को भिन्न-भिन्न बहानों से लूटा गया है। सन् ५० में जब जमींदारी विनाश कानून पास हुआ उस समय यह

वायदा किया गया कि १० गुना भर देने के बाद किसानों को लगान आधा देना होगा और ४० वर्ष तक उनके लगान में वृद्धि नहीं की जायेगी। लेकिन पिछली सरकार अपने वायदे से हट गयी और १० गुना की जगह २० गुना कर दिया गया और आधा लगान को भी पूरा लगान कर दिया गया जिस प्रकार की आदत कांग्रेस सरकार की रही है, मैं कहना चाहता हूं कि उस प्रकार की आदत जनता पार्टी की सरकार की नहीं है। जनता पार्टी की सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जो भी सीरदार हैं, वे बिना कुछ खर्च किए हुए भूमिधर बना दिये जायेंगे। किसानों के न हल्दी लगी है और न फिटकरी और रंग चोखा ही चढ़ा है।

इस विधेयक के लिए मैं, माननीय राजस्व मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। विरोधी पक्ष से यह कहा गया है कि भूमि भूमिहीनों को नहीं दी जा रही है, जमीन खाली कागज पर ही दिखायी जा रही है, बहुत से झगड़े पैदा हुए हैं, किसानों को पीटा जा रहा है, उन सब बातों का इस विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं है। अगर कहीं कोई गड़बड़ी है तो वह चकबन्दी की कुछ खामियों के कारण कहीं कहीं है। जो गांव समाज की बचत की जमीन है, जो चकों के बीच में छोड़ दी जाती है, उसमें झगड़ा पड़ जाता है। सन् ६९ में एक अध्यादेश जारी किया गया था कि जो बचत की जमीन है यदि वह १/४ एकड़ से कम है तो वह उसी काश्तकार को दे दी जायेगी। उसके बाद फिर सन् ७६ में एक अध्यादेश निकाला गया कि बचत की जमीन उनसे ले ली जाये। वह जमीन जो एलाट की गयी थी उस पर झगड़ा है वह कहते हैं कि हम किधर से होकर अपने हल बैल ले जायें। इसलिए चकों के बीच में जो जमीन आती है वह उन्हीं किसानों को दे दी जाये। इससे यह समस्या हल हो सकती है।

इस विधेयक में धारा १०७ के अन्तर्गत यह सुविधा दी गयी है कि जो व्यक्ति असहाय है, अपंग है, अवयस्क हैं जो, फौज में नौकरी करते हैं, वे लोग अपनी भूमि को पट्टे पर देकर उठा सकते हैं। इस तरह देखा जाये तो मालूम होगा कि इस विधेयक में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है और यह विधेयक स्वयं अपने में पूर्ण है, सार्थक है। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यह जनता पार्टी के लिए गर्व की बात है कि वह इस विधेयक को सदन में लायी है। आशा है पक्ष और विपक्ष इस विधेयक को अभी पारित करेंगे।

डाक्टर जवाहर लाल (जिला इलाहाबाद)--

श्रीमन्, जो प्रस्ताव पेश किया गया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे कुछ बातें कहनी हैं। जो सीलिंग की जमीन निकली है वह प्रायः ऐसे लोगों के हाथों में है जो बड़े-बड़े लोग हैं। जो भूमि गरीबों को, हरिजनों को मिलनी चाहिए थी वह उनको नहीं मिली। इधर से और उधर से हरिजनों की बड़ी दुहाई दी जाती है। मैं देखता हूं कि हरिजनों से भी अधिक गरीब लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है। चाहे हरिजन हो, चाहे दुर्जन हो, या ब्राह्मण हो, या ठाकुर हो, यदि वह गरीब है तो उसे जमीन मिलनी चाहिए। मैंने मेजा में जाकर देखा है, अभी तक तो मैं बुआबा में रहा हूं और वहां तो ऐसे लोग हैं कि मैं गया बहुत से लोग ऐसे मालूम हुए जिन्हें लोगों ने कहा कि ये ब्राह्मण हैं' इनसे मैं पैलगी कर लो। वर्करों ने कहा ये ब्राह्मण हैं। मैंने कहा ये ब्राह्मण हैं ? इनका घर यही है ? उन्होंने कहा हां यही है। वहां की हालत इतनी खराब है, वहां श्रीमन्, आप जाकर देखें, वहां की हालत जाकर देखें, तो

[डाक्टर जवाहर लाल]

अपने यहां की हालत भूल जायेंगे । वह दक्षिणी इलाका है । वहां पर हर तरह की कमियां हैं । स्कूल, नहर, पानी पीने की कमी है । वहां पर पहाड़ हैं । कुआं नहीं है । अगर वहां पर कुआं निकलता भी है, तो उसका पानी थोड़े ही दिनों में सूख जाता है । गर्मी के दिनों में वहां बहुत तकलीफ होती है ।

तो मैं यह सरकार से निवेदन करूंगा कि वहां पर जाकर अपने जो एक्सपर्ट लोग हैं, उनको भेजकर वहां की जांच-पड़ताल करके, वहां नहर के लिए और कुआं के लिए प्रबन्ध कराएं वहां पर जो आदिवासी हैं, कोल हैं, केरात हैं उनकी दशा बहुत खराब है । उनकी झोपड़ी में आप देखिये कि उनके बिस्तर नहीं है । एकदम जमीन पर लेटते है । मैंने तो कई झोपड़ियों में जाकर देखा । खाने के लिए बर्तन नहीं हैं । हालत इतनी खराब है अगर सरकार अपने आदमी भेज कर पता लगायें तो सरकार को मालूम हो जायगा । मैं तो अपने यहां की दशा भूल गया, जिस समय मैं १९५२ में नैनीताल गया, वहां कमेटी थी, वहां पर जाकर देखा, वहां पर चिथड़े पहन हुए लोग थे । मैं अपने यहां की गरीबी को बिल्कुल भूल गया । देखा कि इन्सान ऐसे भी यहां रहते हैं कि ५० टुकड़े कपड़े में लगे हैं । इसी तरह से मेजा में गया । वहां की हालत इतनी खराब है कि आबादी से जो जमीन दी गयी है, तो उनकी जमीन बड़े लोग हड़पे हुए हैं पट्टे जो दिये गये हैं वह केवल नाम के लिए ही है । वहां पर रेडियो, टेलीविजन वाले जाते हैं, तो उनको मुस्कराने के लिए कहते हैं, और उनका मुस्कराता हुआ फोटो लेते हैं और फिर उनको इनाम देते हैं । इस तरह से फोटो लेकर सरकार को दिखाते हैं, कि वहां पर लोग काफी खुश हैं । मेजा की दशा देखकर मैं दो-आबा की गरीबी भूल गया । मान्यवर, वहां की व्यवस्था बिल्कुल गड़बड़ है । वहां की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, तब यह विधेयक जो आया है, उसकी मंशा पूरी होगी । मैं तो कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा और जितनी जल्दी हो सके, इसका आप बंदोबस्त कराने की कृपा करें । सन् ७४-७५ में जब लोगों को मालूम हुआ बहुत से लोग यहां बैठे हुए थे कि सीलिंग में जमीनें निकलने वाली हैं, तो यहां का ढांचा हिल गया । यहां से दिल्ली तक दौड़-धूप इधर-उधर हुई कि इनको हटाइए । जब ये हट जायेंगे तो वह चीज ठप हो जायगी और हुआ वही जो वह चाहते थे । उनकी मंशा पूरी हुई । वह सरकार हटी और फिर दूसरी सरकार आयी । जो सीलिंग वाली जमीन रही उसको समाप्त कर दिया गया, कोई कार्यवाही नहीं की गयी वहीं ज्यों की त्यों पड़ी रही ।

मान्यवर, सीलिंग की जो जमीनें हैं, उनको आप जितनी जल्दी हो सके, बांटिये । वहां के जो अधिकारी हैं, वह पट्टा एक साल के लिए, दो साल के लिए देते हैं । मान्यवर, अगर पट्टा देना है तो एकदम से उनको दिया जाय । जो गरीब लोग हैं, चाहे जिस जाति के लोग हों, जिनके पास जमीन नहीं है, भूमिहीन हैं, उनको आप जमीन दीजिए ।

(इस समय ३ बजकर ९ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राधेश्याम शर्मा पीठासीन हुए) ।

यह जरूरी नहीं कि खाली हरिजन का नाम यहां लिया जाता है और गरीब का नारा लगाया जाता है, समाजवाद का नारा लगाया जाता है लेकिन होता कहीं कुछ नहीं । हरिजनों का केवल नाम लिया जाता है । आपको उधर ध्यान देना पड़ेगा । हरिजनों का केवल नाम लेने से आप बच नहीं सकते । कब तक बचोगे ? हरिजनों

का नाम लेना बंद करें, गरीब का नाम आप लीजिये । उनका नाम लेना आज से बंद करिये, गरीब का नाम लीजिये । गरीबी और अमीरी की लड़ाई है । हरिजनों का नाम लेकर सदन के अंदर भेद पैदा किया जाता है । हरिजनों का नाम न लीजिये । एक तरफ गरीबी है और एक तरफ अमीरी है, इन दोनों के बीच में संघर्ष है । इसमें सरकार को पार्ट अदा करना चाहिये । इन शब्दों के साथ में निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द अप सीलिंग की जमीनों को बंटवायें और जिन्होंने ग्राम समाज की भूमि पर नाजायज कब्जा कर रखा है, उसके लिये शीघ्रा-तिशीघ्र आदेश भेज करके नाजायज कब्जा हटवाइये । मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री पुरुषोत्तम दास (जिला मिर्जापुर)—

मान्यवर, मैं इस विधेयक के मुतालिक यह कहना चाहता हूं ।

(एक सदस्य के खड़े होने पर ।)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य आप बैठें ।

श्री पुरुषोत्तम दास—

मान्यवर, यह विधेयक बड़ा अच्छा है और सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है । वैसे कहा जाता है कि सरकार हरिजन और गिरिजनों के लिये लुटाये जा रही है । हरिजन गिरिजन लूटे चले जा रहे हैं लेकिन होता कुछ नहीं है । जो भी उनके लिये किया जाता है तो वास्तव में उनके लिये कुछ हो नहीं पाता है । लेकिन जो और लोग हैं या असामाजिक तत्व हैं उनको यह सुनकर क्लेश होता है । कलुषित भावना पैदा होती है ऐसी उलझन पैदा होती है जिसको निपटाने को सरकार बहुत दिनों से कोशिश कर रही है । लेकिन हो नहीं पाता है । यह जमीन ही एक ऐसी चीज है जो हरिजनों और गिरिजनों और गरीब किसानों को मुकदमों से गरीब करती चली जा रही है, वह पनप नहीं पा रहे हैं । मैं कुछ बुनियादी बातों को अर्ज करना चाहता हूं । सवाल यह है कि हो क्या रहा है ? मैं अर्ज करना चाहता हूं कि खरिहर खुर्द में हरिजनों को कुछ कर्ज मिला था जमीनों को ठीक करने के लिये । ४-५ दिन पहले मेरे पास कुछ लोग आये । उनके कर्जे की वसूली शुरू कर दी गई है । मान्यवर, मेरे जिले में जो कुछ हो रहा है, वह कह रहा हूं । हालत यह है कि बेचारों के पीछे वारंट घूम रहा है, जब लोग मेरे पास आये तो मैंने डी० एम० को फोन किया कि देखो ये बेचारे परेशान हो रहे हैं । तेरह कार्तिक तीन असाढ़ लगा है । अगर इसी तरीके से वारंट लगा रहा तो यह बेचारे भाग जायेंगे और खेतों की बुआई खत्म हो जायगी । इसका असर उत्पादन पर पड़ेगा । खेती ही इनका आमदनी का जरिया है । खेती परती रह जायगी गल्ला नहीं पैदा होगा । लेकिन सवाल यह है कि अधिकारी लोग सोचते हैं कि इन एम० एल० एज० के राइट्स क्या हैं ? ड्यूटीज क्या हैं ?

माननीय सदस्यगण इस बात का बुरा नहीं मानेंगे मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि अधिकारीगण खूब राजनीति समझते हैं, वह जानते हैं कि माननीय विधायकगणों के क्या राइट्स हैं और क्या ड्यूटीज हैं ? वह जानते हैं कि सदन में एम० एल० ए० बैठकर कानून बना सकते हैं लेकिन सारे कार्य करने के लिये सदस्य नहीं हैं । इसलिये एम० एल० ए० की कोई हमारे लिए अहमियत नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक पर बोलें ।

श्री पुरुषोत्तम दास—

मान्यवर, मैं उसी से सम्बन्धित पर बोल रहा हूं । आप १० गुना माफ कर देंगे और सीरदारी से भूमिधर बना देंगे । कहने का अभिप्राय यह है कि जब तक मुख्य मंत्री जी अपने अधिकारियों को टाइट नहीं करेंगे तब तक वह जनता को और हमारी बात को नहीं सुनवायेंगे । मैं जिलाधीश को टेलीफोन करता रहा कि उन गरीब हरिजनों को कुछ समय दे दिया जाय और उसके बाद वसूली कर्जे की की जाय । लेकिन जिलाधीश हमारी बात को नहीं मान । इसलिये मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि बरसात तक के लिये कर्जे की वसूली बन्द करवाने की कृपा करें ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य विधेयक की परिधि के बाहर जा रहे हैं । यदि आप बाहर जायेंगे, तो मैं कहूंगा कि आप बैठ जायं ।

श्री पुरुषोत्तम दास—

मान्यवर, जनता के कष्ट के निवारण का सवाल है । विधायक होने के नाते यह हमारा कर्तव्य हो जाता है कि उनके हम कष्टों को दूर करें । आपकी और सदन की गरिमा को सोचते हुये कि कुछ उन लोगों का उपकार हो जायेगा । इसलिये मैं यहां कह रहा हूं । मुख्य मंत्री का दायित्व है कि वह उनके कष्टों को दूर करें ।

श्री अधिष्ठाता—

इसमें एम० एल० ए० का कर्तव्य और मुख्य मंत्री के दायित्व की बात नहीं है । उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक पर आप स्पष्ट राय दें ।

श्री पुरुषोत्तम दास—

मान्यवर, मैं सदन और आपकी गरिमा को सोचते हुये उत्तर प्रदेश की गरीब जनता के कष्टों के निवारण के लिये आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप उनके कष्टों को दूर करेंगे । मैं सदन में न कहूं जिले में न कहूं तो फिर कहां कहूं ? मेरा कोई पर्सनल काम नहीं है । जमीन से सम्बन्धित काम है इसलिये आप इसको सुनें । यहां विधायक बैठे हैं । ऊपर दर्शक दीर्घा में लोग बैठे हैं । समाचार वालों की कलम चल रही है । वह चाहे पूर्वा बहा दें या पश्चिम बहा दें उन्हीं पर सब डिपेन्ड है ।

श्री अधिष्ठाता—

आपको विधेयक के सम्बन्ध में कुछ नहीं मालूम है । आप बैठें । मैंने ३–४ बार आपको मौका दिया लेकिन विधेयक के सम्बन्ध में नहीं बोल रहे हैं । इसलिये आप बैठें ।

*श्री मोहन सिंह (जिला बलिया)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से जो विधेयक मंत्री जी ने पेश किया है, उसका हृदय से समर्थन करना चाहता हूं । आज कहने के लिये सुनहरा दिन है । एक दिन ऐसा था जब उत्तर प्रदेश भूमि विधि विधेयक पेश हुआ था और दूसरे दिन शहरों की जमींदारी समाप्त करने के लिये बिल पेश हुआ था जिसने हिन्दुस्तान

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

और सूबे के हजारों भूमिधरों के संघर्ष को तेज किया था । आज इस विधेयक के पीछे उन तमाम लोगों की यातनाओं का इतिहास छिपा हुआ है । मैं इस विधेयक का समर्थन करने के साथ-साथ माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। पहला सुझाव यह है कि जितने तराई के जिले हैं देवरिया से लेकर देहरादून तक उनमें जमीनों की चोरी है । वहां सही मान में भूमि की पैमाइश नहीं है ।

(इस समय ३ बज कर २० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

अध्यक्ष महोदय, वहां चाहे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को या सरकारी अफसर की सेवा मुक्ति के बाद जमीन एलाट हुई उन सबने जमीन की चोरी की है । मेरा यह सुझाव है कि वहां फिर से पैमाइश करायी जाय ।

दूसरा यह सुझाव है कि भूतपूर्व सरकार ने मंगलदेव विशारद कमेटी बनायी थी जिसने लाखों-लाखों रुपया खर्च करके अपनी रिपोर्ट पेश की । लेकिन अफसोस की बात है कि वह रिपोर्ट आज तक कार्यान्वित नहीं की गयी। उसमें बड़े अधिकारी और भूतपूर्व मंत्रियों के नाम लेकर जमीन की चोरी के उद्धरण दिये गये हैं । मेरी मांग है और सुझाव भी है कि उस रिपोर्ट को सदन के सामने रखा जाय । उसकी सिफारिशों को मजबूती के साथ लागू किया जाय तभी इस संशोधन विधेयक का औचित्य सिद्ध हो सकेगा । इस विधेयक के पीछे सरकार की जो मंशा है उसका मैं समर्थन करता हूं ।

श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत भूमि विधि (संशोधन) विधेयक का मैं हृदयस्थल से समर्थन करने के साथ उसका स्वागत भी करता हूं । यह कानून के रूप में विधेयक परिवर्तित होने जा रहा है । यदि इस प्रदेश में आज से पहले कोई प्रगतिशील सरकार होती जिसके दिल में गरीब किसानों का दर्द होता तो ऐसा विधेयक आज से २० साल पहले इस सदन में आ जाना चाहिए था । मुझे याद आता है वह जमाना जब आरम्भ में जमींदारी विनाश का विधेयक इस सदन में पेश हुआ था तो उस समय कांग्रेस सरकार ने यह साजिश की कि हिन्दुस्तान जो किसानों का देश है और ७५ फीसदी आबादी देहातों में रहती है, इतना बड़ा वर्ग शक्ति में न आ जाय । इसलिए जानबूझकर कांग्रेस सरकार ने उस वर्ग को चार हिस्सों में विभाजित किया । एक तरफ तो जमींदारों को मोटे-मोटे मुआवजे दिये गये और दूसरी तरफ किसानी वर्ग को चार हिस्सों में बांट दिया गया भूमिधरी, अधिवासी, आसामी और सीरदार । तब भी इसका बड़ा विरोध हुआ था और कहा गया था कि यह राजनतिक शरारत है । किसानों को विभाजित करके, उनकी शक्ति को कमजोर करके निहित स्वार्थ के लोग शक्ति में बना रहना चाहते थे । आज बड़े सौभाग्य का दिन है । पहले दस गुना लगान का किस्सा चला तो उसमें जो किसान सामर्थ्य रखते थे वही आ पाये । गरीब किसान भूमिधर का हक नहीं पा सका । नतीजा यह हुआ कि बैंकों से, सहकारी समितियों से, ब्लाक समितियों से जो सहायता मिल सकती थी वह उससे वंचित रहे । फिर लगान बढ़ा कर २० गुना कर दिया गया और इलेक्शन के समय मार्च में कांग्रेस की सरकार ने एक अध्यादेश जारी करके किसानों को भूमिधर बनाने का स्टन्ट खेला जिसका इरादा यह था कि किसान वर्षों से उपेक्षित था उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर सकें, उनके वोट पा सकें और सत्ता में आ सकें । इसलिए यह स्टन्ट रचा गया था ।

[श्री रामदत्त जोशी—]

तो मैं आज इस विधेयक का इसलिए हृदय से स्वागत करता हूं जैसा कि खियासत हुसेन भाई जिक्र कर रहे थे कि पहले भी जिन लोगों की सरकार थी उन्होंने भी ऐसा किया था अध्यादेश के रूप में। मित्रवर यह भूल जाते हैं, कि यह इलेक्शन स्टन्ट था। इन किसानों के लिए दर्द पहले क्यों पैदा नहीं हुई इन तीस सालों में। लेकिन मान्यवर उसमें भी यह नहीं था कि सुओ-मोटो हर सीरदार स्वयं भूमिधर हो जायगा बल्कि हर किसान को अलग से दरख्वास्त देनी पड़ती थी, रिश्वत का बाजार, पटवारी से लेकर के तहसीलदार एस० डी० एम० तक गरम होता चला गया आदेश अमल में नहीं आया।

मान्यवर, जब यह विधेयक पास हो कर कानून बन जाता है तो यह बड़ी क्रान्ति की बात है कि हर सीरदार स्वतः ही (suo-moto) सुओ-मोटो भूमिधर हो जायगा। मान्यवर, एक चीज माननीय मंत्री जी की नोटिस में लाना चाहता हूं कि इस में संरक्षण दिया है नान ट्रान्सफरेबल का, असंक्रमणीय अधिकार दिया है वह केवल उनको दिया है जिनको कि ग्राम समाज से भूमि पट्टे में मिली हुई है। अनधिकृत जोत वालों को भी इस में संरक्षण दिया जाना जरूरी है।

अखबारों में आप देखते हैं रोज इश्तिहार छपते हैं भूमि विकास बैंक की ओर से जिन में भूमि की नीलामी की नोटिस दी जाती है। किसान ऋण लेने जाता है लेकिन दे नहीं पाता। आप इतनी व्यवस्था कर दें कि आप का भूमि विकास बैंक कर्ज देता है तो वह जमीन की नीलामी न करवा सके चाहे कर्ज को पचास किस्तों में वसूल कर लें, उसकी फसल की कुर्की कर वसूल कर लें लेकिन उसकी जमीन नीलाम न हो।

दूसरी बात जिसकी ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है कि यह भूमिधरी अधिकार पहले भी सारे प्रदेश में लागू हुए थे। मेरे जिले क्षेत्र को तराई भाभर में यह सन् १९६८ में बड़े आन्दोलन के बाद लागू किया गया और उसमें भी अभी भेदभाव रखा गया है। तराई लोना का इजेशन की एरिया असंक्रमणीय होगी और खाम स्टेट की एरिया संक्रमणीय होगी। इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि तराई भाभर के क्षेत्र में थारु और बोक्सा जन जाति के लोग रहते हैं जो निरक्षर और अनपढ़, भोले-भाले, सीधे-साधे हैं। तराई के क्षेत्र में पूर्वी बंगाल जो पहले पाकिस्तान का भाग था वहां से भी लोग आये हुए हैं। बंगाली हरिजन लोग हजारों की तादाद में वहां बसे हुए हैं। इन लोगों के पास अनएकानामिक जोत हैं। आज स्थिति यह है कि तराई के हरिजन थारु और बोक्सा सब से दलित वर्ग है। इनकी जमीन का कब्जा नाजायज तरीके से छीना जाता है, नाजायज तरीके से रजिस्ट्री भी होती है। मेरा निवेदन है कि सवा छः एकड़ तक भूमिधरी का प्रोटेक्शन इन्हें भी अवश्य मिलना चाहिए। इस विधेयक में और संशोधन जोड़ लें यदि आवश्यक समझें और इस प्रकार इसे शामिल किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को एक क्रान्ति मानता हूं इस माने में कि यह सारे प्रदेश के समस्त सीरदार किसानों को स्वतः बिना कोई दरख्वास्त दिये हुए सुओ-मोटो भूमिधर होने की घोषणा करता है। मैं इसका स्वागत करता हूं।

श्री शारदा भक्त सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने इस विधेयक का स्वागत और समर्थन किया और साथ ही साथ बड़े मूल्यवान

सुझाव दिये । विधेयक के अतिरिक्त बहुत से ऐसे सुझाव दिये गये हैं जो इस विधेयक से सम्बन्धित नहीं थे, लेकिन फिर भी मैं उन सुझावों का स्वागत करता हूं और उन पर विचार करके जो भी उस सम्बन्ध में आवश्यक होगा, करने का प्रयत्न करूंगा ।

जहां तक भूमि व्यवस्था का सवाल है यह एक बड़ा काम है, भयंकर समस्या है और इस सम्बन्ध में तरह-तरह की बातें सामने आई हैं । बार-बार यह बात कही गयी कि गरीब वर्ग को, हरिजनों को जो भूमि दी गयी उस पर उनको कब्जा नहीं मिला, उसका वास्तविक लाभ उनको नहीं मिल रहा है, उसमें कुछ सच्चाई भी है । इस समस्या को पूरे तौर से हल करने के लिये समय की आवश्यकता है । जैसा मैंने कहा, इस समस्या को उलझा दिया गया और अधिक भयंकर बना दिया गया । भूमि आबंटन का जो काम हुआ है सभी साथियों ने यह बात कही कि सारा फर्जी काम हुआ है, गरीबों को उस पर कब्जा नहीं मिला है, मेड़बन्दी नहीं हुई है और जो वास्तविक लाभ होना चाहिये था, वह उनको नहीं मिला है । कानून के तहत में सारा आवंटन हुआ, लेकिन फर्जी हुआ । अगर प्रारम्भ से आवंटन करने का अवसर मिलता तो पूरा जोर लगा कर शायद गरीबों, हरिजनों तथा भूमिहीनों की सेवा की जा सकती, लेकिन इस समस्या को ऐसा उलझा दिया गया है कि उसका समाधान निकालना अत्यन्त कठिन हो गया है । कांग्रेस सरकार ने बहुत जोरों से प्रचार किया कि भूमि को बांट दिया है जब कि वास्तव में वैसा हुआ नहीं और वह एक समस्या बन कर रह गयी है । इसका कारण मैं यह समझता हूं कि प्रचार अधिक हुआ, और काम कम हुआ । रेडियो अखबार से बार-बार प्रचार किया गया कि जमीन बांट दी गयी लेकिन वास्तव में हुआ कुछ नहीं जिससे समस्या उलझ कर रह गयी । इस समस्या को प्रचार के जरिये इतना उलझा दिया गया है कि यह सोचना होगा कि जो फर्जी आवंटन हुआ है, जिससे उनको लाभ नहीं हुआ है उसे कैसे ठीक किया जाय, यह एक बड़ी भारी समस्या है । इस पर हम विचार कर रहे हैं । जब जनता सरकार ने अपने ऊपर उत्तरदायित्व लिया है तो उसका हम कोई न कोई हल शीघ्र ही निकालेंगे । जनता पार्टी प्रचार में विश्वास न ही करती। चाहे भूमि आवंटन का काम हो अथवा ऋण सम्बन्धी काम हो विरोध पक्ष के सदस्य एक बात बार-बार ही कहते हैं कि वे हरिजनों के साथी, हैं, लेकिन दूसरी ओर यह भी कहते हैं कि जो भूमि उन्होंने बांटी वह उनको नहीं मिली तो यह विरोधाभास है । इसमें उनको संतुलन करना होगा । यह एक साधारण सा अध्यादेश है जिसकी मियाद २३ जुलाई को समाप्त हो रही है । इसलिये इसे अधिनियमित करना था । उसके सम्बन्ध में मैं यह विधेयक लाया हूं बड़ा साधारण सा यह विधेयक है । शायद चुनाव के पहले प्रचार की दृष्टि से आपने यह बनाया हो या जो भी कारण हो हमने इसे ठीक समझा इसलिए यह विधेयक प्रस्तुत किया है । जितने भी सीरदार हैं, उनको भूमिधर वर्ग पैसे लिए बनाने की बात है ।

पहाड़ों के सम्बन्ध में कुछ बातें माननीय सदस्यों ने कहीं । उनको शंका हुई है शायद निरसन कर देने से उनको जो पहले सुविधायें मिलती थीं । वह बंद हो जायेंगी । मैं इस सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहता हूं कि परंपरागत जो अधिकार भूमि पर उनके थे, उनको किसी प्रकार लेने का इरादा नहीं है वह अधिकार बने रहेंगे और जो हम निरसन कर रहे हैं उसमें इसकी व्यवस्था है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक उनके परम्परागत अधिकार की बात है भूमि पर उस पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा । जैसे चरागाह हैं या लकड़ी के अधिकार हैं उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं होगा । वह कहते हैं कि पहले यह व्यवस्था थी कि अगर वह भूमि बढ़ा ले तो वह भूमि उसकी हो जाती थी । मैंने जैसा

[श्री शारदा भगत सिंह---]

कहा और माननीय सदस्यों ने भी कहा कि गवर्नमेंट ग्रांट ऐक्ट में यह व्यवस्था कर दी गई है और ऐसी कोई भी हो उसका पट्टा दिया जायेगा । इस सम्बन्ध में जिला अधिकारियों को निर्देश भी दे दिये गये हैं और जो शंका आपने की है में समझता हूं कि वह हमारे ध्यान में है और कोई कठिनाई इसमें नहीं होगी । (व्यवधान) माननीय सदस्य ने एक बात कही कमेटी बना दी गई है । वह क्यों बना दी है विकास कर के बारे में । तो जो समिति बनी है वह पहले से बनी हुई है नियमावली में वह बनी हुई है इसलिए हमने उसको अधिनियम में रख दिया है ।

श्री देवबहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

जब विकास कर खत्म हो जायेगा तो इसकी क्या आवश्यकता है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

इस पर विचार हो रहा है, इस समय कुछ कहना सही नहीं होगा । यह नियमावली पहले से बनी हुई है । मूल अधिनियम में थी ।

कुछ माननीय सदस्यों ने शंका व्यक्त की है कि बड़े-बड़े फार्म लोग लिए बैठे हैं और सीलिंग की जमीन पूरी तरह से बांटी नहीं गई है और गरीबों को जमीन नहीं मिली है । यह शंका इसलिए व्यक्त की जा रही है कि पिछले दिनों में जो व्यवस्था रही है उस पर यह आधारित है । मैं आपको एक ही बात कह सकता हूं कि जनता पार्टी गरीबों की मदद करने के लिए आई है । हम उनकी समस्याओं को समझना चाहते हैं और जो चीजें देखने में आरही हैं उन पर विचार हो रहा है । मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि गरीबों की जो समस्यायें हैं चाहे वह सीलिंग सम्बन्धी हो, चाहे मेड़ बंदी की हों, उन पर विचार किया जायेगा और उनको हम हल करेंगे । आपने कहा क्रांतिकारी विधेयक लाये हैं लेकिन विधेयक में बहुत सी कमियां हैं । तो यह कोई अंतिम विधेयक नहीं है जरूरत होगी तो और लायेंगे । प्रदेश के लोगों को नई आशा बंधी है उनको जनता पार्टी देख रही है । पूरी तरह से उस पर विचार किया जायेगा । हम बैठ कर विचार करेंगे और जो भी समस्यायें हैं मिल कर तय करेंगे । अगर इसके बाद भी कोई हल नहीं निकलेगा तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि उनका निराकरण करेंगे । मैं उम्मीद करता हूं कि इसको दलगत बातों के प्रश्न नहीं बनाया जायेगा । इसमें गरीबों का सवाल है उन लोगों की जीवन-मरण का प्रश्न है इसमें सभी दल एक होकर सहयोग करेंगे तो मैं जनता पार्टी की ओर से इस सदन को विश्वास दिलाता हूं कि जो सुझाव यहां माननीय सदस्यों ने दिए हैं, उनका हल अवश्य होगा । इस आशा के साथ मैं सबको धन्यवाद देता हूं ।

श्री देव कुमार (जिला बांदा)--

जिस तरह से मंत्री जी महसूस करते हैं कि उनको और वक्त चाहिए था और इस अधिनियम से वह खुद सन्तुष्ट नहीं हैं जो उसमें परिवर्तन होने जा रहे हैं, तो मैं यकीन करता हूं कि मेरा संशोधन स्वीकार हो जाएगा ।

*श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, मैं इस माननीय सदन के सारे सदस्यों का आभारी हूं कि जिन्होंने मेरे प्रवर समिति के संशोधन पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं यह समझता हूं कि करीब-करीब सभी माननीय सदस्यों ने कुछ न कुछ सुझाव उस ढंग के दिए ह, जैसे मेरे हैं। साथ ही साथ मंत्री जी ने जो आश्वासन दिए हैं, वह इस बात को महसूस करते हैं कि भूमि के सम्बन्ध में कानून इतने उलझ गये हैं कि वह उसको सुलझाने के लिए वह कोई नया और क्रान्तिकारी कदम उठाएंगे, जो सारे भूमि सम्बन्धी मसले हल कर सके। मैं यह आशा करता हूं कि जो माननीय सदस्यों ने सुझाव दिए हैं उनको ध्यान में रखते हुए माननीय राजस्व मंत्री जी एक बड़ा क्रान्तिकारी भूमि विधि (संशोधन) विधेयक इस सदन में शीघ्र ही लाने की कोशिश करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं इस अपने प्रवर समिति के प्रस्ताव को वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९७७ को इस सदन की प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक सप्ताह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री रियासत हुसैन को अपना संशोधन प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति दी जाए।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९७७ पर विचार किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जगदम्बा प्रसाद सिंह (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मैं इस (संशोधन) विधेयक में जो खंडों में संशोधन दिए थे, उसे वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य ने तो कोई संशोधन प्रस्तुत ही नहीं किया। अब इन संशोधनों के प्रस्तुत न करने पर खंड ५६ में सिर्फ एक शाब्दिक संशोधन श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी जी का है। इसलिए चूंकि कोई खंडों में संशोधन नहीं है, मैं इस विधेयक के खंडों को ले रहा हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खण्ड २ से ५८

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५० का संशोधन

उ० प्र० अधिनियम संख्या १, १९५१ की धारा १२९ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५० की (जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है) धारा १२९ में, खण्ड (१) और (२) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात्

"(१) संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर,

(२) असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर ;"

धारा १३० और १३१ का प्रति-स्थापन

३—मूल अधिनियम की धारा १३० और १३१ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात् :—

संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर

"१३०—निम्नलिखित वर्गों में से किसी वर्ग का प्रत्येक व्यक्ति जो धारा १३१ में अभिदिष्ट व्यक्ति न हो, संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर कहा जायगा और उसको वे सब अधिकार प्राप्त होंगे और वह उन सब दायित्वों के अधीन होगा जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन ऐसे भूमिधरों को प्रदत्त किये गये हों या उन पर आरोपित किये गये हों, अर्थात्—

(क) प्रत्येक व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, १९७७ के प्रारम्भ के दिनांक के ठीक पूर्व भूमिधर था;

(ख) प्रत्येक व्यक्ति जो उक्त दिनांक के ठीक पूर्व, धारा १३१ के, जैसा वह उक्त दिनांक के ठीक पूर्व थी, खण्ड (क) या खण्ड (ग) में अभिदिष्ट, सीरदार था;

(ग) प्रत्येक व्यक्ति, जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन या अनुसार किसी अन्य रीति से उक्त दिनांक को या उसके पश्चात् ऐसे भूमिधर का अधिकार प्राप्त कर ले ।

असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर

१३१—निम्नलिखित वर्गों में से किसी वर्ग का प्रत्येक व्यक्ति असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर कहा जायगा, और उसको वे सब अधिकार प्राप्त होंगे और वह उन सब दायित्वों के अधीन होगा जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन ऐसे भूमिधरों को प्रदत्त किये गये हों या उन पर आरोपित किये गये हों, अर्थात्:—

(क) प्रत्येक व्यक्ति जिसे उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, १९७७ के प्रारम्भ के दिनांक के

पूर्व धारा १९५ के अधीन कोई भूमि सीरदार के रूप में या उक्त दिनांक को या उसके पश्चात् उक्त धारा के अधीन असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के रूप में उठा दी जाय;

(ख) प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन या अनुसार किसी अन्य रीति से उक्त दिनांक को या उसके पश्चात् ऐसे भूमिधर का अधिकार प्राप्त कर ले ;

(ग) प्रत्येक व्यक्ति जिसे उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ अधिनियम, १९५२ के अधीन कोई भूमि प्रदिष्ट हो या की जाय ।"

धारा १३२ का संशोधन

४—मूल अधिनियम की धारा १३२ में जहां कहीं भी शब्द "सीरदारी" आया हो उसके स्थान पर शब्द "भूमिधरी" रख दिया जायगा ।

धारा १३३ का संशोधन

५—मूल अधिनियम की धारा १३३ में, खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्—

"(ख) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसे उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, १९७७ के प्रारम्भ के पूर्व किसी भूमिधर या सीरदार ने, या ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् किसी भूमिधर ने अपने खाते के अन्तर्गत भूमि को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार पट्टे पर उठा दी हो ।"

धारा १३४ का निकाला जाना

६—मूल अधिनियम की धारा १३४ निकाल दी जायेगी ।

धारा १३५ का निकाला जाना

७—मूल अधिनियम की धारा १३५ निकाल दी जायेगी ।

धारा १३६ का निकाला जाना

८—मूल अधिनियम की धारा १३६ निकाल दी जायेगी ।

धारा १३७ का संशोधन

९—मूल अधिनियम की धारा १३७ में, उपधारा (१) में, शब्द और अंक "धारा १३५" के पश्चात् शब्द और अंक "जैसी कि वह उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, १९७७ के प्रारम्भ के ठीक पूर्व थी," बढ़ा दिये जायेंगे ।

धारा १३८ का निकाला जाना

१०—मूल अधिनियम की धारा १३८ निकाल दी जायेगी ।

धारा १४६ का संशोधन

११—मूल अधिनियम की धारा १४६ में, जहां कहीं भी शब्द "सीरदार या असामी" आये हों उनके स्थान पर शब्द "असामी" रख दिया जायगा ।

धारा १५२ और १५३ का प्रतिस्थापन

१२—मूल अधिनियम की धारा १५२ और १५३ के स्थान पर निम्नलिखित धारायें रख दी जायेंगी, अर्थात्—

"१५२—(१) असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर का स्वत्व, आगे दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, संक्रमणीय होगा ।

असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधरों द्वारा कतिपय संक्रमण अनुज्ञेय होगा ।

(२) असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर, ऐसी परिस्थितियों में, जो नियत की जायं, अपनी जोत में अपने स्वत्व को राज्य सरकार से तकावी के रूप में या सहकारी समिति से या स्टेट बैंक आफ इंडिया से या किसी ऐसे अन्य बैंक से, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, १९३४ की धारा २ के खण्ड (ङ) के अर्थान्तर्गत अनुसूचित बैंक हो, या उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो-इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड से लिये गये ऋण के लिये प्रतिभूति के रूप में कब्जा दिये बिना, बंधक रख सकता है और अपनी जोत में, उस भाग को छोड़ कर जो इस प्रकार बन्धक रखा गया हो, अपने स्वत्व को कृषि, उद्यानकरण और पशुपालन की शिक्षा से सम्बद्ध किसी भी प्रयोजन के लिये दान द्वारा किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्था को संक्रमित भी कर सकता है ।

१५३—जैसा कि इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से अनुज्ञात हो उसके सिवाय, असामी का स्वत्व संक्रमणीय नहीं होगा ।

असामी का स्वत्व संक्रमणीय नहीं होगा ।

धारा १५६ का संशोधन

१३—मूल अधिनियम की धारा १५६ में शब्द "सीरदार" निकाल दिया जायगा ।

धारा १५७ का संशोधन

१४—मूल अधिनियम की धारा १५७ में, शब्द "सीरदार या" निकाल दिया जायगा ।

धारा १५७-क का संशोधन

१५—मूल अधिनियम की धारा १५७-क में :

(क) शब्द "सीरदार" जहां वह प्रथम बार आया है, निकाल दिया जायगा ;

(ख) प्रतिबन्धात्मक खंड में, शब्द "भूमिधर, सीरदार या असामी" के स्थान पर शब्द "संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर या असामी" रख दिये जायेंगे ।

१६—मूल अधिनियम की धारा १६० में, शब्द "भूमिधर या सीरदार के, जैसी भी दशा हो" के स्थान पर शब्द "भूमिधर के" रख दिये जायेंगे । धारा १६० का संशोधन

१७— मूल अधिनियम की धारा १६१ में, जहां कहीं भी शब्द "भूमिधर या सीरदार" आय हों, उनके स्थान पर शब्द "भूमिधर" रख दिया जायगा । धारा १६१ का संशोधन

१८—मूल अधिनियम की धारा १६५ में,— धारा १६५ का संशोधन

(एक) शब्द "यदि धारा १५७ में अभिदिष्ट भूमिधर से भिन्न कोई भूमिधर अपने खाते को या उसके किसी भाग को पट्टे पर दे दे तो" के स्थान पर शब्द "जहां किसी भूमिधर ने धारा १५६ या धारा १५७ के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए अपने खाते को या उसके किसी भाग को पट्टे पर दे दिया हो, वहां" रख दिये जायेंगे ।

(दो) खंड (क) में, शब्द "सीरदार" के स्थान पर शब्द "असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर" रख दिये जायेंगे ।

१९—मूल अधिनियम की धारा १६६ में, शब्द "सीरदार" के स्थान पर शब्द "असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर" रख दिये जायेंगे । धारा १६६ का संशोधन

२०—मूल अधिनियम की धारा १६८ निकाल दी जायगी । धारा १६८ का निकाला जाना

२१—मूल अधिनियम की धारा १६८-क में, उपधारा (३) में शब्द और अंक "और १६८" निकाल दिये जायेंगे । धारा १६८-क का संशोधन

२२—मूल अधिनियम की धारा १६९ में, जहां कहीं भी शब्द "भूमिधर" आया हो, उसके स्थान पर शब्द "संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर" रख दिये जायेंगे । धारा १६९ का संशोधन

२३—मूल अधिनियम की धारा १७० में, शब्द "सीरदार" के स्थान पर शब्द "असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर" रख दिये जायेंगे । धारा १७० का संशोधन

२४—मूल अधिनियम की धारा १७१ में, शब्द "सीरदार" निकाल दिया जायगा । धारा १७१ का संशोधन

२५—मूल अधिनियम की धारा १७२ में, जहां कहीं भी शब्द "सीरदार", "या सीरदार" और "अथवा सीरदार" आये हों, उनको निकाल दिया जायगा । धारा १७२ का संशोधन

२६—मूल अधिनियम की धारा १७२-क निकाल दी जायेगी । धारा १७२-क का निकाला जाना

धारा १७४ का संशोधन — २७—मूल अधिनियम की धारा १७४ में, जहां कहीं भी शब्द "सीरदार" आया हो, उसे निकाल दिया जायगा ।

धारा १७६ का संशोधन — २८—मूल अधिनियम की धारा १७६ में, शब्द "और सीरदार" निकाल दिये जायेंगे ।

धारा १७८ का संशोधन — २९—मूल अधिनियम की धारा १७८ में, उपधारा (३) में, खंड (ख) में, शब्द और अंक "धारा १३४" के पश्चात् शब्द और अंक "जैसा कि वह उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (संशोधन) अधिनियम, १९७७ के प्रारम्भ के ठीक पूर्व थी" बढ़ा दिये जायेंगे ।

धारा १८२-ख का संशोधन — ३०—मूल अधिनियम की धारा १८२-ख में, शब्द "या सीरदार" निकाल दिये जायेंगे ।

धारा १८३ का संशोधन — ३१—मूल अधिनियम की धारा १८३ में, जहां कहीं भी शब्द "सीरदार" आया हो, उसके स्थान पर शब्द "असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर" रख दिये जायेंगे ।

धारा १८५ का संशोधन — ३२—मूल अधिनियम की धारा १८५ में, शब्द "सीरदार" के स्थान पर शब्द "असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर" रख दिये जायेंगे ।

धारा १८६ का संशोधन — ३३—मूल अधिनियम की धारा १८६ में, जहां कहीं भी शब्द "सीरदार" आया हो, उसके स्थान पर शब्द "असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर" रख दिये जायेंगे ।

धारा १८७ का संशोधन — ३४—मूल अधिनियम की धारा १८७ में, जहां कहीं भी शब्द "सीरदार" आया हो, उसके स्थान पर शब्द "असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर" रख दिये जायेंगे ।

धारा १८७-क का संशोधन — ३५—मूल अधिनियम की धारा १८७-क में, जहां कहीं शब्द "अथवा सीरदार" और "या सीरदार" आये हों निकाल दिये जायेंगे ।

धारा १८९ का संशोधन — ३६—मूल अधिनियम की धारा १८९ में, जहां कहीं भी शब्द "भूमिधर" आया हो, उसके स्थान पर शब्द "संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर" रख दिये जायेंगे ।

धारा १९० का संशोधन — ३७—मूल अधिनियम की धारा १९० में, जहां कहीं भी शब्द "सीरदार" आया हो, उसके स्थान पर शब्द "असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर" रख दिये जायेंगे ।

धारा १९१ का संशोधन — ३८—मूल अधिनियम की धारा १९१ में, शब्द "या सीरदार" निकाल दिये जायेंगे ।

धारा १९३ का संशोधन — ३९—मूल अधिनियम की धारा १९३ में, शब्द "सीरदार" के स्थान पर शब्द "भूमिधर" रख दिया जायगा ।

धारा १९४ का संशोधन

४०—मूल अधिनियम की धारा १९४ में, खंड (क) और (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जायगा, अर्थात्:—

"(क) भूमि किसी भूमिधर के पास रही हो और ऐसी भूमि में उसका स्वत्व धारा १८९ के खंड (क) या खंड (कक) या धारा १९० के खंड (क), खंड (ख), खंड (ग), खंड (गग) या खंड (ङ) के अधीन समाप्त हो गया हो;"

धारा १९५ का संशोधन

४१—मूल अधिनियम की धारा १९५ में, शब्द "सीरदार" के स्थान पर शब्द "असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर" रख दिये जायेंगे ।

धारा १९६ का निकाला जाना

४२—मूल अधिनियम की धारा १९६ निकाल दी जायगी ।

धारा १९८ का संशोधन

४३—मूल अधिनियम की धारा १९८ में,—

(एक) शब्द "सीरदार" जहां वह प्रथम बार आया है, उसके स्थान पर शब्द "असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर" रख दिये जायेंगे ।

(दो) स्पष्टीकरण में, खंड (१) में, शब्द "सीरदार" निकाल दिया जायेगा ।

(तीन) उपधारा (३) में शब्द "सीरदार" निकाल दिया जायेगा ।

धारा १९९, २०० और २०१ का प्रतिस्थापन

४४—मूल अधिनियम की धारा १९९, २०० और २०१ के स्थान पर निम्नलिखित धारायें रख दी जायेंगी, अर्थात्—

"१९९—जैसा इस अधिनियम में उपबन्धित है, उसके सिवाय कोई भूमिधर अपनी जोत से बेदखल नहीं किया जायेगा ।

भूमिधरों की बेदखली

२००—जैसा इस अधिनियम में उपबन्धित है, उसके सिवाय कोई असामी अपनी जोत से बेदखल नहीं किया जायगा ।

असामी की बेदखली

२०१—असंक्रमणीय अधिकार वाला कोई भूमिधर, गांव सभा के वाद पर अपनी जोत से धारा २०६ या २१२ में उल्लिखित किसी आधार पर बेदखल किया जा सकेगा ।

गांव सभा के वाद पर बेदखली

धारा २०२ का संशोधन

४५—मूल अधिनियम की धारा २०२ में, खंड (क) अंक "१९७" निकाल दिया जायगा ।

धारा २०६ का संशोधन

४६—मूल अधिनियम की धारा २०६ में, शब्द "सीरदार या" निकाल दिये जायेंगे ।

धारा २०७ का संशोधन

४७—मूल अधिनियम की धारा २०७ में, जहां कहीं भी शब्द "सीरदार या" आया हो, उन्हें निकाल दिया जायगा :

धारा २०९ का संशोधन

४८—मूल अधिनियम की धारा २०९ में, जहां कहीं भी शब्द "सीरदार" आया हो, उसे निकाल दिया जायगा ।

धारा २१० का प्रतिस्थापन

४९—मूल अधिनियम की धारा २१० के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्—

धारा २०९ के अधीन वाद प्रस्तुत न करने का परिणाम

"२१०—यदि उस परिसीमा काल में, जो ऐसे वाद या ऐसी डिक्री के निष्पादन के लिये यथास्थिति उपबन्धित है, धारा २०९ के अधीन किसी भूमि से बेदखली का वाद किसी भूमिधर या असामी के द्वारा संस्थित नहीं किया जाता है या किसी ऐसे वाद में प्राप्त बेदखली की डिक्री को निष्पादित नहीं किया जाता है, तो कब्जा करने या रखने वाला व्यक्ति—

(क) जहां भूमि संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर की जोत का भाग हो, ऐसी भूमि का संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जायगा और ऐसी भूमि पर, यदि कोई असामी हो तो उसके अधिकार, आगम और स्वत्व समाप्त हो जायेंगे ।

(ख) जहां भूमि असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर की जोत का भाग हो, असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जायगा और ऐसी भूमि पर, यदि कोई असामी हो तो उसके अधिकार, आगमन और स्वत्व समाप्त हो जायेंगे ।

(ग) जहां भूमि गांव सभा की ओर के किसी असामी को जोत का भाग हो, जोत का असामी वर्ष प्रति वर्ष हो जायगा ।"

धारा २११ का निकाला जाना

५०—मूल अधिनियम की धारा २११ निकाल दी जायगी ।

धारा २२८ का संशोधन

५१—मूल अधिनियम की धारा २२८ में, शब्द "सीरदारों और" निकाल दिये जायेंगे और उसके स्पष्टीकरण में, शब्द "सीरदारों या" निकाल दिये जायेंगे ।

धारा २२९-ख का संशोधन

५२—मूल अधिनियम की धारा २२९-ख में, शब्द "या सीरदार जैसी भी दशा हो" निकाल दिये जायेंगे ।

धारा २२९-ग का संशोधन

५३—मूल अधिनियम की धारा २२९-ग में, शब्द "अथवा सीरदार" निकाल दिये जायेंगे ।

५४—मूल अधिनियम की धारा २३० में, उपधारा (२) में— धारा २३० का संशोधन

(एक) खंड (क), (ख), (घ) और (ङ) निकाल दिये जायेंगे ।

(दो) खंड (छ) में, शब्द "सीरदार और असामी" निकाल दिये जायेंगे ।

५५—मूल अधिनियम की धारा २४०-ख में, जहां कहीं भी शब्द "सीरदार" आया हो, उसके स्थान पर शब्द "असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर" रख दिये जायेंगे । धारा २४०-ख का संशोधन

५६—मूल अधिनियम की धारा २५० में, शब्द "सीरदार" के स्थान पर शब्द "असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर" रख दिये जायेंगे । धारा २५० का संशोधन

५७—मूल अधिनियम की धारा २६७-क में, शब्द "भूमिधर" के स्थान पर शब्द "संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर" रख दिये जायेंगे । धारा २६७-क का संशोधन

५८—मूल अधिनियम के अध्याय १० में, सीरदारों के प्रति सभी अभिदेश, जहां कहीं भी आये हों, निकाल दिये जायेंगे । अध्याय १० का संशोधन

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ से लेकर खन्ड ५८ तक इस विधेयक के अंग माने जाएं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २—५९

५९—मूल अधिनियम की अनुसूची २ में— अनुसूची २ का संशोधन

(एक) क्रम संख्या ५ और ८ की वर्तमान प्रविष्टियां निकाल दी जायेंगी ।

(दो) क्रम संख्या १५ में, स्तम्भ ३ में, शब्द "सीरदार" के स्थान पर शब्द "असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर" रख दिये जायेंगे ।

(तीन) क्रम संख्या १६ में, स्तम्भ ३ में, शब्द "या सीरदार" निकाल दिये जायेंगे ।

(चार) क्रम संख्या २२ में, स्तम्भ ३ में शब्द "सीरदार" के स्थान पर शब्द "असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर" रख दिये जायेंगे ;

(पांच) क्रम संख्या २५ की वर्तमान प्रविष्टियां निकाल दी जायेंगी ।

श्री अध्यक्ष—

यह शाब्दिक संशोधन है, एजेन्डे में लिखित नहीं है, इसे मन्त्री जी स्वीकार करेंगे ।

श्री देव बहादुर सिंह—

कोई प्रस्तुतकर्ता तो हो ।

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास आ गया है, वह नहीं उठे ।

श्री देव बहादुर सिंह—

नहीं उठे तो नहीं माना जायगा ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य विधिवत् पेश कर दें ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी (जिला गोंडा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक १९७७ में निम्नलिखित संशोधन की सूचना देता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

आप कहिए कि मैं यह संशोधन पेश करता हूं । आप प्रस्ताव कीजिये संशोधन का ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद, चौधरी—

मैं यह संशोधन पेश करता हूं कि विधेयक के खंड ५६ के खंड (एक) में संख्या ५ के स्थान पर संख्या ६ रख दी जाय ।

श्री शारदा भक्त सिंह—

मैं इसको स्वीकार करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ५६ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

श्री देव बहादुर सिंह—

आप भी पढ़ें तब अंग बनेगा ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ५६ के खंड (एक) में संख्या '५' के स्थान पर संख्या '६' रख दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ५९ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ६०–७५

अध्याय तीन

जौनसार बावर जमींदारी–विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम, १९५६

उ० प्र० अधिनियम संख्या ११, १९५६ की धारा ३१ का संशोधन

६०—जौनसार–बावर जमींदारी–विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५६ (जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ३१ में, खण्ड (क) और (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात्—

"(क) संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर ;

(ख) असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर ;"

धारा ३२ और ३३ प्रतिस्थापन

६१—मूल अधिनियम की धारा ३२ और ३३ के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रख दी जायेंगी, अर्थात्—

"३२—निम्नलिखित वर्गों में से किसी वर्ग का प्रत्येक व्यक्ति जो धारा ३३ में अभिदिष्ट व्यक्ति न हो, संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर कहा जायगा और उसको वे सब अधिकार प्राप्त होंगे और वह उन सब दायित्वों के अधीन होगा जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन ऐसे भूमिधरों को प्रदत्त किये गये हों या उन पर आरोपित किये गये हों, अर्थात्—

संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर

(क) प्रत्येक व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, १९७७ के प्रारम्भ के दिनांक के ठीक पूर्व भूमिधर था,

(ख) प्रत्येक व्यक्ति जो उक्त दिनांक के ठीक पूर्व दिनांक को धारा ३३ के, जैसा वह उक्त दिनांक के ठीक पूर्व थी, खण्ड (क) या खण्ड (ग) में, अभिदिष्ट सीरदार था,

(ग) प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन या अनुसार किसी अन्य रीति से उक्त दिनांक को या उसके पश्चात् ऐसे भूमिधर का अधिकार प्राप्त कर ले ।

३३—निम्नलिखित वर्गों में से किसी वर्ग का प्रत्येक व्यक्ति असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर कहा जायगा और उनको वे सब अधिकार प्राप्त होंगे और वह उन सब दायित्वों के अधीन होगा जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन ऐसे भूमिधरों को प्रदत्त किये गये हों, या उन पर आरोपित किये गये हों, अर्थात्—

असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर

(क) प्रत्येक व्यक्ति जिसे उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, १९७७ के प्रारम्भ के दिनांक के पूर्व कोई खाली भूमि सीरदार के रूप में उठा दी गई हो,

(ख) प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन या अनुसार किसी अन्य रीति से उक्त दिनांक को या उसके पश्चात् ऐसे भूमिधर का अधिकार प्राप्त कर ले,

(ग) प्रत्येक व्यक्ति जिसे उत्तर प्रदेश भूदान यज्ञ अधिनियम, १९५२ के अधीन कोई भूमि प्रदिष्ट हो या की जाय ।"

धारा ३५ का संशोधन

६२—मूल अधिनियम की धारा ३५ में, शब्द "सीरदार" निकाल दिया जायगा ।

अध्याय चार

कुमायूं तथा उत्तराखण्ड जमींदारी-विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९६० का संशोधन

उ० प्र० अधिनियम संख्या १७, १९६० की धारा ४२ का संशोधन

६३—कुमायूं तथा उत्तराखण्ड जमींदारी-विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९६० (जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ४२ में खण्ड (क) और (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात्—

"(क) संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर ;

(ख) असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर ;"

धारा ४३ और ४४ का प्रतिस्थापन

६४—मूल अधिनियम की धारा ४३ और ४४ के स्थान पर निम्नलिखित धारायें रख दी जायेंगी, अर्थात्—

संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर

"४३—निम्नलिखित वर्गों में से किसी वर्ग का प्रत्येक व्यक्ति जो धारा ४४ में अभिदिष्ट व्यक्ति न हो संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर कहा जायगा और उसको वे सब अधिकार प्राप्त होंगे और वह उन सब दायित्वों के अधीन होगा जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन ऐसे भूमिधरों को, प्रदत्त किये गये हों या उन पर आरोपित किये गये हों, अर्थात्—

(क) प्रत्येक व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, १९७७ के प्रारम्भ के दिनांक के ठीक पूर्व भूमिधर था,

(ख) प्रत्येक व्यक्ति जो उक्त दिनांक के पूर्व या पश्चात् धारा ३४ के अधीन ऐसे भूमिधर के अधिकारों का क्रेता है,

(ग) प्रत्येक व्यक्ति जो उक्त दिनांक के ठीक पूर्व धारा ३६ के खण्ड (क) में अभिदिष्ट सीरदार था,

(घ) प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन या अनुसार किसी अन्य रीति से उक्त दिनांक को या उनके पश्चात् ऐसे भूमिधर का अधिकार प्राप्त कर ले ।

असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर

४४—निम्नलिखित वर्गों में से किसी वर्ग का प्रत्येक व्यक्ति असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर कहा जायगा और उसको वे सब अधिकार प्राप्त होंगे और वह उन सब दायित्वों के अधीन होगा जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन ऐसे भूमिधरों को प्रदत्त किये गये हों या उन पर आरोपित किये गये हों, अर्थात्—

(क) प्रत्येक व्यक्ति जो धारा ४४ के जैसा कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, १९७७ के प्रारम्भ के दिनांक के ठीक पूर्व सीरदार था,

(ख) प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन या अनुसार किसी अन्य रीति से उक्त दिनांक को या उसके पश्चात् ऐसे भूमिधर का अधिकार प्राप्त कर ले;

(ग) प्रत्येक व्यक्ति जिसे उत्तर प्रदेश भूदान यज्ञ अधिनियम, १९५२ के उपबन्धों के अधीन कोई भूमि प्रदिष्ट हो या की जाय।"

धारा ४५ का संशोधन

६५—मूल अधिनियम की धारा ४५ में, शब्द "सीरदार" जहां कहीं भी आया हो, उसके स्थान पर शब्द "भूमिधरों" रख दिया जायगा।

अध्याय पांच

यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ का संशोधन

यू० पी० ऐक्ट संख्या ३, १९०१ की धारा ३३ का संशोधन

६६—यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ (जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ३३ में, उपधारा (४) में,—

(क) शब्द "भूमिधर या सीरदार" के स्थान पर शब्द "भूमिधर" रख दिया जायगा, और

(ख) स्पष्टीकरण में, शब्द "खातेदार की सीरदारी और भूमिधरी खातों के लिए" के स्थान पर शब्द "किसी भूमिधर के समस्त खातों के लिए चाहे उसके पास वह संक्रमणीय अधिकार सहित या उसके बिना ,हो" रख दिये जायेंगे।

धारा ३३-क का संशोधन

६७—मूल अधिनियम की धारा ३३-क में, उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्—

"(२) किसी व्यक्ति के जो उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, १९७७ के प्रारम्भ होने के पूर्व उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५० की धारा १९५ के अधीन किसी भूमि का सीरदार था ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् उक्त धारा के अधीन असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर या द्वितीय उल्लिखित अधिनियम की धारा १९७ के अधीन किसी भूमि का असामी हो गया है, सम्बन्ध में उपधारा (१) के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।"

धारा ५० का प्रतिस्थापन

६८—मूल अधिनियम की धारा ५० के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्:—

सीमा चिन्ह लगाने के अभिलेख अधिकारी की शक्ति

"५०—जब कोई स्थानीय क्षेत्र सर्वेक्षण क्रिया के अन्तर्गत हो, तब अभिलेख अधिकारी यह निदेश देते हुए उद्घोषणा कर सकता है कि सभी गांव सभा और भूमिधर पन्द्रह दिन के भीतर ऐसे सीमा-चिन्ह लगायें जिन्हें उनके गांवों और खेतों की सीमा को निर्धारित करने के लिये अभिलेख अधिकारी आवश्यक समझें और उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट समय के भीतर उनके द्वारा अनुपालन न करने की स्थिति में अभिलेख अधिकारी ऐसे सीमा-चिन्ह लगवा सकता है और तब कलेक्टर उनके लगाने की लागत सम्बद्ध गांव सभा या भूमिधरों से वसूल करेगा।"

नयी धारा २३१ का बढ़ाया जाना

६९—मूल अधिनियम की धारा २३० के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:—

अधीनस्थ प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा किया जाना

"२३१—जहां किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग या कर्तव्य का पालन किया जाना है, वहां ऐसी शक्ति का प्रयोग या कर्त्तव्य का पालन उससे वरिष्ठ किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी किया जा सकता है।"

अध्याय छः

उत्तर प्रदेश भूमि विकास कर अधिनियम, १९७२ का संशोधन

उ० प्र० अधिनियम संख्या ३५, १९७२ में नयी धारा ५-क का बढ़ाया जाना

७०—उत्तर प्रदेश भूमि विकास कर अधिनियम, १९७२ की धारा ५ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:—

ग्रामीण विकास निधि समिति

"५-क—(१) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किये जाने वाले दिनांक से ग्रामीण विकास निधि समिति नामक एक समिति का गठन किया जायगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्—

(क) राजस्व मन्त्री, उत्तर प्रदेश सरकार, जो उसका अध्यक्ष होगा ;

(ख) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, सिंचाई विभाग ;

(ग) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, चिकित्सा विभाग ;

(घ) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, सार्वजनिक निर्माण विभाग ;

(ङ) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, स्वायत्त शासन विभाग ;

(च) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, विद्युत् विभाग ;

(छ) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, राजस्व विभाग ;

(ज) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, वित्त विभाग ;

(झ) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, नियोजन विभाग।

(२) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में, उपधारा (१) में उल्लिखित विभागों के सचिव ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये अपने-अपने प्रस्ताव तैयार करेंगे और उक्त उपधारा में उल्लिखित समिति को वास्तविक योजना प्रस्तुत करेंगे जिसमें अनुमानित व्यय दिखाया जायगा।

(३) समिति प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् प्रत्येक मद के लिये आवश्यक निधि प्रदिष्ट करेगी।"

अध्याय ७

उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ अधिनियम, १९५२ का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १०, १९५३ की धारा २ का संशोधन

७१—उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ अधिनियम, १९५२ (जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २ में, खण्ड (ग) में, उपखण्ड (१) में, शब्द "भूमिधर या सीरदार" के स्थान पर शब्द "भूमिधर या सरकारी पट्टेदार" रख दिये जायेंगे।

धारा १४ का संशोधन

७२—मूल अधिनियम की धारा १४ में,—

(क) उपधारा (१) में, खण्ड (१) में, शब्द "सीरदार" के स्थान पर शब्द "असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर" रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (३) निकाल दी जायगी।

(ग) स्पष्टीकरण में, शब्द "सीरदार" निकाल दिया जायगा।

अध्याय—८

प्रकीर्ण

संक्रमण-कालीन उपबन्ध

७३—(१) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५० की धारा १३४ और १३५, जैसा कि वे २८ जनवरी, १९७७ के ठीक पूर्व थीं, के अधीन भूमिधरी अधिकारों के अर्जन के लिए सभी कार्यवाहियां और उससे उत्पन्न होने वाली सभी कार्यवाहियां जो ऐसे दिनांक को किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन हों, उपशमित हो जायेंगी।

(२) जहां कोई कार्यवाही उपधारा (१) के अधीन उपशमित हो गयी हो वहां ऐसे अधिकारों का अर्जन करने के लिये जमा की गयी धनराशि यथास्थिति, जमा करने वाले व्यक्ति या उसके विधिक प्रतिनिधियों को वापस कर दी जायगी।

निरसन उ० प्र० ऐक्ट संख्या ३२, १९४८

७४—कुमायूं नयाबाद और बंजर भूमि का ऐक्ट, १९४८ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

निरसन उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ९, १९७७

७५—(१) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, १९७७ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५० के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियम के सदनुरूप उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मनो यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था ।

श्री अध्यक्ष—

खंड ६० से लेकर खंड ७५ तक जितने खंड हैं उनमें कोई संशोधन नहीं है ।

श्री देव बहादुर सिंह—

इनमें संशोधन तो है ।

श्री अध्यक्ष—

खंडों में कोई संशोधन नहीं है। अगर विरोध करना चाहें तो अनुमति दी जा सकती है । वह विरोध करना नहीं चाहते । चूंकि उन खंडों में कोई संशोधन नहीं है इसलिए एक साथ रख दिया ।

श्री देव बहादुर सिंह—

न विरोध करेंगे तो सदन से अनमति लेना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष—

अगर आप किसी खंड का विरोध करना चाहते हैं तो अवसर दिया जा सकता है । वह विरोध नहीं करना चाहते हैं ।

प्रश्न यह है कि खंड ६० से लेकर खंड ७५ तक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९७७

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५०, जौनसार बावर जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५६ कुमायूं तथा उत्तरखंड जमींदारी-विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९६० यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१, उत्तर प्रदेश भूमि विकास अधिनियम, १९७२, उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ अधिनियम, १९५२ का अग्रतर संशोधन करने और कुमायूं नयाबाद और बन्जर भूमि का ऐक्ट, १९४८ को निरसित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अट्ठाईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

अध्याय एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (संशोधन) अधिनियम, १९७७ कहा जायगा ।

(२) यह २८ जनवरी, १९७७ से प्रवृत समझा जायगा ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री शारदा भक्त सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९७७ जैसा कि सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९७७ जैसा कि सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री गणेशी लाल चौधरी (श्रम मंत्री)—

संसदीय पद्धति यह है कि जब आप कहें कि बिल पास किया जावे और बीच में कोई सदस्य खड़ा हो जाये, तो उसको सुन लेना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष—

जब पेश किया गया था उस समय आप नहीं खड़े हुए ।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

अब नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें । हमें १५ सूचनायें मिली हैं । एक सूचना श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी की है । इन्होंने इसको कल भी दिया था ।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला ललितपुर)--

यह कल वाला नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी ने ललितपुर जिले में पत्थर के खदानों का डेड रेन्ट की जगह दस गुना बढ़ा दिए जाने से लगभग १५० ठेकेदार और लगभग २० हजार मजदूरों में घोर असन्तोष ।

दूसरी सूचना श्री इन्द्र मणि बड़ौनी का टिहरी-गढ़वाल क्षेत्र में स्वामी राम तीर्थ महाविद्यालय में एम० ए० तथा एम० एस-सी० की कक्षायें न खोले जाने के कारण छात्रों द्वारा ११ जुलाई से भूख हड़ताल करने से उत्पन्न संकट ।

तीसरी सूचना श्री रघुवर दयाल वर्मा और श्री हरिकेवल प्रसाद का सन् १९७५-७६ के अन्तर्गत श्री संजय गांधी द्वारा उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा किए जाने के समय करीब ८० लाख रुपये खर्च होने के कारण प्रदेश में विषम स्थिति का उत्पन्न होना ।

चौथी सूचना श्री श्याम धर मिश्र का जिला वाराणसी के ज्ञानपुर तहसील में डीह ब्लाक के ग्राम छेछहा व मुर्रा का गंगा नदी की बाढ़ से कटाव तथा सैकड़ों एकड़ खेती की भूमि बह जाने के कारण उत्पन्न संकट, इसको स्वीकार किया है ।

पांचवी सूचना श्री सोहन वीर सिंह तोमर की २१ नवम्बर, १९७६ को उत्तर प्रदेश उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद द्वारा विशेष पूरक परीक्षा का आयोजन अनियमित ढंग से किया जाना ।

छठी सूचना श्री बेनी प्रसाद वर्मा की विगत एक माह से सूत व स्टुपल के दाम २० रुपया प्रति बंडल बढ़ जाने से बुनकरों में व्यापक असन्तोष तथा अनशन की चेतावनी ।

सातवीं सूचना श्री राम दत्त जोशी की पर्वतीय जिलों के राज्य कर्मचारियों की दीर्घ कालीन मांगों को सरकार द्वारा उपेक्षा किए जाने से कर्मचारियों का आन्दोलन ।

आठवीं सूचना श्री सुरपाल पान्डेय, श्री दिवाकर विक्रम सिंह और श्री जनार्दन प्रसाद ओझा का प्रदेश की बभनान चीनी मिल के मजदूरों को चार माह से वेतन न दिए जाने तथा किसानों को गन्ने का बकाया न मिलने के कारण उनमें घोर असन्तोष ।

नवीं सूचना श्री अरुण कुमार की ग्राम भटवा मऊ थाना मोहम्मदपुर जिला बाराबंकी के कांग्रेसी कार्यकर्त्ता श्री रामेश्वर का दिनांक १७-७-७७ को कत्ल किया जाना तथा पुलिस द्वारा नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार न किया जाना ।

दसवीं सूचना श्री डी० पी० बोरा का है । इसको कल भी पढ़कर सुनाया था और आज भी दिया है । यह लखनऊ नगरमहापालिका द्वारा आपात कालीन स्थिति में बिना किसी उचित सुनवाई के कनक्यूनियल एसेसमेंट ८० लाख रुपये से २ करोड़ लाख का कर देने से शहर की जनता में भारी असन्तोष ।

ग्यारहवीं सूचना श्री शम्भू नाथ चौधरी का बलिया जनपद की सैकड़ों गांवों की भू-अभि लेख के अभाव में सर्वे होने से किसानों का हजारों एकड़ भूमि से भू-स्वाभित्व समाप्त होने से उत्पन्न संकट, और

बारहवीं सूचना डा० अश्वनी कुमार चतुर्वेदी राकेश का कानपुर जनपद के अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग की निष्क्रियता एवं भ्रष्ट प्रशासन के कारण मैथा के प्रयोगशाला के विनकल, श्री राना द्वारा आत्महत्य तथा डेरापुर स्वास्थ्य केन्द्र प्राथमिक स्वास्थ्यकर्त्ता, श्री राम लखन की मृत्यु के सम्बन्ध में है....।

तेरहवीं सूचना श्री श्याम देव, श्री राजबली तिवारी और श्री कलाश नाथ की है जिसमें लिखा है कि वाराणसी जिले की मुगलसराय थाने की पुलिस ने इंडियन एयर गेसेज लिमिटेड, मुगलसराय के १४ श्रमिकों को दिनांक १८ जुलाई, १९७७ को मालिकों एवं प्रशासन की साजिश से जेल में बन्द कर देने से उत्पन्न संकट है । यह वैसे भी समय के बाद में प्राप्त हुआ है ।

चौदहवीं सूचना श्री देव बहादुर सिंह जी की है जो समय के बाद आयी है ।

पन्द्रहवीं सूचना श्री असबीर सिंह की है । वह भी समय के बाद आयी थी ।

जैसा मैंने पहले कहा मैंने श्री श्यामधर मिश्र की सूचना, जो जिला वाराणसी के ज्ञानपुर तहसील में डीह ब्लौक के ग्राम छेछडा व मुर्रा का गंगा नदी की बाढ़ से कटाव के सम्बन्ध में है, स्वीकार किया है ।

एक सदस्य--

श्रीमन्, मैं एक सूचना देना चाहता हूं ?

श्री अध्यक्ष--

सूचना की आवश्यकता नहीं है ।

माननीय मुख्य मंत्री जी आप इस पर अभी सूचना दे सकते हैं या आपको समय चाहिए ?

मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)--

मान्यवर, इस पर वक्तव्य देने के लिए मुझे समय चाहिए ।

श्री अध्यक्ष--

आप इस पर कब वक्तव्य देंगे ?

श्री राम नरेश यादव--

मान्यवर, परसों दे दूंगा ।

प्रदेश में २० जुलाई, १९७७ से बिजली कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की नोटिस दिये जाने के कारण उत्पन्न संकट के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत होने वाले वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष--

(माननीय विद्युत् मंत्री को पुकारे जाने पर और उनके सदन में उपस्थित न होने पर) हड़ताल के सम्बन्ध में माननीय विद्युत् मंत्री जी ने वक्तव्य देने को कहा था । यदि वे इस समय सदन में नहीं है तो कोई और मंत्री उनके स्थान पर वक्तव्य देने की कृपा करें ?

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)--

मान्यवर, अभी तक प्रथा यह रही है कि वक्तव्य की प्रतियां बंट जाया करती थीं, इस बार ऐसा नहीं किया गया है ?

श्री अध्यक्ष--

यदि माननीय विद्युत् मंत्री इस समय सदन में नहीं हैं तो कोई और भी मंत्री वक्तव्य दे सकता है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, अभी तक तो यह होता रहा है कि वक्तव्य की लिखित प्रतियां सदस्यों में वितरित की जाती थीं ताकि वे उसको पढ़ सकें ।

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने सूचना दी है कि वे अस्वस्थ हैं और वे नहीं आ पायेंगे । यदि वे अस्वस्थ हैं तो कोई दूसरे मन्त्री इसको पढ़ सकते हैं । माननीय मुख्य मन्त्री जी, क्या आप इस पर वक्तव्य दे सकते हैं ?

मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)--

चूंकि हड़ताल अब समाप्त हो गई है और विधिवत् इसका प्रसारण और घोषणा भी हो गई है, इसलिए वक्तव्य का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी की यह सूचना हो सकती है लेकिन जैसा कि कल तय हुआ था, उसमें मंत्री जी को कोई वक्तव्य देना चाहिए था और बाद में यह कहा जाता कि हड़ताल अब समाप्त हो गई है । आपने ठीक ही कहा कि कोई अन्य मंत्री वक्तव्य दे दें क्योंकि उनकी ज्वाइन्ट रेस्पोंसिबिलटी होती है । वह बात भी नहीं हुई और हमको वक्तव्य की प्रति भी नहीं मिली । मुझे तो ऐसा लगता है कि मंत्रिमंडल के सदस्यों का इस पर ध्यान ही नहीं गया । अब आप ही बतायें कि हमें क्या करना है ?

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि कल हमें यह आशा नहीं थी कि यह हड़ताल समाप्त होगी या नहीं । बड़ी खुशी की बात है कि हड़ताल समाप्त हो गई है और इसके लिए मैं माननीय मन्त्री जी

को बधाई देता हूं, लेकिन हम लोगों को इस प्रकार से सूचना दे देना कि हड़ताल समाप्त हो गई है, उचित प्रतीत नहीं होता । हम आशा करते थे कि वक्तव्य दिया जाता जिसमें बताया जाता कि विवाद क्या है, क्या वार्ता हुई, अगर इसमें कोई गोपनीय बात है तो वह हमें न बतायें लेकिन जो बात हमें बता सकें वह तो बता दें ताकि हम आगे सरकार की मदद कर सकें केवल दो लाइन में कि समाप्त हो गयी थी नहीं समाप्त हुई--कल की स्थिति थी कि समाप्त हुई, आज की स्थिति केवल इतनी नहीं है कि इतना ही कह दिया जाय । वक्तव्य मांगा गया था तो आप निर्देश दें, इन मंत्रियों को और मुख्य मन्त्री को कि जब वक्तव्य आये तो वक्तव्य के माने वक्तव्य के हैं और लिखित रूप से कम से कम उसकी कुछ कापियां हम लोगों को मिलें..।

श्री अध्यक्ष---

आप बैठिये । वक्तव्य को मैं कल तक के लिए स्थगित करता हू । कल को माननीय मन्त्री जी इस सम्बन्ध में वक्तव्य लिखित सदन के अन्दर दे दें ।

अब हम उठते हैं, कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ४ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
२० जुलाई, १९७७

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

पी० एस० यू० पी०--१६ विधान सभा—१८-८-७७--८४०--(पी० डी०)